खण्ड-185, अंक-2
शुक्रवार, 11 श्रावण, शक संवत् 1879
(2 अगस्त, 1957 ई0)

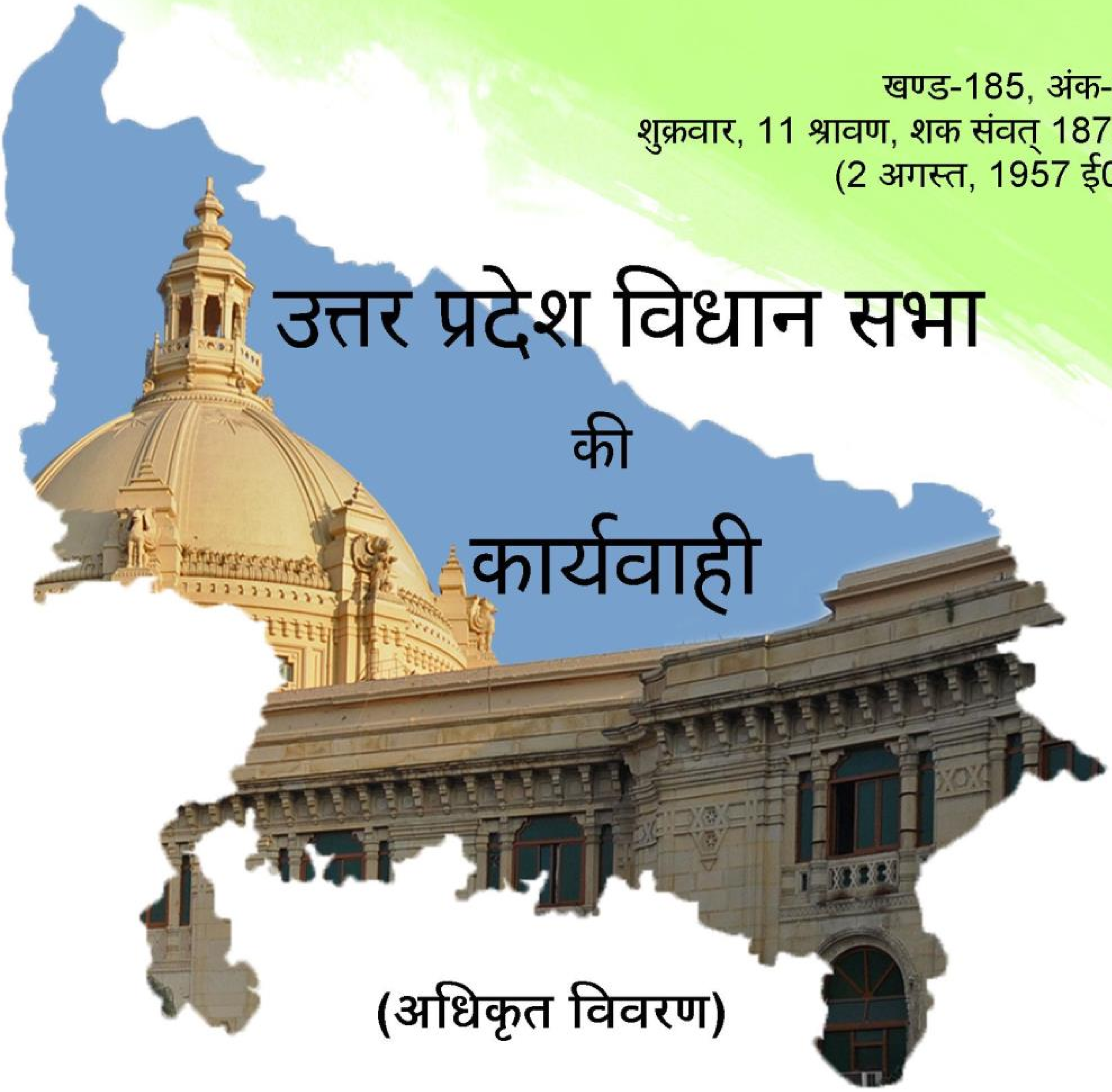

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 185 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—उपनिवेशन (स्वीकृत)	१३२–१३६
अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी (जारी) ..	१३६–१६४
कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोशियेशन की शाखा स्थापित करने के लिये कमेटी रूम में ठक की सूचना	१६४
नस्थियां	१६५–१८६

संसद पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३१८)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अशफाक अली खां, श्री
असगर अली खां, कुंवर
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्र हमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द, श्री उपनाम कमल
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री

चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री

भगवतीप्रसाद दुबे श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगवतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मांधातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री

लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शमशुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरत चन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवती नन्दनबहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः—माल उपमंत्री श्री परमात्मानन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २ अगस्त, १९५७

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

जिला पंचायत कार्यालय, आजमगढ़ में हुये गबन की जांच की मांग

**१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वशासन मन्त्री जिला पंचायत कार्यालय, आजमगढ़ के हिसाब की जांच के सम्बन्ध में २३-७-५७ के प्रश्न संख्या ४६ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि लेखा सम्बन्धी अनियमितताओं से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आजमगढ़ जिले से हटा कर शीघ्रातिशीघ्र जांच करा लेने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—जिला आजमगढ़ के तत्कालीन जिलाधीश, जिला पंचायत अधिकारी तथा सहायक जिला पंचायत अधिकारी के स्थानान्तरित हो चुके हैं और एकाउन्टेंट जनरल, उत्तर प्रदेश द्वारा जांच की व्यवस्था की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस गबन से सम्बन्धित जो सहायक लिपिक और प्रधान लिपिक हैं उनका तबादला या मुअत्तली क्यों नहीं की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—माननीय सदस्य ने जिन लोगों की बात पूछी है उनके तबादले की बात विचाराधीन है।

श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि असिस्टेंट पंचायत आफिसर ने गबन की सूचना दी थी और अब उसका भी तबादला हो गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—तबादला उस पंचायत अधिकारी का गबन के कारण से नहीं हुआ था, वह तो वैसे हुआ ही करते हैं। बाकी इस मामले में जांच हो रही है और जो सम्बन्धित लोग अपराधी पाये जायंगे उनको सजा दी जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जितने अधिकारियों का तबादला हुआ है उनका इस गबन से सम्बन्ध नहीं था ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस सम्बन्ध में अभी तमाम एकाउन्ट्स एकाउन्टेंट जनरल के विचाराधीन हैं और अभी नहीं कहा जा सकता कि किन किन लोगों का सम्बन्ध गबन से है और सही हाल रिपोर्ट आने पर ही मालूम हो सकता है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी विकास आयोग के असिस्टेंट एकाउन्टेंट की जांच की रिपोर्ट सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—न अभी जांच हुई है, न रिपोर्ट आई है, जब वह आजाये तभी बताया जा सकता है।

सचिवालय के न्याय विभाग में छटनी

**२—श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी सचिवालय के न्याय विभाग (ख) में कुछ कर्मचारियों की छटनी होने वाली है ? यदि हां, तो कितने किर्मचारी हटाये जाने वाले हैं और क्यों ?

न्याय उप मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--जी हां--१८ लोअर श्रेणी (डिवीजन) के अस्थायी कर्मचारी १ अगस्त से कम किये गये हैं। इसका कारण यह है कि सिविल प्रोसीजर कोड की धारा ८० के अधीन नोटिसों से संबद्ध काम तथा २,५०० रु० तक के वादों का Defence and compromise का अधिकार विभागाध्यक्षों को हस्तान्तरित कर दिया गया है तथा रिट प्रार्थना-पत्रों से संबद्ध काम सचिवालय में प्रशासकीय विभागों को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि अभी कल एक प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया था कि कोई भी व्यक्ति रिट्रेन्च नहीं होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह तो कुछ अस्थायी कर्मचारी थे और उन लोगों को जिनका अब काम ही नहीं रह गया, उनको कम करना ही पड़ा।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह कार्य कितने विभागों में बट गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--वह जैसा कि मैंने उत्तर में कहा था कि धारा ८० के अधीन जो सरकार को नोटिस मिलते हैं, तो वह जिस विभाग का नोटिस होता है उस के सुपुर्द कर दिया गया और जो २,५०० रुपए के सूट हैं वह जिस विभाग से सम्बन्धित हैं वे सूट भी उसको दे दिये गये और कुछ रिट्स भी इसी प्रकार सम्बन्धित विभागों को बांट दिये गये।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों को निकाल दिया गया है क्या उनके लिये आगे सरकार कुछ काम देने की बात सोच रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यदि आगे कहीं कोई काम होगा तो नियमित रूप से आवेदन-पत्र आने पर विचार किया जायगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि निकाले हुये लोगों में कितने-कितने चपरासी और क्लर्क हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मेरे पास अलग-अलग सूची नहीं है, इसके लिए नोटिस चाहिये।

दिल्ली में 'एडवोकेट आन रेकार्ड' के कार्यालय तथा आवास-गृह की योजना

**३--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या सुप्रीम कोर्ट में प्रादेशिक सरकार के मुकदमों की देख-रेख के लिये कोई "एडवोकेट आन रेकार्ड" रहता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां।

**४--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिल्ली में "एडवोकेट आन रेकार्ड" के रहने की व्यवस्था के लिये राज्य सरकार कोई जमीन खरीद रही है ? यदि हां, तो उसकी क्या लागत है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--दिल्ली में "एडवोकेट आन रेकार्ड" का कार्यालय स्थापित करने के लिये २,४३,७५० रु० की लागत पर एक जमीन खरीदने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। जब जमीन मिल जायेगी तो उस पर ऐसी इमारत बनाने का विचार है जिसमें 'ऐडवोकेट आन रेकार्ड' का सरकारी कार्यालय स्थापित होने के अतिरिक्त उनके रहने की और जब एडवोकेट जनरल मुकदमों के सिलसिले में दिल्ली जायं तो उनके ठहरने की भी व्यवस्था हो सके।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस जमीन पर जो कार्यालय और आवास गृह बनेगा उसकी तखमीनन लागत क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--अभी तो केवल जमीन के मूल्य को आंका गया है और वह करीब जैसा मैंने कहा २ लाख ४३ हजार ७५० रु० है ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस जमीन का रकबा कितना है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य-- .६३ एकड़ ।

श्री प्रतापसिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अभी तक ऐडवोकेट आन रेकार्ड के रहने की क्या व्यवस्था है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--अभी तक वह वहां रहते थे और उनको जो फीस दी जाती थी उसमें जो उनका विभाग था, उसका खर्चा भी उसमें सम्मिलित था । ऐसा खयाल किया जाता है कि यदि ऐडवोकेट आन रेकार्ड का एक अलग कार्यालय राज्य की ओर से होगा तो सस्ता पड़ेगा ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो भूमि ऐडवोकेट आन रेकार्ड के दफ्तर के लिये ली जा रही है यह भारत सरकार से ली जा रही है या प्राइवेट निगोशियेशन्स के द्वारा ली जा रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी । शायद भारत सरकार से ही ली जा रही है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस जमीन के सम्बन्ध में वर्तमान वित्तीय वर्ष में केवल १०० रु० की ही मांग की गई है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण रुपये की मांग क्यों नहीं की गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--अभी तो उसका सौदा पूरा हुआ नहीं और ऐसा खयाल है कि शायद हो जायगा । चूंकि पूरा अन्दाजा नहीं है इसलिये केवल १०० रु० रखा गया है । अब जो भी अधिक खर्चा होगा तो और व्यवस्था की जायगी ।

प्रश्नों के उत्तर एक दिन पूर्व न मिलने की शिकायत

श्री रामसिंह चौहान (जिला आगरा)--अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्नों के सम्बन्ध में एक बात कहना है । नियमावली के अनुसार हमको लिखित प्रश्नोत्तर एक दिन पहले मिल जाने चाहिये । जो नहीं मिलते जिससे बड़ी दिक्कत होती है । यहां तक कि कार्यक्रम भी ९, १० बजे के करीब मिलता है ।

श्री अध्यक्ष--आपको इसका जवाब नहीं मिला । क्या यह आपका प्रश्न है ?

श्री रामसिंह चौहान--मेरा प्रश्न तो नहीं है । लेकिन मेरा सवाल है कि नहीं मिलते, तो हम तैयारी कैसे कर सकेंगे । नियमावली के अनुसार एक दिन पहले मिल जाने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि करीब-करीब सबको मिल जाते हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय--एक दिन पहले कभी नहीं मिलते ।

श्री अध्यक्ष--अच्छा तो जब आपका प्रश्न आयेगा तो बताइयेगा ।

एटा जिले में पुराने थानेदार

**५—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में ऐसे कितने पुलिस थानेदार हैं जो एक स्थान पर पांच साल से अधिक समय से तैनात हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—एटा जिले में ऐसा कोई थानेदार नहीं है।

नगरपालिका, बस्ती में चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

**६—श्री रामलाल (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका बस्ती के चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

श्री रामलाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती नगरपालिका की कुव्यवस्था को देखते हुए उस पर शीघ्र से शीघ्र निर्णय देने की कृपा करेंगे ?

स्वशासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जी हां, बहुत जल्दी देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती नगरपालिका, के अध्यक्ष के विरुद्ध कब अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ था ?

श्री रामस्वरूप यादव—१३ जुलाई, १९५७ को अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ था।

नगरपालिका, बस्ती को अधिक्रांत करने पर विचार

**७—श्री रामलाल—क्या सरकार बस्ती नगरपालिका को अधिक्रांत (Supersede) करने का विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह मामला अभी विचाराधीन है।

मुजफ्फरनगर जिले में अति वृष्टि

**८—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर), श्री राजेन्द्रदत्त (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर में प्रारम्भ जुलाई, १९५७ से अभी तक कितने इंच वर्षा हो चुकी है ?

माल उपमंत्री (श्री परमात्मानन्दसिंह)—जिला मुजफ्फरनगर में १ जुलाई से २३ जुलाई, १९५७ तक १०.७६ इंच औसतन वर्षा हो चुकी है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय माल मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि तहसील जानसठ में अतिवृष्टि के कारण तहसील के पास की सड़कों पर तीन-तीन फुट पानी रहा और उस क्षेत्र की तमाम फसल बरबाद हो गई ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—इसकी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माल मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अभी हाल में जो यमुना नदी में बाढ़ आयी थी तो उससे मुजफ्फरनगर जिले के जो गांव यमुना के किनारे पर हैं उन गांवों को नुकसान पहुंचा है ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—माननीय सदस्य का प्रश्न तो वर्षा के विषय में था। यदि बाढ़ इत्यादि के विषय में कोई प्रश्न करना चाहें तो फिर से सवाल भेज दें।

अंग्रेजी का स्थान 'हिंदी' को देने के लिये कार्य

**९—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विदेशी भाषा अंग्रेजी को समाप्त करने के लिये अब तक इधर सरकार ने क्या-क्या कार्यवाहियां की हैं और निकट भविष्य में इसके वास्ते क्या-क्या कदम उठाने जा रही है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अंग्रेजी के स्थान में हिन्दी भाषा के प्रयोग के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों का संक्षिप्त ब्योरा राजाज्ञा संख्या ११८७६/३-१७०-२२,-१९५५, दिनांक १ दिसम्बर, १९५५ में दिया गया है जिसकी प्रति मेज पर रख दी गई है। हिन्दी में "निर्देशिका" की भी, जिसका जिक्र उक्त राजाज्ञा में है, एक प्रति मेज पर रख दी गई है। इसमें हिन्दी की प्रगति के संबंध में सविस्तर सूचना दी गई है।

इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में हिन्दी की प्रगति बढ़ाने के उद्देश्य से दो पुस्तकें और प्रकाशित की गई हैं:—

(१) "सामान्य अंग्रेजी वाक्यांशों के हिन्दी पर्याय", और

(२) "उत्तर प्रदेश प्रशासन शब्दावली (संख्या १)" इनकी भी एक-एक प्रति मेज पर रख दी गई है।

यह भी आदेश दिये गये हैं कि विभिन्न कार्यालयों में टिप्पणियों, पत्र-व्यवहार इत्यादि में अधिकारीय पदनामों के हिन्दी पर्यायों और विभागों के हिन्दी नामों का ही प्रयोग किया जाय चाहे टिप्पणी अथवा आदेश अंग्रेजी में ही लिखना हो। परिपत्र संख्या ५७२०/३—१९५७, दिनांक २७ जुलाई, १९५७ को, जिसमें यह आदेश दिये गये हैं और पदनामों के निर्धारित हिन्दी पर्याय बताये गये हैं, एक प्रति मेज पर रख दी गई है।

हिन्दी की और अधिक प्रगति के लिये निकट भविष्य में क्या कार्यवाही की जाय, इस पर भारत सरकार द्वारा गठित राजभाषा आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने पर निर्णय किया जायगा।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ १६५–१८१ पर)

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार अंग्रेजी को हतोत्साह करने और हिन्दी जो राज्य-भाषा है उसको उत्साहित करने के लिये राज्य की विज्ञप्तियां और दूसरे विज्ञापन अंग्रेजी अखबारों को न देकर हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषा के अखबारों को देने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी गई है उससे ही विदित होगा कि अब हिन्दी अखबारों को ८० प्रतिशत विज्ञापन दिये जाते हैं और अंग्रेजी के अखबारों को २० प्रतिशत। अनेक कारणों से अंग्रेजी में विज्ञापन एकाएक बन्द कर देना उचित नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी के साथ-साथ उर्दू के प्रयोग को भी स्वीकार करती है ?

श्री अध्यक्ष—यह इससे पैदा नहीं होता। अंग्रेजी और हिन्दी का ही मूल सवाल है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार सचिवालय के सभी काम और गजट के सभी आदेशों व विज्ञापनों को हिन्दी में कराती है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं, और यदि हां, तो क्या-क्या ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिस राजाज्ञा का जिक्र है वह ७ पेज में है और उसमें २०० आइटम्स हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि अंग्रेजी में जो प्रकाशन होता है उसमें पाठ्य सामग्री ज्यादा होती है बनिस्बत हिन्दी के और इस वक्त जो लेबर रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसके आधार पर क्या यह सही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस वक्त हमारे सामने लेबर रिपोर्ट नहीं है, इसके लिये मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं यह समझता हूं कि जो अंग्रेजी में होता होगा वही हिन्दी में होता होगा, लेकिन यह हो सकता है कि किस प्रकार के पाठकों के सामने यह चीज जाने वाली है, उसको देखते हुये कुछ चीजें जो हिन्दी में होती हैं वे अंग्रेजी में नहीं होतीं और कुछ चीजें जो अंग्रेजी में होती हैं वे हिन्दी में नहीं होतीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी राज्य के सरकारी गजट में कई विज्ञप्तियों की रिपोर्ट अंग्रेजी में प्रकाशित होती है, उस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक मैं समझता हूं प्रायः सभी चीजों की रिपोर्ट हिन्दी में निकलती है। मुमकिन है कुछ चीजों की रिपोर्ट अंग्रेजी में निकलती हो और हिन्दी में न निकलती हो।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)--क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हिन्दी को अपनाने में सम्पूर्णतया कितने दिन लगेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसका ठीक ठीक उत्तर देना मुश्किल है। इसलिये कि हिन्दी को सम्पूर्णतया अपनाने के मामले में हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि कुछ मामलों में हम भारत सरकार के निर्णयों के साथ बंधे हुये हैं।

श्री गौरीशंकर राय--क्या यह सही है कि जो राजाज्ञा सरकार ने दी है टिप्पणी आदि लिखने के संबंध में, उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं होता?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इतना ही मैं कह सकता हूं कि हम लोग इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि पालन हो। इसीलिये जो सूचना दी गई है उसमें लिखा है कि हर डिस्ट्रिक्ट को पहली जनवरी और पहली जुलाई को रिपार्ट भेजना चाहिये कि जो राजाज्ञा दी गई है उसका कहां तक पालन हुआ है। लेकिन इतना बड़ा हमारा राज्य है मुमकिन कहीं पालन न होता हो।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)--क्या माननीय मुख्य मंत्री को मालूम है कि प्रायः सभी जिलाधीशों के दफ्तर में अधिकतर अंग्रेजी में लिखा-पढ़ी होती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुमकिन है न करते हों, क्योंकि अभी नई चीज है। दिसम्बर १९५५, से ही तो यह चीज शुरू हुई है। हो सकता है कि उनके संभालने में और इधर से उधर बदलने में कुछ समय लगे।

तारांकित प्रश्न

*१--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--[इस प्रश्न का उत्तर ३० जुलाई, १९५७ को प्रश्न संख्या १०३ के अन्तर्गत दिया गया।]

*२--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[इस प्रश्न का उत्तर ३० जुलाई, १९५७ को प्रश्न संख्या १४ के अन्तर्गत दिया गया।]

झांसी में चेचक का प्रकोप

*३—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि आजकल झांसी शहर में चेचक का बहुत ज्यादा प्रकोप है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी)—जी हां, झांसी शहर में मार्च तथा अप्रैल के महीने में चेचक की बीमारी फैली हुई थी। इस रोग की रोकथाम का उचित प्रबन्ध करने के बाद बीमारी शनैः-शनैः कम होती गई, उसका प्रकोप अब नहीं है। इस रोग के फैलने का कारण यह है कि समाज में बिना टीका लगे हुये या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ३ से ५ वर्ष के समय के अन्तर्गत इस रोग का टीका पुनः न लगवाया हो।

*४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत व इस महीने (मार्च-अप्रैल, १९५७) में वहां चेचक के कितने केस हुये और उससे कितनी मौतें हुई ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—झांसी नगर में मार्च के महीने में ३० व्यक्ति चेचक से बीमार पड़े तथा ५ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। अप्रैल माह में ४० व्यक्तियों के बीमार पड़ने की सूचना प्राप्त हुई है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी इस बात का पता लगाने की कृपा करेंगे कि वहां पर चेचक के विशेष प्रकोप होने का मुख्य कारण यह है कि वेक्सीनेटर लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, इसीलिये वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर सके ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—जब हमारे मित्र खुद जानते हैं तो मुझे बताने की कोई बात मालूम नहीं होती, अगर वह ठीक है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने फिर इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—टीके लगवाये हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने वेक्सीनेटरों के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उनके खिलाफ मुझे कोई शिकायत नहीं मिली। ऐक्शन लेने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य के प्रश्न को सूचना मानते हुये अब कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नहीं, नयी नोटिस आनी चाहिये।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं, उनका आधार क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिले से आँकड़े आये हैं, वही आधार है।

नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी के उद्योगपतियों को ऋण

*५—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के नैनी इंडस्ट्री एरिया में कितने कारखाने इस समय तक चल रहे हैं और उन कारखानों को सरकार की ओर से कौन-कौन रूप में और किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)---सहायता तथा पुनर्वासन विभाग द्वारा स्थापित नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी में इस समय चौदह कारखाने चल रहे हैं और इन करखानों के स्वामियों को इमारत बनाने के लिये कोयले, सीमेंट और लोहे के परमिट दिये गये और कच्चे माल के लिये आवश्यकतानुसार लोहा तथा कोयले के कोटे भी संबंधित उद्योगपतियों को दिये गये तथा उनमें से छः को ऋण के रूप में भी सहायता दी गई है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिन उद्योगपतियों को ऋण दिया गया है, उन्होंने कितने कारखाने खोले हैं ?

†**श्री हुकुम सिंह विसेन**---एक व्यक्ति ने ताला, एक ने सुर्खी और चूना एक ने चूना और एक ने स्याही बनाने की फैक्ट्रियां व एक ने आटा चक्की व करबी काटने की मशीन व एक ने दुग्धशाला खोली है। इस प्रकार ६ कारखाने इन व्यक्तियों ने खोले हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---मैं श्रीमन्, पूंछ रहा था कि जिन उद्योगपतियों ने कर्ज लिया है उनके नाम क्या हैं और उन . . . .

†**श्री हुकुमसिंह विसेन**---नाम पहले पूछे नहीं गये थे, अब पूछे गये हैं। मैं बता रहा हूं :

(१) श्री ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कम्पनी, (२) श्री लिप्टन लिमिटेड, (३) श्री राधा कृष्ण रोचूमल भगवानदास, (४) श्री घनश्याम लाल (५) श्री भगवान दास हरीचन्द व (६) श्री धरमपाल। इनके अतिरिक्त सर्व श्री आर० पी० भाटिया, मंगलसेन नारंग, मेऊमल, तेजभान बली, प्रेमनाथ मदनलाल, बी० बी० भन्डारी तथा प्यारे लाल गुप्त को भी ऋण दिये गये पर उन्होंनें कोई उद्योग नहीं स्थापित किए।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल स्टेट में लिप्टन वालों ने मिश्रण शुरू किया है, तो क्या इंडस्ट्रियल स्टेट बनने से पहले यह कार्य नहीं हो रहा था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पहले वहां पर यह इंडस्ट्री नहीं थी जहां पर यह किया गया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि वहां पर इंडस्ट्रियल स्टेट बनने से पहले लिप्टन चाय के मिश्रण का कारखाना पहले से बना हुआ था ?

†**श्री हुकुमसिंह विसेन**---शायद माननीय सदस्य का आशय उस इंस्ट्रियल स्टेट से है जो हमारे उधोग विभाग के सहयोग से भारत सरकार ने स्थापित की है। यह स्टेट पुनर्वास विभाग की नहीं है और लिपटन का कारखाना इस स्टेट से पहले का बना है। परन्तु यह कारखाना पुनर्वास विभाग द्वारा स्थापित औद्योगिक नगरी में स्थित है और इस नगरी के स्थापित होने के बाद बनाया गया।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिसके लिये कर्जा दिया गया, हकीकत में वहां वह चीज बन रही है, इसकी उन्होंने कभी जांच की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बन तो रही है यदि शक होता तो जांच करता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---श्रीमन्, मैं यह पूछ रहा था कि किन छः उद्योगपतियों को कर्जा दिया गया है ?

†**श्री हुकुमसिंह विसेन**---यह मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---श्रीमन्, मैं ६ उद्योगपतियों के नाम पूछ रहा था, परन्तु मंत्री जी ने पहले और नाम बताये और अब दूसरे नाम बताये हैं तो पता नहीं कौन से ठीक हैं। यदि वह स्पष्ट कर दें तो ठीक होगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन---नाम तो दोनों लिस्टों के ठीक हैं।

---

† २६ अगस्त, १९५७ को दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्वदेशी काटन मिल पर विशेष कृपा क्यों हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---केंद्रीय सरकार से पार्लियामेंट के किसी मेंबर के जरिये पुछवा लीजिये ।

राजकीय गोसदनों पर व्यय

*६---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रदेश में किन जिलों में गो सदन खोले गये हैं और उन सदनों पर सरकार का कितना प्रत्येक वर्ष व्यय होता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---अब तक राज्य में दो राजकीय गोसदन, एक गरजिया सोत, जिला नैनीताल में, दूसरा मलगवां, जिला इटावा, में खोले गये हैं और इन पर प्रतिवर्ष खर्च का ब्योरा संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १८२ पर)

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो गो-सदनों को धनराशि दी जाती है इसमें इटावा जिले के मलगवां गो-सदन को कितनी दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह तो राजकीय है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले में जो गो-सदन हैं उसमें प्रति वर्ष कितना खर्च होता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---राजकीय गो-सदन गरजियासोत, जिला नैनीताल तथा मलगवां जिला इटावा पर वार्षिक धनराशि का व्यय निम्नलिखित हुआ---

सन्			रु०	आ०	पा०
१९५२-५३	..	..	७२,८१७	२	६
१९५३-५४	..	..	५४,१७३	१३	३
१९५४-५५	..	..	३८,८१४	११	३
१९५५-५६	..	..	४९,५२८	१३	६
१९५६-५७	..	..	५३,११८	१२	३

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो डेढ़ रुपया प्रति पशु दिया जाता है, उसमें कितना केन्द्रीय सरकार का और कितना प्रदेशीय सरकार का अनुदान होता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

मंझरा फार्म, जिला खीरी में सरकारी गन्ने की चोरी

*७---**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी)---क्या यह सत्य है कि मंझरा फार्म, जिला खीरी में दो वर्ष पहले कोई सरकारी गन्ना चुरा कर बेचने की घटना हुई थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां ।

*८---**श्री जगन्नाथप्रसाद**---यदि यह सत्य है, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इसमें कौन-कौन व्यक्ति अभियुक्त थे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—उक्त घटना में निम्नलिखित तीन कर्मचारी अभियुक्त थे:—

१—श्री कृष्ण दयाल, ट्रक ड्राइवर ।
२—श्री सीताराम प्रजापति, गोदाम कीपर ।
३—श्री फिरंगी, ट्रक क्लीनर ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या यह सही है कि इसमें अदालत से सभी अभियुक्त बरी हो गये ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जी हां, बरी हो गये ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या ये सभी मुलाजिमान रिइंस्टेट हो गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—कुछ हुए हैं । जो ड्राइवर्स हैं उनका जजमेंट मंगवाया है यह देखने के लिये कि उनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल ऐक्शन लिया जा सकता है या नहीं ?

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस जजमेंट में इनके अलावा किसी और को अभियुक्त करार दिया है, जज ने ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जजमेंट की कापी मैंने मंगाई है, देख लूं तो बता सकता हूं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गन्ना चोरी हो रहा था, वह कितने मन था और किस फैक्ट्री में ले जाया जा रहा था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—साढ़े चार ट्रक थे और एक गांव लालपुर है, वहां बेचने की कोशिश की जा रही थी ।

सरोजिनी नायडू अस्पताल आगरा में, रामपाल, लड़के को लड़की बनाने का प्रयोग

*९—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी का रामगोपाल जो आगरा के सरोजिनी नायडू अस्पताल में है उसको लड़का से लड़की बनाने का आपरेशन द्वारा जो डाक्टरों का प्रयोग हो रहा था, क्या वह पूर्ण रूप से सफल रहा ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—सरोजिनी नायडू अस्पताल में जिस लड़के का प्रवेश हुआ है उसका नाम रामपाल है । इस पर जो प्रयोग किया जा रहा है वह अभी प्रारम्भिक अवस्था में है । इस कारण प्रयोगों के परिणाम के संबंध में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं ।

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा पता चला है कि झांसी में अलग-अलग अस्पतालों में और कई ऐसे केस हैं, क्या वह इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि उनमें कितने पुरुष हैं जो कि स्त्री के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—बरसाने में भी ऐसी शिकायत है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लड़का बालिग है या नाबालिग ? और अगर नाबालिग है तो क्या उसके घर वालों से इसके लिये स्वीकृति ले ली गई है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—१४, १५ साल की उमर का है ।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कहीं लड़की स लड़का बनाने का प्रयोग भी जारी है ?

(प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रयोग की सरकार को क्यों आवश्यकता हुई और इस पर कितना व्यय होगा ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--उस लड़के के फिजिकल डेवलपमेंट में कुछ ऐसा प्रतीत हुआ था कि स्त्रियों के ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, लिहाजा यह जरूरत महसूस हुई और शायद उस लड़के ने भी महसूस किया होगा कि इस प्रकार का प्रयोग किया जाय और देखा जाय कि क्या बात है।

श्री शिव प्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसके वालदैन से इसकी इजाजत हासिल कर ली गई थी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--जहां तक मेरा खयाल है कि वालदैन ही उस लड़के को लाये थे।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि वह अस्पताल में किस समय दाखिल हुआ और अब तक कितना समय उसे हो चुका है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--वह ९ अप्रैल, १९५७ को दाखिल हुआ।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस लड़के की शादी हो गयी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--इस प्रयोग के बाद शादी तय होगी।

श्रीमती चन्द्रावती--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसकी सूचना किस आदमी से और कैसे मिली ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--आदमी का नाम नहीं बतला सकता।

कृषि फार्म, माधुरी कुण्ड के ट्रैक्टर

*१०--श्री रामहेत सिंह--क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि फार्म, माधुरी कुंड में ट्रैक्टरों की संख्या क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--कृषि फार्म माधुरी कुण्ड, मथुरा में ट्रैक्टरों की वर्तमान संख्या ७ है।

*११--श्री रामहेत सिंह--क्या सरकार इस योजना के बारे में विचार कर रही है जिससे कम रेट पर किसानों को भूमि सुधारने के लिये ट्रैक्टर मिल सके ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री रामहेत सिंह--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अधिक अन्न उपजाओ योजना के अनुसार खराब भूमि कोसुधारा जाय, ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--ऐसी योजना बहुत है, लेकिन ट्रैक्टर वाली कोई योजना नहीं है। पहले एक योजना थी उसका बड़ा तल्ख तजुर्बा हुआ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कृषि फार्म माधुरी कुण्ड में ७ ट्रैक्टर की आवश्यकता है तो वह सब चाल हालत में हैं या उसमें कुछ बेकार भी हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---२ बेकार हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय---कृषि फार्म माधुरी कुण्ड में जो ७ ट्रैक्टर हैं उनके जोतने के लिये कितनी भूमि है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---८०० एकड़ ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आपके कृषि एक्सपर्ट ने कभी आपको ऐसी बात बतलायी है कि १ ट्रैक्टर के ऊपर कितनी भूमि की आवश्यकता है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---२०० एकड़ ।

*१२-१३---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---[३ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ३-४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१४-१५---श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---[प्रार्थना पर तीसरे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ९६-९७ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

*१६---श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---[६ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १०१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

इटावा टी० बी० अस्पताल में शय्याओं को बढ़ाने की प्रार्थना

*१७---श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)---क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा टी० बी० अस्पताल में रोगियों के लिये कितने पलंग हैं ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी---२८ ।

*१८---श्री मिहरबान सिंह---क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा टी० बी० अस्पताल में १ जनवरी, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ तक रोगियों के दाखिला के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और उनमें से कितने रोगियों को दाखिल किया गया है ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी---४९२ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और उनमें से ११८ रोगियों को दाखिल किया गया ।

श्री मिहरबान सिंह---क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इटावा के टी० बी० अस्पताल में इतनी गुंजायश है कि रोगियों के लिये और भी कुछ पलंग बढ़ाये जा सकें ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---यह हाल ही में बना है । इसमें देखा जायगा कि कुछ गुंजायश है या नहीं ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो २८ पलंग हैं इनमें कितने स्टूडेन्ट्स हैं, कितने टीचर्स और कितने सरकारी आदमियों के लिये रिजर्व हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--इनमें १८ आम जनता के लिये और १० विद्यार्थियों और टीचरों के लिये हैं ।

लखीमपुर में जूट गोदाम में आग लगने से क्षति

*१९--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि ३०-४-५७ से दो-तीन दिन पहले लखीमपुर नगर में जूट के गोदाम में आग लग गई थी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--जी हां ।

*२०--श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)--यदि हां, तो कितनी क्षति हुई ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--लगभग ४३३ मन जूट रेशा जला था, लेकिन कुल स्टाक इंश्योर्ड होने के कारण आढ़तियों को कोई नुक्सान नहीं हुआ । जूट गोदाम की इमारत को आग लगने से जो क्षति हुई, उसकी मरम्मत में लगभग ५,००० रु० व्यय होगा ।

*२१--श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)--क्या सरकार लखीमपुर में कोई जूट गोदाम बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--जी नहीं ।

गोपाल गोशाला बहजोई, जिला मुरादाबाद को प्रदत्त भूमि के अनुचित प्रयोग की शिकायत

*२२--श्री बुद्धी सिंह (जिला मुरादाबाद)--क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोपाल गो-शाला बहजोई, जिला मुरादाबाद को प्रदत्त भूमि के अनुचित उपयोग के सम्बन्ध में जिला अधिकारियों से शिकायतें की गईं ? यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी हां, शिकायत असत्य पाई गई ।

प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर जिलों में नवीन हरिजन संस्थाओं को अनावर्त्तक अनुदान का न मिलना

*२३--श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर में गत वित्तीय वर्ष में किन-किन नवीन हरिजन संस्थाओं को अनावर्त्तक ग्रान्ट स्वीकृत हुई थी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--किसी नवीन संस्था को नहीं ।

पी० वी० कालेज, प्रतापगढ़ के हरिजन छात्रावास को सहायता देने का विचार

*२४--श्री राम किंकर (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि पी० वी० कालेज, प्रतापगढ़ में एक हरिजन छात्रावास (शम्भु छात्रावास) १५ अगस्त, १९५६ को खोला गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसको आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ?

हरिजन सहायक राज्य-मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)--जी हां ।

*२५--श्री नारायणदत्त तिवारी--[३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२६--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--[२३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १०० के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

झांसी जिले के खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिये प्रार्थना

*२७--श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि जिला झांसी तहसील ललितपुर, महरौनी में से लाखों खेतिहर मजदूर फसल काटने के लिये अन्य जिलों में प्रतिवर्ष चले जाते हैं ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--इसका पता सरकार को नहीं है, परन्तु कुछ लोग इन तहसीलों से काम पर बाहर जरूर जाते हैं ।

*२८--श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वह क्या-क्या उपाय कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर--इस सब का विवरण योजना सम्बन्धी साहित्य में दिया हुआ है ।

*२९-३०--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)--[२३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १०१--१०२ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

सूती मिल मुरादाबाद को पुनः चालू करने की प्रार्थना

*३१--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि सूती मिल मुरादाबाद के बन्द रहने से हजारों परिवारों की जीविका समाप्त हो गई है ?

आचार्य जुगलकिशोर--यह मिल ३ अप्रैल, १९४९ को बन्द हुई थी और उस समय इसमें केवल ४३६ श्रमिक कार्य करते थे ।

*३२--श्री महीलाल--क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह निकट भविष्य में मुरादाबाद की बन्द सूती मिल पुनः चालू करवाने का विचार रखते हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं ।

लखीमपुर में सम्पूर्णानगर उपनिवेश में ली गयी जमीन का मुआवजा

*३३--श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर में सम्पूर्णानगर में सरकारी कृषि फार्म निर्माण करने में कितने ग्रामीणों की भूमि लेने का विचार है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सम्पूर्णानगर उपनिवेश के निकट मौजा सिंघई खुर्द में सरकारी फार्म स्थापित करने के लिये केवल दो ग्रामीणों की भूमि प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार यह विचार करती है कि फार्म के लिये लीगई भूमि के बदले में दूसरी भूमि दी जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर जमीन मिल सकती है तो दी जायगी, नहीं तो कैश मुआवजा दिया जायगा।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार को मालूम है कि जहां सम्पूर्णानगर बसा है वहां सैकड़ों और हजारों एकड़ जमीन है जिसमें से किसानों को दी जा सकती है और फिर मुआवजे का सवाल क्यों पैदा होता है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपने उत्तर अच्छी तरह नहीं सुना है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुआवजा नक़द दिया जायगा या ४० साल वाले बान्ड्स में ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—४० साल वाले तो जमीदारों के लिये थे, काश्तकारों के लिये नहीं।

श्री देवनारायण भारतीय—जिन किसानों की भूमि ली जा रही है, क्या उनके पास इसके अलावा और भी कोई भूमि है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नोटिस की आवश्यकता है। हम केवल २१ एकड़ २ आदमियों से ले रहे हैं। मैं आप की आज्ञा से अब बतलाना चाहता हूं कि उनके पास काफ़ी जमीन है।

खीरी जिले में मंझरा तथा अन्देशनगर कृषि फार्मों के आय-व्यय का लेखा

*३४—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खीरी जिले में मंझरा तथा अन्देशनगर सरकारी कृषि फार्मों पर पिछले चार वर्षों में कितना सरकारी रुपया खर्च हुआ और प्रति वर्ष कितनी आमदनी हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—मंझरा तथा अन्देशनगर कृषि फार्मों की पिछले चार वर्षों की आय तथा व्यय का ब्योरा संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १८३ पर।)

*३५—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अन्देशनगर फार्म की भूमि के बीच से जाने वाली कच्ची सड़क क्यों बन्द कर दी गई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—फार्म के मध्य से होकर बाहर जाने के लिये कोई ऐसी सड़क नहीं है जो आम जनता के लिये खुली हो। उसके बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार इन आंकड़ों को देखते हुए यह बताने की कृपा करेगी कि गत ४ वर्षों में व्यय की अपेक्षा आय कम हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मंझरा फार्म में हुई है, अन्देशनगर में ऐसी बात नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मंझरा फार्म में इससे पहले गन्ना ज्यादा होता था या गल्ला ज्यादा होता था और इस समय कौन सा ज्यादा हो रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—यह कमी होने का कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कारण यह है कि वहां पर २ सैक्शन हैं, उस फार्म में। एक पशुपालन का और दूसरा खेती का। पशुपालन में वहां की नस्ल खैरीगढ़ और तराई है जो जुताई में अच्छा काम देती है। परन्तु दूध बिलकुल नहीं होता। इस नस्ल को कायम रखने की वजह से घाटा ज्यादा होता है। अब हम उनकी तादाद कम कर रहे हैं। इसके अलावा ४।। फ़ीसदी सूद भी विकास के काम में आमदनी में से काटा जाता है। इससे भी नुक्सान होता है। मैं आशा करता हूं कि आइन्दा ऐसा नुक्सान नहीं होगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कानपुर मेडिकल कालेज की स्थापना

*३६---श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कितने मेडिकल कालेज खोलने का विचार कर रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---केवल एक मेडिकल कालेज स्थापित करने का प्रबन्ध किया गया है। यह कालेज कानपुर में स्थापित किया गया है।

राजकीय बीज भंडार के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनवाने की प्रार्थना

*३७---श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार सरकारी बीज भण्डार के कर्मचारियों व अधिकारियों के रहने के लिये क्वार्टर्स बनवाने की बात सोच रही है?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि बीज, खाद्य और खेती के औजार कम वितरित होने का कारण यह भी है कि क्वार्टर्स न होने के कारण अधिकारी बाहर रहते हैं और किसान लौट जाते हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसा तो नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---किन कारणों से क्वार्टर बनाने की बात नहीं सोची जा रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---धनाभाव के कारण।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या उनके रहने के लिये कुछ किराया दिया जाता है?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जी नहीं।

हमीरपुर जिले की मौदहा तहसील में वनगायों को पकड़वाने की योजना

*३८---श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि मौदहा तहसील, जिला हमीरपुर में विदार परगने में वन-गायों द्वारा फसल की हानि होती है?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, सरकार को यह ज्ञात हुआ है कि कुछ जंगली गायें फसलों का नुक्सान कर रही हैं।

*३९---श्री रामगोपाल गुप्त---क्या सरकार को मालूम है कि इस इलाके के कुछ लोगों ने जिलाधीश हमीरपुर से इन वन-गायों को पकड़वाने की प्रार्थना की थी? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, जंगली गायों को पकड़ने वाली पार्टी का पता तथा उनके खर्चे का विवरण जानने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामगोपाल गुप्त---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह कार्यवाही कब से हो रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कई महीने से।

श्री रामगोपाल गुप्त---क्या सरकार को मालूम है कि गांव वालों ने स्वयं वन-गायों को पकड़वाने का प्रयत्न किया था और रुपये की कमी के कारण जब वह पार्टी चली गई और जिलाधीश के पास गये तो उसने कोई वित्तीय सहायता देने की कृपा नहीं की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसकी सूचना मेरे तक नहीं पहुंची।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---सरकार वन-गायों को पकड़ कर कहां भेजती है या उनका क्या किया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वे पालतू की जावेंगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा---अभी तक कितनी गायें पकड़ी जा चुकी हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---अभी तो शुरूआत नहीं हुई।

सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने का सुझाव

*४०---श्रीमती चन्द्रावती---क्या स्वास्थ्य मंत्री इस पर विचार करने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समस्त सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द कर दी जावे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---धनाभाव के कारण राज्य सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है और न यह प्रश्न उसके विचाराधीन ही है। परन्तु केन्द्रीय सरकार के सामने यह प्रश्न अवश्य विचाराधीन है। २९ जून, १९५७ ई० को All India Health Ministers Conference देहली में यह प्रश्न विचाराधीन था।

श्रीमती चन्द्रावती---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जो धनाभाव का कारण है इसका कितना तखमीना है जो कि बजट को सहन करना होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ठीक तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन काफी लम्बी रकम है।

श्रीमती चन्द्रावती---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि २९ जून, सन् १९५७ को जो आल इंडिया हेल्थ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें अन्तिम निर्णय क्या हुआ था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हम लोगों की सम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ कि जो ज्यादती रकम सर्फ होगी, अगर उसको केन्द्रीय सरकार परमानेंट बेसिस पर बर्दाश्त करने के लिये तैयार हो तो हम लोगों को भी ऐसा करना स्वीकार है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी इसको सीमित क्षेत्र में प्रयोग करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी तो कब्ल-अज-वक्त बावेला है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---जो हेल्थ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में प्रस्ताव पास हुआ था, उसका कोई उत्तर भारत सरकार ने दिया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी नहीं।

हरिद्वार में भिखारियों के लिए आश्रम तथा लखनऊ और गोरखपुर में अंधों के लिये स्कूल

*४१---श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के बिना आय के अन्धे, लंगड़े बेकारों के लिये कोई योजना बनाने पर वह विचार कर रही है ?

*४२--यदि हां, तो कब तक ?

समाज कल्याण उपमंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)--सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हरिद्वार में भिखारियों के लिये गृह तथा लखनऊ व गोरखपुर में अंधों के लिये स्कूल स्थापित किया है।

श्री गणेशचन्द्र काछी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि स्कूल और मकानों के अतिरिक्त अंधे लंगड़े अपाहिजों के भरण-पोषण के लिये सरकार कुछ कर रही है या नहीं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--मैंने अपने उत्तर में घर नहीं कहा बल्कि आश्रम कहा था। सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हरिद्वार में भिखारियों के लिये आश्रम स्थापित किया है।

श्री गणेशचन्द्र काछी--इसके अलावा उनके खाने पीने के लिये सरकार कुछ कर रही है या नहीं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--जी नहीं।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस तरह से लूले, लंगड़े, अपाहिजों के लिये प्रत्येक जिले में कोई ऐसी संस्था स्थापित की गयी है जिसके आधार पर बैगर हाउसेज में रखे जायं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--जी नहीं।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस आश्रम में कितने लंगड़े और लूले इकट्ठे किये गये हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--पहले वर्ष में २५।

श्रीमती चन्द्रावती--क्या माननीय उप-मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि यह जो हरिद्वार में भिखारियों के लिये आश्रम खोला है उसमें भिखारियों की संख्या के आंकड़े क्या हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--यह आश्रम ७५ पुरुष और २५ स्त्रियों के लिये बनाया गया है। इस समय ३५ नर और नारियां सब मिलाकर हैं।

'भेड़िया बच्चा रामू' के सम्बन्ध में जानकारी

*४३--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रामू (भेड़िया का बच्चा) जो लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में है उस पर अब तक कितना धन व्यय हुआ है और वह आज किस दशा में है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--करीब ३,००० रुपये। उसकी दशा अब पहले से बहुत अच्छी है। जो एक बालक को खाना चाहिये वह खाता है। बच्चों की तरह खेलता है तथा उसमें कुछ-कुछ मानवी गुण व्यक्त होने लगे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बच्चे को किस प्रकार की सोसाइटी दी जाती है जिससे इसमें मानवचित गुण उत्पन्न हो सकें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उसको आदमियों के बीच में रक्खा जाता है।

नोट--तारांकित प्रश्न ४३ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत चिकित्सालय भवन निर्माण योजना

*४४—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रदेश में कितनी कितनी एलोपैथिक व आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां ऐसी हैं जिनके भवन अभी तक नहीं बने हैं? क्या सरकार जिलवार इनकी संख्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रदेश में २५१ एलोपैथिक तथा ४७२ आयुर्वेदिक एवं यूनानी राजकीय चिकित्सालय ऐसे हैं जिनके निजी भवन नहीं हैं। जिलवार सूची बहुत लम्बी है। माननीय सदस्य उसको सचिवालय में देख सकते हैं।

*४५—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी डिस्पेंसरियों के भवन बनाने जा रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१४२ डिस्पेंसरियों के।

*४६—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—[२६ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ९२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

इलाहाबाद के नैनी इंडस्ट्रियल एरिया का उत्पादन

*४७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के नैनी इंडस्ट्री एरिया में कितने कारखानों में कौन-कौन सा सामान तैयार होता है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सहायता तथा पुनर्वासन विभाग द्वारा स्थापित इलाहाबाद के नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में इस समय १४ कारखानों में निम्न सामान तैयार होता है:—

ताले, साइकिल, साइकिल की गद्दी, स्टैन्ड तथा अन्य भाग, खेल का सामान, चाय का मिश्रण तथा बंडल (पैकेट) चूना और सुरखी, दवा, स्याही, आटा और करबी, साबुन, कृषि संबंधी यंत्र तथा तेल के कारखाने के पुरजे, तेल तथा इंजीनियरिंग का सामान, दूध का सामान, लकड़ी का सामान।

छात्रवृत्ति तथा नियुक्तियों में सुविधा पाने वाली पिछड़ी जातियां

*४८—श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति आदि सुविधायें देने के लिये किन-किन जातियों को पिछड़ी जातियों की सूची में समाविष्ट किया गया है?

श्री मंगलाप्रसाद—आवश्यक सूचना संलग्न सूची "क" में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १८४ पर)

*४९—श्री जयराम वर्मा—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि नियुक्ति के लिये पिछड़ी जातियों की सूची में किन-किन जातियों को समाविष्ट किया गया है?

श्री मंगला प्रसाद—संबंधित सूचना सूची "ख" में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १८५ पर)

हल्द्वानी शहर का अस्पताल

*५०—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि हल्द्वानी शहर का अस्पताल प्रांतीय स्तर का है? यदि हां, तो उसमें कितने डाक्टर कम्पाउन्डर, नर्स व वार्ड हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, १ डाक्टर, ३ कम्पाउन्डर, ७ वार्ड याएज हैं। नर्स कोई भी नहीं है।

*५१—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६-५७ में कितने मरीजों का यहां इलाज हुआ ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—१९५६-५७ में ९१३ इनडोर और ३१,५९३ आउटडोर मरीजों का इलाज हुआ।

*५२—श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त अस्पताल में कितने बिस्तर हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—२४।

स्वास्थ्य मंत्री दान कोष में रखी हुई रकम का कबाल टाउन्स में वितरण

*५३—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ के बजट में स्वास्थ्य मंत्री कोष के लिये रखी गई धनराशि का वितरण किन नियमों के आधार पर और किन-किन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को उक्त धनराशि में से कितनी-कितनी सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—(क) १९५६-५७ के बजट में स्वास्थ्य मंत्री के दान कोष के लिये रखी गई धनराशि का विवरण परिशिष्ट (क) में दिये गये नियमों के अनुसार किया गया है।

(ख) दान कोष में से जिन-जिन व्यक्तियों को जितनी सहायता दी गई है उनकी सूची इतनी लम्बी है कि उसे तैयार करके प्रस्तुत करने में बहुत श्रम तथा समय लगेगा। अतएव माननीय सदस्य चाहें तो इसका ब्यौरा कार्यालय में आकर देख सकते हैं।

(देखिये नत्थी 'च' पीछे पृष्ठ—१८६—पर।)

*५४—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त धनराशि में से कितना धन KABAL towns में अलग-अलग शहर को दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त दान कोष में से KABAL towns में निम्न धनराशि अलग-अलग दी गई है:—

				रु०
कानपुर	..	..	..	४,३६०
आगरा	..	..	..	२,१७०
बनारस	..	..	..	१,८६०
इलाहाबाद	..	..	..	२,१९०
लखनऊ	..	..	..	३३,८७०
		कुल	..	४४,४५०

हमीरपुर जिले की इमिलिया डिस्पेंसरी में डाक्टर का न होना

*५५—श्री रामगोपाल गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इमिलिया (हमीरपुर) के सरकारी अस्पताल में कब तक कोई डाक्टर भेज दिया जायगा ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—हमीरपुर जिले के इमिलिया डिस्पेन्सरी में डाक्टर भेजने का प्रबन्ध किया जा रहा है। शीघ्र ही पहुंच जावेगा।

*५६—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—[१४ अगस्त, १९५७ के लिये स्थानान्तरित किया गया।]

मलगवां गोसदन, जिला इटावा में गायों के इलाज की व्यवस्था

*५७—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मलगवां गोसदन जो जिला इटावा में है उसमें वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में कितनी गायें बाहर से आईं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—९०२ गायें बाहर से आईं।

*५८—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त गोसदन में वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में कितनी गायें मरी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—७५६ गायें मरीं।

*५९—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या उक्त गोसदन में गायों के लिये बीमारी का इलाज करने की कोई व्यवस्था है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त गोसदन में बीमार गायों का तुरन्त इलाज करने के वास्ते एक स्टाकमैन रहता है और आवश्यक दवाओं का भी समुचित प्रबन्ध है। इसके अतिरिक्त पास ही महेवा का पशु चिकित्सालय है जहां के विटरीनरी असिस्टेन्ट सर्जन की सेवायें आवश्यकतानुसार प्राप्त कर ली जाती हैं।

*६०—राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—[२३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १०३ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*६१—श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)—[२३ अगस्त, १९५७ के प्रश्न संख्या १११ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

गोरखपुर जिले में गोसदन का न खुल सकना

*६२—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने गोरखपुर जिले में कोई गोसदन खोलने की योजना बना रक्खी है ? यदि हां, तो वह अब तक क्यों नहीं खोला गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। गोरखपुर जिले में राज्य जिला तथा निजी तीनों प्रकार के गोसदन खोलने की योजना है परन्तु उपयुक्त भूमि के उपलब्ध न होने के कारण अभी तक कोई गोसदन नहीं खोला जा सका।

*६३—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार को इस कार्य के लिये कुछ जमीन प्राप्त है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं, अभी तक कोई उपयुक्त भूमि प्राप्त नहीं हो सकी।

गोंडा जिले के बभनीपायर परगने में चिकित्सालय का न होना

*६४—श्री राधवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा, परगना बभनीपायर में कितने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी अस्पताल हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—कोई अस्पताल नहीं है।

*६५—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—[२३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १०४ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

हरदोई जिले में डेरी खोलने के लिये तकावी

*६६—श्री मोहन लाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में १९५० से १९५६ तक किन-किन व्यक्तियों को dairy खोलने के लिये कितनी-कितनी तकावी दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हरदोई जिले में सन् १९५० से १९५६ तक डेयरी खोलने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों को तकावी दी गई:—

वर्ष	नाम	धन जो ऋण रूप में दिया गया
		रु०
१९५२–५३	श्री प्रताप सिंह	८,०००
१९५४–५५	श्री नत्था सिंह	४,०००
१९५६–५७	श्री विभूति सिंह महेश सिंह ..	५,०००

*६७—श्री मोहन लाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तकावी लेने वाले ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी Dairy इस समय चल रही है और उन Dairies में कितने-कितने और कौन-कौन जानवर हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्री प्रताप सिंह जिला हरदोई, डेयरी खोलने में असमर्थ रहे अतः उन्होंने सारा ८,००० रुपया जो दिया गया था एक ही किस्त में वापस कर दिया।

श्री नत्थासिंह, ग्राम ततूरा की डेरी में इस समय ५ भैंसे हैं।

सर्वश्री विभूति सिंह महेश सिंह ग्राम रूरा, को ५,००० रुपये इस वर्ष मार्च में दिये गये हैं जिसका उपयोग उन्होंने अभी डेरी खोलने के लिये पूर्ण रूप से नहीं किया है। आशा की जाती है कि वर्षा के बाद जब कि अच्छे पशु मिला करते हैं वे दुधारू पशु खरीदेंगे।

मोदीनगर कपड़ा मिल मजदूर संघ तथा चीनी मिल मजदूर सभा दौराला के रजिस्ट्रेशन का विचाराधीन मामला

*६८—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मोदीनगर कपड़ा मिल मजदूर संघ तथा चीनी मिल मजदूर सभा दौराला के रजिस्ट्रेशन का मामला रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन, उत्तर प्रदेश के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

आचार्य जुगलकिशोर—(क) जी हां।

(ख) मोदीनगर कपड़ा मिल मजदूर संघ का तारीख ५–९–५६ से तथा चीनी मिल मजदूर सभा दौराला का २४–७–५६ से।

*६९—श्री गेंदासिंह—रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, उत्तर प्रदेश के यहां इस समय कितने रजिस्ट्रेशन के मामले विचाराधीन हैं, और कब से ?

आचार्य जुगल किशोर—(क) ५५।

(ख) इनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

फरवरी	१९५६	से ..	..	..	२
मार्च	,,	से ..	..	..	१
अप्रैल	,,	से ..	..	..	१
मई	,,	से	..	..	१
जुलाई	,,	से ..	..	..	२
अगस्त	,,	से ..	..	..	३
सितम्बर	,,	से ..	..	..	४
अक्टूबर	,,	से ..	..	..	१०
नवम्बर	,,	से ..	..	..	१
दिसम्बर	,,	से ..	..	..	३
जनवरी	१९५७	से ..	..	..	३
मार्च	,,	से ..	..	..	६
अप्रैल	,,	से ..	..	..	५
मई	,,	से ..	..	..	७
जून	,,	से ..	..	..	६
		योग	..		५५

बदायूं जिला हेल्थ आफिसर के कार्यालय के हेडक्लर्क का तबादला

*७०—श्री गोविंदसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला हेल्थ आफीसर के कार्यालय के हेड क्लर्कों का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया जाता है? यदि हां, तो किस अवधि के बाद?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—जी हां। परन्तु कोई अवधि निर्धारित नहीं है।

*७१—श्री गोविंदसिंह बिष्ट—क्या यह सही है कि बदायूं जिले के हेड क्लर्क लगभग ६ वर्ष से उसी स्थान पर हैं?

श्री हुकुम सिंह बिसेन—जी हां। परन्तु अब उनके स्थानान्तरण के आदेश जारी हो चुके हैं।

रुई उत्पादन प्रचार पर वार्षिक व्यय

*७२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में रुई उत्पादन प्रचार पर वार्षिक कितना व्यय होता है और किन-किन क्षेत्रों में?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—रुई उत्पादन प्रचार पर १२,५०० रु० वार्षिक बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर, बदायूं, रामपुर, नैनीताल, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर व मुरादाबाद जिलों के क्षेत्रों में व्यय होता है।

*७३—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रचार के लिये क्षेत्रों का चुनाव, किस आधार पर किया जाता है?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—क्षेत्रों का चुनाव कपास उगाने वाली अच्छी जमीन की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

सेनेटरी इन्सपेक्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों की नियुक्ति

*७४--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६-५७ में कितने व्यक्ति सेनीटरी इन्स्पेक्टर के ट्रेनिंग की परीक्षा में सफल हुये और उनमें से कितनों की नियुक्तियां हो गई हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सन् १९५६-५७ में सेनेटरी इन्सपेक्टर की परीक्षा में १४३ व्यक्ति सफल हुये। जिनमें से २ अभ्यर्थी पहले ही से नगरपालिकाओं में काम कर रहे हैं और तीन अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी हो चुके हैं।

*७५--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--[२३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*७६-७८--श्री बुलाकी राम--(जिला हरदोई)--[२३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १०६-१०८ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

बेरोजगारों की गणना की आवश्यकता

*७९--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय--क्या सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार लोगों की गणना कराई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*८०-८१--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[२३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १०९-११० के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

स्टेट वैक्सीन इन्स्टीट्यूट पटवाडांगर से संबंधित शिकायत

*८२--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार के पास स्टेट वैक्सीन इन्स्टीटयूट पटवाडांगर नैनीताल बरेली के सीर इन्स्टीटयूट के पट्टे लेने के ठेकों के सम्बन्ध में इस वर्ष कोई शिकायत आई है ? यदि हां, तो सरकार ने उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--सरकार के पास इस वर्ष सर्वश्री अब्दुल अजीज तुफैल अहमद, बरेली के द्वारा स्टेट वैक्सीन इन्स्टीटयूट पटवाडांगर में पड़वे लेने के सम्बन्ध में एक शिकायत आई थी। सरकार ने उसकी बाकायदा जांच कराई परन्तु शिकायतों के सर्वथा निर्मूल सिद्ध होने पर किसी अन्तिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई। सर्वश्री अब्दुल अजीज तुफैल अहमद को सरकार के इस निर्णय की सूचना संचालक, चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा दे दी गई हैं। बरेली के सीर इन्स्टीटयूट जो पशुपालन विभाग के नीचे हैं उसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई।

रासायनिक खादों को सस्ते भाव में देने का विचार

*८३--श्री राम स्वरूप वर्मा--क्या यू० पी० में प्रयोग में आने वाली रासायनिक खादों को और विशेषकर खली की खादों को सस्ते से सस्ते भाव में देने के लिये सरकार ने कोई उपाय सोचा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन-- जी हां।

*८४-श्री राम स्वरूप वर्मा--क्या सरकार यू० पी० के बाहर भेजे जाने वाली खली पर कोई रोक लगाने वाली है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन-- जी नहीं। इस समय कोई ऐसा सुझाव नहीं है।

राज्य में इन्फ्लुएंजा से मृत्यु

*८५--श्री अमरेश चन्द्र पांडेय-- क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि नये किस्म के इन्फ्लुएञ्जा बुखार से हमारे प्रदेश में कितने आदमी १९५७ में पीड़ित हुए और उनमें से कितने आदमी मर गये।

श्री हुकुमसिंह विसेन-- यह बीमारी उत्तर प्रदेश में पहिली जून से शुरू हुई, तब से जुलाई २८ तक इन्फ्लुएञ्जा बुखार से उत्तर प्रदेश में १,४७,८४७ व्यक्ति ग्रसित हुये और उनमें से ३७ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

आजमगढ़ जिला निरीक्षक के कार्यालय से हायर सेंकेंडरी स्कूलों के पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*८६--श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)-- क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५६-५७ में आजमगढ़ जिले में पिछड़ी हुई जातियों के हायर सेकेंडरी स्कूलों के कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां आजमगढ़ जिला निरीक्षक के कार्यालय द्वारा प्रदान की गईं?

श्री मंगलाप्रसाद-- ७१।

*८७--श्री विश्रामराय-- क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन छात्रवृत्तियों के वितरित करने का आधार क्या था?

श्री हुकुम सिंह विसेन-- (१) छात्रवृत्तियों के बांटने का आधार संचालक, हरिजन कल्याण द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार निर्धारित किये हुये आधार के अनुसार तथा जिला हरिजन सहायक उपसमिति की सलाह से जिला विद्यालय निरीक्षक गण अपने-अपने जिलों में इन छात्रवृत्तियों का निर्णय करते हैं।

(२) सन् १९५६-५७ में छात्रवृत्तियां पहले उन विद्यार्थियों को दी गईं जो पिछले वर्ष से छात्रवृत्तियां पा रहे थे तथा जिनकी प्रगति व चरित्र सन्तोषजनक थे। उसके बाद बची हुई छात्रवृत्तियां नए छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर दी गईं।

*८८-८९--श्री जगदीशशरण अग्रवाल--[२३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ९८-९९ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

मिडवाइफ के ट्रेनिंग सेंटर बढ़ाने का विचार

*९०--श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी)--क्या सरकार मिडवाइफों के ट्रेनिंग केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है?

श्री हुकुम सिंह विसेन-- जी हां।

अतारांकित प्रश्न

१-२--श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)--[१३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १-२ अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

भूतपूर्व अपराधशील जातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें

३--कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)-- क्या परिगणित जातियों के समान भूतपूर्व अपराधशील जातियों के विद्यार्थियों को भी शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त हैं?

श्री मंगलाप्रसाद--भूतपूर्व अपराधशील जातियों में से वह जातियां जो कि अनुसूचित जातियों में सम्मिलित हैं उनके विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी सभी सुविधायें प्राप्त हैं जो अन्य अनुसूचित जातियों के लिये हैं।

बलिया जिले में गेस्ट्रोइन्ट्राइटिस एवं हैजे से ५०० व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास श्री गौरीशंकर राय का एक कामरोको प्रस्ताव आया है। वह इस प्रकार है :--

"बलिया जिले में गैस्ट्रोइन्टाइटिस एवं हैजे से ५०० व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने से परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयी है। इस आवश्यक एवं सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन आज का कार्य स्थगित करता है"।

यह स्पष्ट सा है कि कब से कब तक के समय में मरे कोई समय उसका दिया नहीं है दूसरी बात यह है कि बजट चल ही रहा है तो इस विषय पर चर्चा हो ही सकती है। मैं अनावश्यक और अनिश्चित होने के कारण इसकी इजाजत नहीं देता।

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २२--लेखा शीर्षक ४०--उपनिवेशन

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव उपस्थित किया जायगा। माननीय माल मंत्री अनुदान संख्या २२ उपस्थित करेंगे जिसके लिये कल एक घंटा समय देने के लिये तय हुआ था। बाकी जो समय बचेगा उसमें और कल के दिन अनुदान संख्या २ पर विवाद होगा तो अनुदान संख्या २२ वे कृपा करके पेश करें।

*माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२--उपनिवेशन--लेखा शीर्षक ४०--कृषि के अन्तर्गत ७१,९६,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस मांग के जरिये जो ८ कालोनाइजेशन स्कीम्स हैं उनके लिये और दो स्टेट फार्म्स--तराई स्टेट फार्म और हेमपुर फार्म के लिये रुपया मांगा जा रहा है। ७१,९७,००० रुपये की कुल मांग है, उसमें से १५,७०,००० रुपये तो ६ पुरानी कालोनाइजेशन स्कीम्स--तराई कालोनाइजेशन स्कीम, काशीपुर कालोनाइजेशन स्कीम, ये दो तो नैनीताल जिले में हैं, और मनुनगर स्कीम रामपुर जिले में है, अफजलगढ़ बिजनौर जिले में है दूनागिरि योजना अल्मोड़ा में है और गंगा खादर योजना हस्तिनापुर जिला मेरठ में है। जो सन् १९४८-४९ के लगभग शुरू हुई थी, के लिये होगा और बाकी ५६ सवा ५६ लाख रुपया हेमपुर स्टेट फार्म और तराई स्टेट फार्म तथा लखीमपुर खीरी स्कीम और पीलीभीत कालोनाइजेशन स्कीम के लिये मांगा जायगा। जो पुरानी ६ स्कीम्स हैं उनको ऐडमिनिस्टर करता है रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट और लखीमपुर खीरी और पीलीभीत स्कीम तथा तराई स्टेट और हेमपुर स्टेट फार्म ये चार स्कीम्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत हैं। लेकिन बजट की सहूलियत की वजह से चूंकि पहले ये सब एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के ही अन्तर्गत थे, इसलिये एक हेड के अन्तर्गत ही मूव कर रहा हूं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड के अन्दर जो पुरानी स्कीम्स हैं वे हैं, दो बड़ी-बड़ी कालोनाइजेशन स्कीम्स हैं लखीमपुर खीरी व पीलीभीत स्कीम। पीलीभीत की कालोनाइजेशन स्कीम वैसे ७७,००,००० रुपये की है लेकिन उसके लिये ८,१२,००० रुपया मांगा जा रहा है। लखीमपुर खीरी स्कीम के लिये कुल रकम ६९,००,००० रुपये है और इस पर काम शुरू भी हो चुका है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीसरी बात यह है कि पीलीभीत कालोनाइजेशन स्कीम जो सेकंड फाइव ईयर प्लान (second five year plan) में शामिल है, वहां ६७५ आदमियों को बसाने की योजना है। इस योजना पर ८–९ लाख रुपया पहले साल खर्च हुआ कुल ७७–७८ लाख का यह खर्च था। इसके बाद तराई स्टेट फार्म है जो १६ हजार एकड़ का फार्म है और यह देश का सब से बड़ा फार्म है, यह काफी दिनों से चल रहा है और इस में केवल खेती ही नहीं बल्कि बागात, हार्टिकल्चर पोल्ट्री फार्मिंग फिशरीज का भी काम है। मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि केवल १ घंटा ही उसके लिये है। मेरे पास इन तमाम स्कीम्स के आंकड़े बहुत तफसील से मौजूद हैं। जो पुरानी ६ स्कीम्स हैं उनमें १,६०,३०९ एकड़ जमीन रिक्लेम की जा रही है, जिसके अन्तर्गत १०६ नये गांव स्थापित किये गये हैं, ९,१५७ खानदानों को बसाया गया है और २०६ कोआपरेटिव सोसाइटीज़ कायम हुई हैं। एन्टी मलेरिया यूनिट्स भी कायम किये गये हैं। इसी तरह से ३,५०० एकड़ जमीन गंगा खादर और अफजलगढ़, बिजनौर में क्लेम करना चाहते हैं। वहां कुल ७,००० एकड़ जमीन तोड़ना चाहते हैं, इस सेकेंड फाइव ईयर प्लान में।

तराई कालोनाइजेशन एरिया में सरकार ने यह तय किया है कि अगर कहीं सर्किल रेट से दुगुना लगान होगा तो वह १३६५ फसली से कम किया जायगा, इस तरह से ७८–७९ हजार रुपये का हिसाब आता है और यह १ जुलाई, १९५७ से लागू होगा। बाकी वहां एक पावर हाउस काम कर रहा है। मकानों का बहुत सा व्यय है, हस्तिनापुर के लोगों पर आधा माफ कर दिया है क्योंकि पानी से वहां कुछ नुकसान हो गया था और बाकी आधा २० सालाना किस्तों में वसूल किया जायगा। जंगलात के एफ्रेस्टेशन का भी काम हो रहा है। यह मैंने ६ स्कीम्स के आंकड़े बताये।

तराई स्टेट फार्म का १६ हजार एकड़ का क्षेत्र है और वहां ५३७ जानवरों का कैटिल या डेरी फार्म है और वहां पोल्ट्रीफार्म भी है जिसमें ३०० अंडा देने वाली मुर्गियां वगैरह हैं। लखीमपुर खीरी में भी दस हजार एकड़ भूमि तोड़ी जा रही है और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के ६०० खानदान वहां बसाये जा रहे हैं और ७५ पढ़े लिखे बेरोजगारों को बसाया जायगा और वहां पर १,३०० रुपया प्रति मकान इन सेटिल होने वाले लोगों को दिया जायगा। जिसमें से ५०० तो सबसिडी के तौर पर उनको दिया जायगा और ८०० रुपया उन से वसूल किया जायगा। जैसा कि मैंने बताया कि पीलीभीत वाली स्कीम है, वहां भी ६७५ आदमी बसाये जायेंगे। तो ७७,००,००० रुपया उसके लिये और ७८,००,००० रुपया दूसरे के लिये, यह खर्चा ज्यादा मालूम होता है, यह ठीक है। लेकिन दरअसल खर्चा ज्यादा होगा उस इलाके के ओपिन अप करने में। लखीमपुर में ७८,००,००० रुपये में से २८,००,००० रुपये केवल सड़क, कलवर्ट, सेनीटरी कंडीशंस वगैरह वगैरह कायम करने के लिये खर्च होगा। इसलिये खर्च की कुल रकम बढ़ी हुई दिखाई देती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव फिर दोहराता हूं और आशा करता हूं कि यह मांग स्वीकृत होगी।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से प्रस्तुत अनुदान में १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। वास्तव में सरकारी फार्म जो खोले जाते हैं उनका कोई उद्देश्य होता है। दिक्कत हमारी यह है कि अभी राजस्व मंत्री जी ने अपने अनुदान को पेश करते हुये यह फरमाया कि कुछ अनुदानों से उनका कोई निकट का सरोकार नहीं है लेकिन कुछ कागजी झमेलों की वजह से पेश कर रहे हैं। बड़ी दिक्कत होती है, जो आदमी पहले ही मैदान छोड़ कर भाग जाय उससे किस तरह से बात की जाय। यों तो ज्वाइंट रेसपांसिबिलिटी है। लेकिन यह कहने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

कि यह ज्वाइंट रेसपांसिबिलिटी नहीं है। तो फिर यह कहें कि चूंकि कागजी झमेला है इसलिये इसको पेश कर रहा हूं। वर्ना यह अनुदान तो कृषि से सम्बन्ध रखता है। अगर रेवेन्यू से सम्बन्ध रखता तो कुछ लुत्फ आता, उनसे बातचीत की जाती.....

श्री अध्यक्ष—बातचीत करने के लिये वह तैयार हैं।

श्री गेंदासिंह—तैयार तो हैं लेकिन जो असली बात होती है उसको वह सुनने से ही गुरेज करते हैं।

श्री चरणसिंह—असली लफ्ज मैंने सुन लिया लुत्फवाला।

श्री गेंदासिंह—बगैर सुने लुत्फ लेंगे तो लुत्फ नहीं रह जायगा। तो मैं निवेदन करूं कि मुझे कुछ इन फार्मों को भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले उन्हें यह बताना चाहिये कि जो बड़े-बड़े फार्म खोले गये हैं वे किस उद्देश्य से खोले गये हैं। मैं स्मरण दिला दूं कि इन फार्मों को खोलने का उद्देश्य दो प्रकार का हो सकता है और शायद है। एक तो यह कि अच्छा बीज वहां पैदा करके सारे देश के किसानों को मुहैय्या कर सकें। दूसरा उद्देश्य यह भी है कि जो लोग धनहीन हैं उनको जमीन दे करके उनकी गुजर करायी जा सके। इन दोनों चीजों में ये फार्म कहां तक सफल हुये हैं, यह देखने की बात है।

जहां तक बीज का सम्बन्ध है मैं समझता हूं इन फार्मों ने नाम मात्र को बीज देश को सप्लाई किया है। खास तौर से १२ हजार १० हजार एकड़ में से, दोनों में से जो भी सही हो, स्टेट फार्म तराई का बड़ा भारी फार्म है लेकिन उससे मैं यह जानना चाहूंगा कि सिवा मुर्गी के पालन की विद्या के, जो वहां की है, और प्रशंसा के योग्य है, दूसरे पशुओं का कोई प्रबंध हुआ है। मैं समझता हूं, दूसरे पशुओं का प्रबंध बहुत ही नामाकूल है।

(इस समय १२ बजकर १४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और श्री उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

जहां तक बीज सप्लाई करने का प्रबंध है, वह सप्लाई भी किया जाता है या नहीं, इसमें भी शक है।

जहां तक नफे-नुकसान का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि अगर उस फार्म ने गन्ने की खेती न की होती तो वह फार्म नुक्सान में रहता। उस गन्ने की खेती ने एक मुसीबत पैदा की। वह यह कि फार्म को नफे में दिखाने के लिये उसको जितना गन्ना नहीं बोना चाहिये था उतना बोया और छोटे काश्तकार जो मिलों में गन्ना सप्लाई करते थे, उनके उस हक को छीन लिया और उनके हक को छीनने का नतीजा यह हुआ कि कुछ का गन्ना खड़ा रहा, कुछ को घाटे पर गुड़ बनाना पड़ा और कुछ को बहुत ही सस्ती कीमत पर अपने गन्ने को मिलों को देना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि सरकार को इसकी सफाई देनी चाहिए कि इस तराई स्टेट फार्म में जो मुनाफा दिखाया जा रहा है उस मुनाफे का कारण क्या है? क्या गन्ना ज्यादा पैदा करना है या जिस उद्देश्य से यह स्टेट फार्म बनाया गया था उस काम को करते हुए आज वह मुनाफे में है। जहां तक मेरी जानकारी है क्रमशः यह स्टेट फार्म घाटे की तरफ जा रहा है। तो जब जमीन परती पड़ी होती तो तब तो घाटे की बात सोची जा सकती थी लेकिन जब तोड़ी जा चुकी है और खेती होने लगी तो फिर तो घाटे का सवाल उठता नहीं है और मैं समझता हूं कि जब दूसरी बार माननीय राजस्व मंत्री जी खड़े होंगे तो वह इस हाउस को बताने की मेहरबानी करेंगे कि इस तराई स्टेट फार्म में जब से यह चलाया जा रहा है तब से आज तक की प्रगति क्या है? घाटा है, मुनाफा है या क्या बात है, सब चीजों पर जरा रोशनी डालें तो फिर हाउस को अपने फैसले में ज्यादा मदद मिले।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन जो आबाद की जाती है उस पर किस तरह के लोगों को आबाद किया जाता है। मैं इस सम्बन्ध में यह जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ कमेटियां बैठती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटियां होती हैं। हमारे राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जी ने एक कमेटी बैठायी थी जे० सी० कुमारप्पा की सदारत में। कुमारप्पा साहब हमारे देश के उन वैज्ञानिकों और उन अर्थशास्त्रियों में से हैं जिनकी विद्वता, जिनके ज्ञान में कोई झगड़ा नहीं खड़ा किया जा सकता। उन्होंने हिन्दुस्तान का दौरा किया और दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी अब नयी जमीन तोड़ी जाय उस जमीन को एक्सपरिमेंटल तरीके पर कोआपरेटिव फार्मिग और कलेक्टिव फार्मिग में इस्तेमाल करना चाहिए। यह बात सही है कि कोआपरेटिव फार्मिग जिस ढंग पर हिन्दुस्तान चलाये जाने की बात सोची जा रही है उससे कोआपरेटिव फार्मिग सफल नहीं हो सकती। चाइना की कोआपरेटिव फार्मिग सफल नहीं हो सकती। चाइना की कोआपरेटिव फार्मिग का जो आदर्श हमारे सामने है उसमें से आधा लेना, आधा न लेना, उस पर कोआपरेटिव फार्मिग यहां सफल हो सकती है, यह मैं नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि इस माननीय सदन को चाइना की कोआपरेटिव फार्मिग के ऊपर भी विचार करना चाहिए और जो अभी कोआपरेटिव डेलीगेशन यहां से चाइना गया था उसने जो कुछ भी वहां के संबंध में स्टडी किया है और जो कुछ भी बड़ी कीमती रिपोर्ट दी है उसकी भी जानकारी माननीय सदस्यों को होनी चाहिए। कभी कभी कुछ किताबों में कोई बात छप जाती है और उसके आधे ज्ञान से कोई राय कायम नहीं की जा सकती।

सवाल यह है कि अगर जे० सी० कुमारप्पा साहब की राय हमारी सरकार को मंजूर नहीं है कि कोआपरेटिव फार्मिग नयी जमीन पर की जाय, कलेक्टिव फार्मिग की जाय, तो इसका कोई आज जबाव नहीं हो सकता जब कि प्लानिंग कमीशन कहता है कि कोआपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिए इस देश में। अकेले चरणसिंह जी के ख्याल से या उनके साथ हमारे भी सटे रहने से ही यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि कोआपरेटिव फार्मिंग न हो। यह तो एक आर्डर आफ दी डे मालूम होता है और हिन्दुस्तान भर में उसकी बड़ी चर्चा है। जहां नयी जमीनें तोड़ी जा रही हैं, १०, १०, हजार ५, ५ हजार एकड़ जमीनें तोड़ी जा रही हैं उसके सिलसिले में, कालोनाइजेशन स्कीम के सिलसिले में मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं वहां पर जमीन उन लोगों को दी जाय जिनके पास कि जीविका के कोई साधन न हों--उन लोगों को तो जमीन देने का मैं बड़ा विरोधी हूं जो बड़े-बड़े आदमी हैं और मैं जानना चाहता हूं कि ९ हजार कुछ सौ माननीय मन्त्री जी ने अभी बताया कि इतने आदमियों को जमीन दी गई, उनमें से कितने प्रतिशत लैंडलेस हैं, कितने प्रतिशत ऐसे हैं जिनको कोई जीविका का सहारा नहीं है? यह जानने की बात है। मैं दाव के साथ कह सकता हूं कि आज भी संख्या प्रतिशत में उन किसानों की भले ही ज्यादा निकल जाय जिनको कि थोड़ी थोड़ी जमीन अपनी जीविका को चलाने के लिए दी गई है। लेकिन उस जमीन का कितने प्रतिशत ऐसे लोगों को दिया गया है जिनके पास बड़े बड़े साधन मौजूद हैं, कारखाने मौजूद हैं और दूसरे स्थान पर जमीनें मौजूद हैं। यह बड़ी भारी शिकायत है। मैं समझता हूं कि इसका जबाव बहुत संतोषजनक ढंग से सरकार को देना चाहिये।

उस दिन बहस के दौरान में जब कोई मौका नहीं था राजस्व मंत्री जी ने देवरिया के सम्बन्ध में कहा, खास कर गेंदासिंह को सम्बोधित करके, कि वे लखीमपुर की तराई योजना में अपने यहां के आदमियों को भेजें। मैं पूछना चाहता हूं कि मुझको इस सम्बन्ध में किसने बताया। माननीय राजस्व मंत्री ने कभी कहा हो और मैं भूल गया हूं तो मैं मान जाऊंगा कि वे सच्चे हैं। लेकिन अगर और किसी ने कहा और मेरे बारे में वह बतावे तो मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि वह झूठ बोलता है। मैं तो चाहता हूं कि जहां पर भी कोई हो अगर उसकी जीविका का साधन वहां नहीं है तो उसे वहां जाना चाहिये। मैं

[श्री गेंदा सिंह]

उनका यह भ्रम दूर कर देना चाहता हूं। आज भी वहां के लाखों आदमी बाहर जा कर अपनी जीविका कमाते हैं और अब भी जाने को तैयार हैं। मैं बहुत ही आग्रहपूर्वक व नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई तराई में लोगों को बसाने की योजना चलानी है तो उस योजना के सम्बन्ध में हमेशा इस बात को सोचना चाहिये कि एक नया एक्सपेरीमेंट हो और हम दुनियां को दिखा सकें कि हमारे यहां जो दूसरी जगहों पर काम करते हैं उस काम में कम मेहनत करने वाले लोग नहीं हैं, कम बुद्धि के लोग नहीं हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का गुजारा हो सके तो यह बहुत अच्छी बात है। लखीमपुर की जिस तराई में लोगों को बसाने के लिये माननीय मंत्री ने कहा, मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि हमारे यहां के लोग वहां गये हैं, आबाद हुए हैं और मालूम हुआ कि वहां के अफसरान की ज्यादतियों की वजह से लोगों को हंगरस्ट्राइक करना पड़ी। वह इसलिये करना पड़ी कि उनकी शिकायत की जांच नहीं होती, मामूली से मामूली बात में उनको तकलीफ दी जाती है।

छोटी-मोटी बातों की तरफ न जाकर मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि कुमारप्पा साहब की रिपोर्ट के अनुसार कलेक्टिव फार्मिंग हो या कोआपरेटिव एक ही बात है। कलेक्टिव के मानी फिर से जमीन लेना नहीं है। दोनों में कोई अन्तर नहीं पड़ता। कोआपरेटिव फार्मिंग में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां विषमता न हो। एक के पास ५० एकड़ और एक के पास २ एकड़ न हो।

अन्त में मैं एक बात कहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि वे कुछ छूट देने जा रहे हैं तराई के इलाके में। उन्होंने यह बड़ी मेहरबानी की। उन्होंने कहा कि ८७,००० रुपये काश्तकारों को मिलेंगे। ये इसलिये मिलेंगे कि दुगुना लगान उनसे वसूल किया जाता रहा है—सर्किल रेट से दुगुने से ज्यादा उसको कम करने में ८७,००० रु० का घाटा सरकार को पड़ेगा। अब मैं तस्वीर का दूसरा पहलू बताना चाहता हूं कि कितने वर्ष से यह ८७,००० रुपये इन गरीब काश्तकारों से पीट कर वसूल किये जा रहे हैं। पीटना लफ्ज जब कहता हूं तो वे तिलमिलाते हैं, लेकिन ८७,००० जब दुगुनी मालगुजारी के रूप में वसूल करते रहे उन किसानों से तो उनके दिल पर क्या असर पड़ता होगा, क्या आवाज उनके दिल से निकलती होगी वह हम दोनों जानते हैं; लेकिन चूंकि मैं यहां बैठता हूं इसलिये पीटना लफ्ज ठीक है और वे वहां बैठे हैं तो बिना पीटे वसूल करते हैं, उनको कोई उससे तकलीफ नहीं होती, खुशी से दे देते हैं, और अब वे ८७,००० रु० माफ करने जा रहे हैं। खैर ठीक है, लेकिन जो कुछ उन गरीबों से आज तक छीना गया है उसकी बाबत कुछ नहीं बताया गया। उस सबको वापस करने के लिये तो मैं नहीं कहता लेकिन पीट-पीट कर जो छाले उनकी पीठ पर पड़ गये हैं जरा उसके लिये भी कुछ मरहम पट्टी कर दीजिये तो मुनासिब होगा। माननीय राजस्व मंत्री जब जबाव दें तो इन बातों पर अगर रोशनी डाल दें तो बेहतर होगा।

श्री उपाध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अनुदान किसका है—कृषि मंत्री का या राजस्व मंत्री का ?

श्री चरणसिंह—यह मेरा ही है। खर्चा तो होगा कृषि विभाग से, लेकिन जिम्मेदारी मैं ही लिये ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अब ५ मिनट का समय मैं समझता हूं और भाषणों के लिये दे दिया जाय तो अच्छा है, क्योंकि एक ही घंटे का समय है।

श्री हरिदत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कालोनाइजेशन के सिलसिले में जो यह अनुदान की मांग की गयी है, मुझको इस सम्बन्ध में संक्षेप में एक दो बातें अपने जिले के सम्बन्ध में कहनी हैं, क्योंकि पहाड़ी जिलों में सिर्फ एक दूनागिरी जिला अल्मोड़ा में कालोनाइजेशन की स्कीम चल रही है। जहां तक मुझे जानकारी है ३०० परिवार वहां बसाये गये हैं और फी परिवार ४ एकड़ अर्थात् ८० नाली जमीन दी गयी है। वहां जमीन

नालियों में नापी जाती है। वहां जितने भी परिवार बसे हैं उनकी हालत जब हम देखते हैं तो यह कहना कठिन है कि स्कीम कामयाब हुई या नाकामयाब, उनकी माली हालत कैसी हुई और वहां की उपज की क्या हालत है। वहां पर ऐसे लोग बसे जो या तो फौजी लोग थे या पोलिटिकल सफरर थे। शायद कुछ और लोग भी बसाये गये। माननीय माल मंत्री जी की परिभाषा में जो लोग वहां बसाये गये, मैं समझता हूं, अधिकांश जमींदार होंगे। जिनकी जमींदारी एबालिशन की बात मंत्री जी कुमायूं में करते हैं और जिनकी जमींदारी एबालिश करने वाले हैं उनको जब वहां ४–४ एकड़ जमीन मिली तो उसको वह अपनी खुशकिस्मती समझकर उस लालच में वहां चले गये। लेकिन बसने के बाद जो उनकी हालत वहां हो रही है वह बहुत ही दयनीय और दर्दनाक है। दूनागिरी के सम्बन्ध में जो वहां के सैटलर्स हैं उनके डेपुटेशन भी कई दफा शायद हमारे मंत्री जी के पास पहुंचे, अपनी तकलीफें बयान करने के लिये, लेकिन उनको कोई राहत मिली नहीं।

मैं माल मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि दूनागिरी की स्कीम, कृषि का जहां तक ताल्लुक है, सफल होती दिखाई नहीं देती और आगे भी नहीं होगी। वहां बागबानी की ही स्कीम सफल हो सकती है। लिहाजा बागवानी का ही प्रयोग किया जाय। बहुत से सेट्लर्स जो मकरूज हो गये हैं और बर्बाद हो गये हैं वह अगर अपनी जमीन वापस करना चाहें तो खुशी से कर दें, उसका मुआविजा उनको दे दिया जाय। और जो सेट्लर्स इस शर्त पर जमीन देना चाहते हैं कि सरकार उस पर बाग लगाये और हार्टिकल्चर डिपार्टमेन्ट उसमें बाग लगाकर १० वर्ष तक उसको वापस दे दे, तो इस सुझाव को हमारे मंत्री जी ध्यान में रखें।

एक दूसरी जानकारी मुझे अफजलगढ़ कालोनाइजेशन के सम्बन्ध में देनी है। वहां पर जब जंगल साफ किया जा रहा था और नयी जमीन तैयार की जा रही थी, और शायद अब भी की जा रही होगी उसमें ठेकेदारों के पेमेंट के सिलसिले में जो धांधागर्दी हुई उसकी परसनल जानकारी मुझे है और मैंने परसनल रेप्रेजेन्टेशन किया है। वह गोलमाल देखने के काबिल है। किसी अफसर विशेष की नाराजगी की वजह से और मंशा पूरी न होने की वजह से ठेकेदारों और काम करने वालों को खमियाजा भुगतना पड़ा। उनकी जायज बात न मानी जाय और नुक्सान दिया जाय, यह बहुत वाजिब नहीं होगा और हमारी सरकार की बदनामी का बायस होगा।

बस इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मैं ऐसे मंत्री जी के विभाग की टीकाटिप्पणी करने के लिये खड़ा हुआ हूं जो प्रान्त में अपने को बड़ा अनुभवशील बताते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि वह प्रांत में अनुभवशील हों या न हों लेकिन मुझ से उम्र में जितने बड़े हैं उतने मुझ से ज्यादा अनुभवशील हो सकते हैं। लेकिन मैं कालोनाइजेशन की नीति पर उनको बधाई नहीं दे सकता हूं। मेरी समझ में नहीं आता है कि आज दुनियां उपनिवेशों को खत्म करती जा रही है लेकिन यह समाजवादी सरकार इसको स्थापित करने जा रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह मुझे सदन का एक सब से छोटा सदस्य होने के नाते सुनने का कष्ट करें। मैं मंत्री जी को तथा सदन के माननीय सदस्यों को रुद्रपुर का अपना तजुर्बा बतलाना चाहता हूं। वहां पर कालोनाइजेशन में लोगों ने अपने सर रगड़ दिये कि हमारे पास रहने व कमा खाने के लिये जमीन नहीं है, हमें मिलनी चाहिये। लेकिन उनको जमीन नहीं मिली। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि पार्लियामेंटरी पद्धति एलाऊ नहीं करती है। एक मेजर साहब हैं जिसको वह चाहते हैं, उनकी सिफारिश से उसको जमीन मिलती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि वह सरकार जो दुगुना लगान लेने को कह रही है इसलिये वह समाप्त होनी चाहिये।

[श्री प्रतापसिंह]

दूसरी बात यह है कि ७५,००० रुपये के सम्बन्ध में जो कहा गया है तो जिन गरीब लोगों ने रुपया दे दिया है उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। यह विभाग समाप्त होना चाहिये यदि रहता है तो उन लोगों को जमीन मिलनी चाहिये जिनके पास नहीं है और जिनको जमीन मिलने से लाभ हो सकता है ।

तीसरी बात यह है कि रुद्रपुर में जो विभाग बन रहा है वहां पर स्टैन्डर्ड आफ लिविंग ऊंचा बनाया जा रहा है और जो अफसर कुछ दिनों के लिये आते हैं उन पर हजारों लाखों रुपया व्यय किया जाता है और वास्तव में उन किसानों पर जो वहां बसाये जाते हैं उन पर कितना रुपया खर्च किया जाता है, इस पर मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें।

वहां जो गरीब किसान बसते हैं उनके लिये पानी का प्रबंध तक नहीं होता है। मुझे यह सूचना मिली है कि वहां जमीन खास संबंधियों को ही मिलती है या जिनकी पहुंच ऊंचे तबके के लोगो तक है उनको ही मिलती है। इसकी जांच होनी चाहिये। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि रुद्रपुर में जो इतना रुपया खर्च किया जा रहा है, उसके पास बड़े-बड़े लोगों के फार्म हैं, वह सरकारी टैक्टर्स और मजदूरों द्वारा जोते जाते हैं। इसलिये पता लगाया जाय कि उनके पास ट्रैक्टर्स हैं या नहीं। उनके पास ट्रैक्टर्स नहीं हैं, मजदूर नहीं हैं बल्कि स्टेट फार्म के ही मजदूर वहां काम करते हैं और स्टेट फार्म के ट्रैक्टर्स को ही काम में लाया जाता है।

वहां पर एक डेरी है जिसके बारे में माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी से लोगों ने कहा था कि इस पर कर्जा हो गया है। सरकार से कर्जा लेती जा रही है और चल रही है, जबकि वहां पर कोआपरेटिव सोसाइटी के आधार पर जो एक और डेरी चल रही थी, उसके ग्रान्ट मांगने पर भी नहीं दी गई। इस तरह तमाम रुपया बरबाद होता है। एक ओर तो कहा जाता है कि हम इकोनामी मेजर्स ला रहे हैं और दूसरी तरफ हजारों लाखों रुपया पानी की तरह बहाये जा रहे हैं लेकिन उसका उपयोग जिस जनता के लिये होना चाहिये, कालोनाइजेशन से जिनको लाभ मिलना चाहिये उनको नहीं मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, लाल बत्ती मेरे लिये ऐसे ही है जैसे एटम बम। इसलिये मैं नहीं चाहूंगा कि इस विषय पर और बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष—अभी दो मिनट आपके हैं।

श्री प्रतापसिंह—बहुत अच्छा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रुद्रपुर का जो स्टेट फार्म है उससे सरकार को और भूमिहीन लोगों को क्या लाभ पहुंचा है उस पर भी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। मुझे बड़ा दुःख है कि जब से यह कालोनाइजेशन शुरू हुआ तब से आज तक एक ही अफसर वहां पड़ा हुआ है। रूस के प्रधान मंत्री का जब वहां दौरा हुआ था तो हजारों, लाखों रुपये वहां पानी की तरह बहा दिये गये और जब वहां के किसानों ने उनसे हिसाब मांगा तो उन्होंने कहा कि तुम को यह पूछने का कोई हक नहीं है। क्या जो किसान वहां बसते हैं वे स्वतंत्र भारत के नागरिक नहीं हैं? मेरा विचार है कि जितना रुपया उस फार्म में लगाना चाहिये उससे दुगना रुपया लग रहा है। इन शब्दों के साथ जो हमारे नेता माननीय गेंदा सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इस विषय पर चर्चा के लिये केवल एक घंटा रखा गया और ५-५ मिनट हम लोगों को बोलने के लिये मिले जबकि यह विषय उन लोगों का था जोकि भूमि-हीन थे, जो मजलूम थे, जो पिछड़े हुये थे। मुझे दुःख है कि यह सब यही दिखाता है कि हम लोग चाहे भले ही समाजवाद लाने की बड़ी-बड़ी बातें करें लेकिन जहां पर गरीब, मजलूम और दबे हुओं का सवाल आता है वहां हम सब एक हो जाते हैं और एक ऐसा तरीका अख्तियार कर लेते हैं जिसका आज इस सदन में कम समय दे कर हमने सबूत दे दिया।

जहां तक कालोनाइजेशन स्कीम का सवाल है पांच मिनट में इसके लिये कुछ ज्यादा तो कहा नहीं जा सकता लेकिन बाजपुर, रुद्रपुर, जो भी जगहें हैं, ये सब कुमायूं के चन्द वंश के राजाओं रुद्रचन्द, और बाज बहादुर चन्द्र ने बसायी थीं। यहां वे ६ महीने जाड़े के दिनों में रहते थे। आज जब कुमायूं की यह हालत हो गयी है कि खुद इसी सदन में हमारे खाद्य मंत्री जीने स्वीकार किया कि नार्मल इयर्स में भी वहां साल में ३-४ महीने के लिये खाने को होता है और बाकी ८ महीने के लिये गल्ला पैदा नहीं होता, तो वहां के एक दो नहीं, हजारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो अपना घरबार छोड़ कर भोजन की फिक्र में दर दर मारे-मारे फिरते हैं। जो यह आल इंडिया युटेन्सिल रंबिग डिपार्टमेन्ट खुला हुआ है उसमें काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कटक से लेकर अटक तक आप कहीं चले जाइये आपको कुमायूं का बर्तन मलने वाला मिल जायगा क्योंकि उसके पास खाने को नहीं है, इसलिये और वह दाने दाने के लिये दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। ऐसी हालत में जरूरत इस बात की है कि कालोनाइजेशन में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाय जो गढ़वाल और कुमायूं के लोग हैं जिनकी हालत आज यह है कि उनके बर्तन व बैल बिक गये स्त्रियों के गहने बिक गये और आज वे भूखे इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। यह नहीं होना चाहिये कि बड़े बड़े आदमियों को वहां जमीन दी जाय, जैसे मेजर-जनरल चिमनी। आगे जब कभी भी यहां भूमि का बटवारा हो तो कोटद्वार से टनकपुर के रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जो कालोनाइजेशन होता है उसमें कुछ ऐसे लोग बसाये गये हैं कि जिन पर सरकार की विशेष कृपा रही है। उन लोगों ने सरकार का काफी रुपया बर्बाद भी किया है। देवरिया फार्म में एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनी जिसमें कहा जाता है कि ७२,००० रुपया बर्बाद हो गया। उसके आडिटर की रिपोर्ट भी है। मैं माननीय मंत्री जी से सानुरोध निवेदन करूंगा कि उस आडिटर की रिपोर्ट को पढ़ कर देखें वे सदन के समक्ष उसे रखें और जिसने यह रुपया उड़ाया है उस पर सख्त कार्यवाही की जाय।

तीसरे यह कि वहां आदमियों को बसाने में एक मुश्किल है। वहां के लोगों का जीवन निरापद नहीं रह गया है। राय सिक्खों का आज एक ऐसा आंतक वहां छाया हुआ है कि दिनदहाड़े किसी का बैल खुल गया, किसी का कत्ल हो गया। चोरी, डकैती तो बहुत ही बढ़ गई है। इससे वहां लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। तो इससे पहले कि वहां लोगों को बसाया जाय, उनकी सुरक्षा का प्रबंध आवश्यक है।

लाल बत्ती हो गई है, अधिक समय बाकी नहीं होगा। मैं आखिर में गरीब और दुखी जनता की तरफ से माननीय मंत्री जी की तवज्जह फिर इस ओर दिलाऊंगा कि उसको बसाने का वह पूरा प्रबंध करें और उनको पूरी मदद दी जाय क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वह अपने पास के पैसे से जमीन तोड़ सकें या अपना घर बना सकें। लगातार पिछले कई वर्षों से वहां पर अकाल की परिस्थिति पैदा हो गई है। सरकार को पिछली मर्तबा हवाई जहाज से से वहां अनाज फिकवाना पड़ा था इससे बढ़ कर उनकी खराब हालत का और क्या प्रमाण हो सकता है।

*श्री रघुबीर सिंह (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या २२, जो माननीय मंत्री जी ने सदन में रखी है, का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह उपनिवेश योजना जो हमारी सरकार कई वर्षों से चला रही है एक बहुत उत्तम और प्रगतिशील योजना है। कई कालोनीज बनाने से बहुत बड़ा फायदा हमारे उत्तर प्रदेश को और प्रदेश के रहने वालों को हुआ है। हस्तिनापुर को मैंने देखा है और दूसरी एक दो जगह भी गया हूं। जो भूमिहीन लोग थे और जिनके पास कोई और दूसरा रोजगार नहीं था, उनमें से बहुत से लोगों को वहां भूमि दी गई है और वह लोग आज वहां अच्छे ढंग से खेती कर रहे हैं। खेती का उत्पादन भी बढ़ा है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुवीरसिंह]

और उन को रोजगार भी मिल गया है और उनके बच्चों की परवरिश भी हो रही है। इसके अलावा शिक्षित वर्ग के भी कुछ लोगों को, जो खेती में दिलचस्पी रखते थे और खेती करना चाहते थे, वहां जमीनें दी गई हैं और इस तरह से जो पढ़े लिखों में बेकारी थी वह इस से कुछ कम हुई है। वह आज वहां अच्छे ढंग से खेती कर रहे हैं। मैंने देखा है कई शिक्षित लोगों ने जो उपनिवेश में खेती की है उसमें काफी ईख, गेहूं और धान पैदा हुआ है और उसमें बढ़ोत्तरी हो रही है।

यही नहीं, वहां और दूसरे उद्योग धंधे भी खोलने की सरकार की योजना है और खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिये खाद, बीज और पानी की भी काफी अच्छे ढंग से व्यवस्था की जाती है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है और जो निर्धन हैं, अपने पास से पैसा लगा कर खेती नहीं चला सकते, उनको तकावी दी जाती है, कर्जा दिया जाता है और सहायता के रूप में उन्हें पैसा मिलता है। नकदी और बीज के रूप में भी उन्हें सहायता दी जाती है। यह हो सकता है कि कहीं कुछ त्रुटियां हों और एडमिनिस्ट्रेशन में वहां जो अधिकारी या कर्मचारी हों, उनकी तरफ से जो कार्यवाहियां होती हों उनकी वजह से लोगों को कुछ परेशानी होती हो, लेकिन जहां तक योजना का और कालोनाइजेशन का सम्बन्ध है, इससे बहुत बड़ा लाभ हमारे प्रदेश के लोगों को हो रहा है। बेकारी दूर हो रही है, कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है। और कुछ लोगों के उद्योग धंधे भी पनपे हैं, जैसा कि हस्तिनापुर में एक मिल लगाने की योजना है। इस तरह से काफी सहूलियत दी जाती है। इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसी हालत में अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कमजोरी भी है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिये। जो कठिनाई होती है उसको दूर करने का प्रयत्न सरकार को करना चाहिये। इसके साथ-साथ मैं इस योजना का समर्थन करता हूं।

श्री रामनाथ पाठक (जिला बलिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कालोनाइजेशन स्कीम के सम्बन्ध में भाई गोविंदसिंह जी ने जो विचार प्रकट किये हैं कि कुमायूं को प्राथमिकता देना चाहिये, इस सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि वे अपने कुमायूं के लोगों को कम से कम २,४ एकड़ खेती की ओर प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करें। मैं भी वहां की स्थिति को जानता हूं क्योंकि मेरा भी कुछ सम्बन्ध उस इलाके से है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन पहाड़ी भाइयों को तराई के इलाके में जमीन दी गयी उनकी सोसाइटीज सुचारुरूप से संचालित नहीं हो रही हैं। वे दिलचस्पी नहीं लेते हैं। इसलिये जहां तक भूमिहीनों को जमीन देने का सवाल है हम इसका समर्थन करते हैं। और सरकार भी इसका समर्थन करती है। सिर्फ कुमायूं की बात नहीं हम तो सारे प्रदेश के भूमिहीनों की बात करते हैं कि जहां कहीं भी जमीन मिले वह सुनियोजित ढंग से प्लान करके भूमिहीनों को देनी चाहिये। अभी जो यह कालोनाइजेशन की स्कीम चली है वह बिना किसी स्कीम के चली है जिसने प्रार्थना कर दी उसको जमीन मिल गयी। उसके लिये कोई प्लान्ड तरीका निकाला जाय जिससे भूमिहीनों को ज्यादा से ज्यादा जमीन दी जा सके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन स्कीम्स में उनको बसाया जा सके।

इस सिलसिले में मैं पूर्वी जिलों की घनी आबादी की तरफ माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन कालोनाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत उन घनी आबादी वाले लोगों को काम दिया जाय और उनको उस जमीन पर बसाया जाय।

अन्त में दो शब्द माननीय माल मंत्री जी से तराई इलाके के लगान के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपनी सरकार की ओर से यह एलान किया है कि हमने लगान सर्किल रेट से दुगुना कर दिया है। शायद सरकार को ८७ हजार का घाटा इस मद में हुआ। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार यह समझती है कि उसने जो यह लगान कर दिया है तो बड़ी भारी उनकी मदद कर दी है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि तराई एरिया के मिट्टी में एक विचित्र बात है कि उसको एक फसल के लिये छोड़ दीजिये फिर वहां पर

१० फुट लम्बी घास खड़ी हो जायगी। वहां पर आप सर्किल रेट का लगान इसलिये लगाना चाहते हैं कि आपने वहां पर डेवलपमेंट किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां की परिस्थिति ऐसी हो कि एक फसल छोड़ देने से १० फुट लम्बी घास खड़ी हो जाय और एक जंगल बन जाय, वहां पर यह कहना कि डेवलपमेंट चार्जेज के लिये इतना लगान लेंगे, मैं यह समझता हूं बड़ी ज्यादती है। सरकार का जो १६ हजार एकड़ का फार्म है उसकी अवस्था भी यही है। अगर जाकर देखा जाय तो आधे से ज्यादा हिस्सा उसका जंगल हो गया है। जब कि वहां पर बड़ी-बड़ी मशीनें हैं और ट्रैक्टर हैं लेकिन फिर भी जंगल क्यों हो जाता है। वह इसलिये हो जाता है कि एक फसल छोड़ देने से वहां १० फुट घास खड़ी हो जाती है। इसलिये डेवलपमेंट चार्जेज के नाम पर लगान लेना उचित नहीं है.....

श्री चरणसिंह—इस नाम से नहीं बढ़ाया गया है।

श्री रामनाथ पाठक—हमारे मंत्री जी कह रहे हैं कि इस नाम से नहीं बढ़ाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ।

(कुछ ठहर कर)

इस अनुदान के लिये एक घंटे का समय रक्खा गया था। मेरे खयाल से यह ठीक मालूम होता है कि इसको सवा बजे समाप्त किया जाय और अनुदान संख्या २ विश्राम के बाद ली जाय। इस बीच में दूसरा अनुदान लेने की क्या जरूरत है? इसलिये इसको सवा बजे पास कर देंगे और मध्यान्तर के बाद अनुदान संख्या २ ले ली जायगी।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या २२ के अन्तर्गत जो लगभग ७२,००,००० रुपये की मांग की गयी है, के सम्बन्ध में माननीय गेंदासिंह जी ने जो १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव रक्खा है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि आजकल यों तो सारे संसार में समाजवाद की चर्चा है लेकिन हमारी भारतीय सरकार और प्रान्तीय सरकार भी समाजवाद की दुहाई देती है और समाज को समाजवाद की ओर ले जाने का दावा करती है और उसके साथ ही कालोनाइजेश और उपनिवेशन शब्दों का प्रयोग इस बजट में किया जा रहा है। इस पर मुझे आपत्ति है। मैं बहुत नम्रता के साथ सरकार से निवेदन करूंगा कि वे कोई दूसरा शब्द इसके लिये रखें क्योंकि यह उपनिवेशन और कालोनाइजेशन शब्द कुछ रुचिकर नहीं है बल्कि कर्णकटु से प्रतीत होते हैं। जिस उपनिवेशवाद के खिलाफ हमने अपने जीवन भर लड़ाई लड़ी और आज हम उसी उपनिवेशन शब्द को यहां रख रहे हैं।

श्री चरण सिंह—वह शब्द कालोनियेलिज्म है कालोनाईजेशन नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय—मंत्री जी ने जैसा कहा उनके कथन को स्वीकार करते हुए भी मैं समझता हूं कि यदि उपनिवेशन शब्द को बदल दिया जाय और कोई दूसरा नाम इसके लिये रक्खा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। आप इस पर विचार करें, यह मेरा नम्र प्रस्ताव है। अगर वे अपनी जिद पर हैं तो दूसरी बात है। इन दोनों शब्दों में फर्क जरूर है लेकिन आम जनता में दोनों शब्द एक से ही माने जाते हैं। इसलिये मंत्री जी को इन शब्दों को बदलने का प्रयत्न करना चाहिये।

[श्री देवनारायण भारतीय]

मैं इन उपनिवेशों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। इन उपनिवेशों में सरकार ने उस नीति को ध्यान में नहीं रक्खा है कि वहां पर किसी भी बसने वाले को ३० एकड़ से ज्यादा जमींन न दी जाय। मेरा अपना अनुभव है कि वहां पर ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास १००-२०० एकड़ जमींन पहले से ही मौजूद है। मेरे एक माननीय साथी ने अभी इस बात का जिक्र किया कि सरकारी फार्मों पर रखे हुए ट्रैक्टर्स उन फार्म वालों के काम में भी आते हैं जो बड़े-बड़े फार्म किए हुए हैं। अगर आपको उपनिवेश वहां बसाना ही है तो आप भूमिहीन लोगों को बसाइये। उन लोगों को आप एक सीमा के अन्दर जमींन दीजिये। आप ऐसा प्रबन्ध करें कि वहां कोई न ऊंचा हो और न कोई नीचा। अगर आप समाजवाद कायम करना चाहते हैं तो इन उपनिवेशों को आप समाजवाद के आधार पर ही कायम कीजिये और वहां पर बड़े छोटों का भेद न कीजिये। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां जहां आपके बड़े-बड़े सरकारी फार्म हैं उन बड़े-बड़े फार्म्स के मैनेजर अपने कर्तव्य का ठीक पालन नहीं करते। यह एक आम रिवाज की बात है और जिन लोगों को उन उपनिवेशों का अनुभव है, जो वहां गये हैं वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो सरकारी फार्म के ट्रैक्टर्स हैं, जब चाहें तब उन मैनेजरों को रिश्वत देकर प्राइवेट काम में लाये जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह से सरकारी फार्म्स के साथ-साथ बड़े-बड़े फार्म ओनर की स्थापना करने से सरकार की हानि होती है। आज ही एक प्रश्नोत्तर के साथ बतलाया गया कि एक बड़े फार्म पर बराबर हानि हो रही है और उस फार्म के मैनेजर पर एक मुकदमा भी चलाया जा चुका है। तो मैं समझता हूं कि वहां पर सरकारी फार्म्स की स्थापना न की जाय और वहां पर भी ऐसे ही लोगों को बसाया जाय जिनके पास भूमि न हो और उनको समान रूप से भूमि दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय माल मंत्री जी, आप अभी समय लेना चाहते हैं या अन्त में १० मिनट लेंगे ?

श्री चरण सिंह—कम से कम १५ मिनट तो होना ही चाहिये, पहले माननीय गेंदासिंह जवाब दे दें तब मैं बोलूंगा।

श्री गेंदासिंह—बेहतर होता कि मैं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद ही जवाब देता।

श्री उपाध्यक्ष—मेरे ख्याल से आपके पास कुछ जवाब देने के लिये रहा ही नहीं।

श्री गेंदासिंह—जैसी आपकी आज्ञा।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी ने बीच में डिबेट में कोई हिस्सा नहीं लिया है और वे आपके बोलने के बाद ही बोलना चाहते हैं।

***श्री गेंदासिंह**—उपाध्यक्ष महोदय, इससे मुझे थोड़ी परेशानी होती है कि न मालूम वे क्या जवाब देंगे। अगर मुझे जवाब देने का मौका बाद में मिलता तो मैं कुछ कह सकता था। मैं जानता हूं कि राजस्व मंत्री जी ऐसी बात कुछ कहेंगे जिनका जवाब जरूर देना चाहिये लेकिन अब इस अवसर पर मौका नहीं मिलता है तो हमको कहीं दूसरी जगह तो उत्तर देने की इजाजत दी जायगी नहीं और उसका वे उचित लाभ जरूर उठावेंगे। वे समझेंगे कि उनकी बात का उत्तर तो मिलना नहीं है लेकिन मैं इस बात पर ज्यादा जोर देता हूं कि भूमि सम्बन्धी जो मामला है वही देश का असली मामला है और भूमि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बटवारे की बात जो है वह तो बहुत बड़ी बात है और बड़ी बातों की चर्चा में इस अवसर पर करूंगा नहीं लेकिन इतनी बात जरूर है कि जहां जिस आदमी के पास जमीन पहले से है उससे ले ली जाय तो किस शर्त पर ली जाय और किसको दी जाय। इस पर बहुत विचार-विनिमय होने की आवश्यकता है, हालांकि होना यही चाहिये कि उससे बहुतों को रोजी मिल सके और हम सब को रोजी रोटी दे सकें। जिस जमीन को हम आबाद करने जा रहे हैं वहां हम यह भी देखें कि क्या लोगों को शिकायत है, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने जिस किसी भाई ने इस बहस में हिस्सा लिया है उन सबको इस बात की शिकायत है और उन्होंने सुझाव दिये हैं कि "देर आयद दुरुस्त आयद" अब तक जो कुछ हुआ वह तो हुआ, लेकिन आगे से जमीन लोगों को दी जाय तो ऐसे ही लोगों को जिनको वास्तव में आवश्यकता हो। आवश्यकता के डेफिनिशन में फर्क हो सकता है कि किन लोगों को आवश्यकता है लेकिन एक मोटी बात है कि साधारण तौर पर इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिये कि जिनके पास न जमीन है, न और कोई रोजी है न नौकरी है उन्हीं की आवश्यकता को सबसे बड़ा माना जाना चाहिये। और ऐसे लोगों को चाहे वे अपने सूबे भर में जिस कोने में भी मिलें, जहां भी ऐसी समस्या हो और सबसे विकट दिखायी देती हो वहां ही जमीन के द्वारा इसको हल करने की व्यवस्था की जाय।

एक प्वाइंट मैं और आपको बतला दूं क्योंकि बाद में इसको उठाने का मौका नहीं मिलेगा। जहां पर भी उपनिवेश बसे हुए हैं जहां करोड़ों रुपया खर्च हुआ है वहां सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि चाहे टयूबवेल की शक्ल में पानी देने की व्यवस्था की गयी हो चाहे वहां जो मकानात बनाये गये हैं, जिसकी तरफ कई माननीय सदस्यों ने संकेत भी किया है और मैं स्वयं देख कर आया हूं तथा अपने अनुभव की बिना पर बतलाता हूं कि उन मकानों में से कई मकान तो ऐसे देखे कि बनते हुये ही जिनकी छत ऊपर से नीचे आ गई और उन लोगों को १८ साल तक उनका रुपया किस्तों में देना होगा। उनमें ऐसी लकड़ी लगाई गई है जिसके बारे में यह आशा नहीं की जा सकती कि कोई भी बुद्धि रखने वाला आदमी उसे मकान में लगावेगा। मैं नहीं जानता कि जंगल वहां करीब है ऐसी कौन सी लकड़ी है जो दो साल में बेकार हो जाती है। वहां तो साखू मौजूद था वह क्यों नहीं लगाया गया? मैं समझता हूं इसकी जांच होनी चाहिये कि जिन लोगों के द्वारा ऐसा कार्य हुआ है उनको केवल बख्श न दिया जाय और केवल सदन में ही उसका वाद-विवाद होकर न रह जाय बल्कि ऐसे आदमी को सजा दी जाय ताकि उसको तम्बीह हो तो औरों के लिये भी सबक हो जाय और आगे दूसरे लोग ऐसी गलती न करें।

वहां के टयूबवेल्स का भी २ साल पहले का मेरा अनुभव है उस वक्त मैंने देखा था कि वहां टयूबवेल काफी बने हैं लेकिन उनमें से बहुत ही कम ऐसे थे जो काम देते थे। इस बीच में वे काम करने लगे हों तो मंत्री जी इत्तला दें, मुझे बड़ा सन्तोष होगा, लेकिन अगर इस तरह से धन लगे और कोई काम भी न बने तो बड़े दुर्भाग्य की बात है।

रुद्रपुर के बसाने पर बड़ा रुपया खर्च करने का हमारा इरादा है लेकिन मेरा ख्याल है कि रुद्रपुर वैसे ही बस जायगा अगर वहां पर जितने गांव आस-पास हैं या बस रहे हैं उन गांवों से रुद्रपुर तक आने जाने के रास्ते बना दिये जायं और बरसात में वहां लोग आ जा सकें। इसलिये मैं कहूंगा कि लखनऊ और बनारस को ब्यूटीफाई करने की जरूरत नहीं है और देवरिया को खूबसूरत बनाने की जरूरत नहीं है बल्कि जरूरत इस बात की है कि वहां के जो आस-पास के गांव हैं उनको सेल्फसफीशेन्ट बना दिया जाय। वह तभी हो सकता है जब वहां की आस-पास की जो सड़कें हैं उनको बना दिया जाय जैसे किछा

[श्री गेंदा सिंह]

वगैरह से सड़क बना दी जाय तो वह स्वयं ही खूबसूरत बन जायगा। इसके अलावा अगर कोई योजना अस्पताल आदि की है तो वह जरूर बनाये जायं बेड (Bed) बढ़ाने की जरूरत हो तो वह बढ़ाये जायं क्योंकि वहां मलेरिया बहुत होता है। इसलिए खूबसूरती पर खर्च करने से अच्छा है कि वहां पर रुद्रपुर से सब तरफ को सड़कें बनाई जायं।

श्री उपाध्यक्ष---अब आपके भाषण का समय समाप्त हो गया।

कतिपय स्थायी समितियों तथा बोर्डों के निर्वाचनार्थ नाम वापसी के समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष---मुझे एक यह जरूरी इत्तला देनी है कि निम्नलिखित समितियों के लिये नाम वापिस लेने की तिथि तथा समय ४ अगस्त को ३ बजे तक का था लेकिन मेरे पास कुछ माननीय सदस्यों की ओर से यह प्रार्थना आई है कि यह समय १४ अगस्त के ३ बजे अपराह्न तक और बढ़ा दिया जाय। वह समितियां यह हैं: प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, वित्त समिति, इंटरमीडियेट बोर्ड, मद्य-निषेध बोर्ड, रुड़की यूनिवर्सिटी कमेटी और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी। माननीय सदस्यों की यह प्रार्थना मैंने स्वीकार कर ली है और अब नाम वापस होने की तारीख व समय १४ अगस्त को ३ बजे तक रहेगा।

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या २२-लेखा शीर्षक ४०-उपनिवेशन (क्रमागत)

*श्री चरण सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें माननीय मित्रों की ओर से कही गई हैं मैं उनकी हर बात का थोड़ा सा जवाब देना जरूरी समझता हूं। पहली बात तो यह कि जिसे अनेक बार यहां कहा जा चुका है और आज भी दोहराया गया कि उपनिवेशों के क्षेत्र में या विभाग में मेजर चिमनी जैसे लोगों को सैकड़ों एकड़ जमीन दी गई और जो मित्र अभी बोल रहे थे उन्होंने कहा कि उनको २०० एकड़ जमीन दी गई। माननीय गेंदा सिंह जी एक जिम्मेदार आदमी हैं लेकिन वह इस बात को बार-बार दोहराते हैं। मैं इस सदन को यह बता देना चाहता हूं कि उपनिवेशन विभाग ने कभी राजा भदरी या मेजर चिमनी को २०० एकड़ जमीन नहीं दी। पहले यहां सवालात हुए थे, १९५५-५६ में अनेक बार दोहराये गये, लेकिन अफसोस की बात है कि वही गलत बात फिर दोहरायी जा रही है।

श्री गेंदासिंह---क्या उनके पास जमीन नहीं है?

श्री चरणसिंह---उपनिवेशन विभाग तो वह हुआ कि जहां गवर्नमेंट खुद जमीन तोड़ती है और लोगों को बसाती है। मेजर चिमनी या राजा भदरी ने जो जमीन ली है उसका इस विभाग से कोई वास्ता नहीं है। वह तो गवर्नमेंट स्टेट्स से उनको मिला थी जो अब भी मौजूद है। जहां लोग पहले जाया नहीं करते थे, गवर्नमेंट तरह-तरह के अट्रेक्शन्स देती थी कि लोग आयें और बसें। वहां लोग बसें, दो-दो हजार एकड़ जमीन लोगों को दी गई १९४३, १९४४, १९४५ में। एक साहब देहली के थे जिन्होंने काफी जमीन ली थी और रुपया भी काफी खर्च किया लेकिन जंगली जानवरों के डर से, हाथी वगैरह के डर से भाग गये। तो गवर्नमेंट की पहले ऐसी ख्वाहिश थी और वह भी अंग्रेजों के जाने के बाद दो साल तक। लिहाजा गवर्नमेंट ने राजा भदरी और मेजर चिमनी को जमीन तोड़ कर दी हो, ऐसी बात नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फिर रामपुर के बारे में कहा गया कि फलाने अफसर ने जमीन ले ली। उनको जमीने जब रामपुर का विलीनीकरण नहीं हुआ था तब नवाब साहब ने दी थी। फिर एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि अगर कोई गवर्नमेंट अफसर हो जाता है तो वह सब चीजों से महरूम हो जायगा। क्या वह ऐसी जगह भी जमीन ऐक्वायर नहीं कर सकता जहां उसकी आफ़िशियल पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल न होता हो? जहां तक मुझे याद है एक अफसर ने तो ऐक्वायर कर लेने के बाद जमीन छोड़ दी यह कह कर कि लोगों को एतराज है इसलिये मैं मुनासिब नहीं समझता।

मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि उपनिवेशन विभाग ने जमीन किसी को नहीं दी। केवल यह हुआ कि ५०, ५० एकड़ एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स के लिये और कुछ पढ़े लिखे लोगों को जमीन देने के लिये नियम बनाये गये। बाकी किसी को १०, २०, ३० एकड़ इस तरह से जमीन दी गई और जिस वक्त जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट नाफिज हो गया तो हमने यह तय कर दिया कि ३० एकड़ से ज्यादा किसी को जमीन नहीं मिलेगी चूंकि फ्यूचर एक्वीजीशन की लिमिट ३० एकड़ रख चुके थे।

श्री उपाध्यक्ष---आप १८ मिनट तक भाषण करेंगे उसके बाद में १.२० तक सदन को चलाऊंगा।

श्री चरणसिंह---बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि स्टेट फार्म को स्थापित करने का क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य नफा कमाने का नहीं था। इसका उद्देश्य था डिमान्सट्रेशन फार्म कायम करने का। यह कामर्शियल प्रोपोजीशन नहीं है। बल्कि जहां तक कैटिल फार्म्स का ताल्लुक है, कई पीढ़ियों तक रिसर्च की जाती है और गवर्नमेंट रिसर्च स्टेशन्स पर लाखों, करोड़ों रुपये खर्च करती है। गरज थी सीड मल्टीप्लीकेशन की, और लोगों को अच्छी खेती करके सिखाना और आस-पास के किसानों को हर तरह की इमदाद देना। सीड इसका असली मकसद था। सीड १९५१-५२ में २२,२७० मन यहां से तक्सीम किया गया और अब सन् १९५६-५७ में ६७,००० मन। तो तिगुना सीड ५ साल के अन्दर हुआ।

अंडे .११,२६२, चिड़ियां ३,००० और दूध का ५,४१,००० पौंड सन् ५१-५२ में प्रोडक्शन था। और सन् ५६-५७ में दूध बढ़कर ७,८०,२५१ पौंड हो गया। कुछ हाइब्रिड मेज होती है उसके नीचे ४० एकड़ है। वह एक एग्रीमेंट था उसकी मातहत है और पंजाब गवर्नमेंट से भी कुछ मदद उसके सिलसिले में हमने ली थी। तो यह मैंने बतलाया जो कि मेरे लायक दोस्त जानना चाहते थे।

लोगों का कहना यह है कि साहब गन्ना ज्यादा पैदा किया जा रहा है और उससे तकलीफ होती है आस-पास के किसानों को क्योंकि फैक्ट्री पहले गवर्नमेंट का गन्ना लेती है और उनका पड़ा रह जाता है। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि केन कमिश्नर की रजामन्दी से वहां गन्ना का एरिया फिक्स होता है इस स्टेट फार्म का और वह सारी बातों को मद्देनजर रख कर उस रकबे को फिक्स करते हैं। इसलिये उनका जो ख्याल है कि सारे रकबे में या उसके ज्यादातर हिस्से में गन्ना बोया जाता है, वह गलत है। वहां पर ११,६७० एकड़ भूमि एग्रीकल्चरल क्राप के नीचे है। उसमें से केवल २,४०० एकड़ शुगर केन के लिए पड़ता है। ११,६०० एकड़ में से २,४०० एकड़ यानी १/५ एरिया। इससे कहीं ज्यादा एरिया में किसान अपने यहां गन्ना बोता है। ६० बीघे में १५ बीघे पक्के बोता है। करीब-करीब तिहाई और चौथाई एरिया में बोता है।

श्री गेंदासिंह---४ करोड़ एकड़ में से १२ लाख एकड़ पर गन्ना होता है।

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से माननीय मित्र को करेक्ट कर देना चाहता हूं कि उन्नीस बीस लाख एकड़ तो ४५-४६ में था शुगर केन का एरिया और आज ३० लाख के करीब है। लिहाजा वह अपनी फिगर्स को रिवाइज कर लें। माननीय गेंदासिंह जी को ज्यादा इससे काम पड़ता है और वह गन्ने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो अगर वह अपने उसी ११ लाख पर ही कायम रहेंगे तो बहुत गलत हिसाब हो सकता है।

श्री गेंदासिंह—४ करोड़ में ३० लाख का हिसाब लगा लीजिए।

श्री चरणसिंह—गन्ना जिस एरिया में होता है वहां किसान १/३, १/४ गन्ना बोता है। उसका हिसाब लगाया जाता है। अब आप बुन्देलखंड को भी ले लेंगे, इलाहाबाद को भी ले लेंगे इस तरह से हिसाब लगायेंगे तो इस तरह तो कुनबा डूबता है।

श्री गेंदासिंह—मेरठ में.....

श्री चरणसिंह—देवरिया में १५ परसेंट एरिया है शुगर केन के अन्दर और मेरठ में भी १५ परसेंट है। माननीय मित्र जान लें।

एक बात उन्होंने कोआपरेटिव फार्मिंग के मुताल्लिक कही। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जरा ताज्जुब हुआ माननीय गेंदासिंह जी की इस तकरीर पर, क्योंकि मुझको सन् ५२ की एक कमेटी की प्रोसीडिंग्स याद हैं। जब जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के मातहत रूल्स बनाने की बात थी तो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में जो कोआपरेटिव फार्मिंग वाला चैप्टर है उस चैप्टर पर रूल्स बनाने की बात जब आयी तो वह जो रूल मेकिंग कमेटी गवर्नमेन्ट की तरफ से थी उसमें माननीय गेंदासिंह जी भी मेम्बर थे, माननीय गेंदासिंह जी ने जो बातें उस समय कही थीं, वह मुझे याद हैं लेकिन मैं उनको दुहराना नहीं चाहता। वह शायद भूल गये हैं। मेरे से उम्र में वह कम हैं। लेकिन मेमोरी उनकी खराब होती जा रही है। वह उसको याद करें। जो बातें उन्होंने कही थीं और एक प्रोफेसर साहब थे मुकुट बिहारी लाल जी इन्हीं सब लोगों के मशविरे से उस सम्बन्ध में जो रूल बना या नहीं बना उसको वह फिर पढ़ लें। हो सकता है कि उनकी वह व्यूज अब पुरानी पड़ गई हो, वह कुछ तरक्की कर गये हों। लेकिन कोआपरेटिव फार्मिंग के मुताल्लिक उनकी उस वक्त क्या राय थी उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता। हालांकि किसी की प्राइवेट बात का तो जिक्र नहीं होना चाहिये लेकिन वह प्राइवेट बात नहीं थी, कमेटी की बात थी और कमेटी भी गवर्नमेन्ट की थी, लेकिन फिर भी उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता। ठीक नहीं रहेगा। इस कोआपरेटिव फार्मिंग के मुताल्लिक नेशनल प्लानिंग कमीशन का मशविरा है कि इसे एनकरेज करना चाहिये और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की भी राय है, उन्होंने अनेक बार कहा कि हमें दूसरे मुल्कों की नकल नहीं करनी है बल्कि परसुएशन से किसानों को समझाना है कि कोआपरेटिव फार्मिंग स्टार्ट करें। इस गवर्नमेन्ट का इस नीति से कोई विरोध नहीं है।

आप लोगों को राजी करके कोआपरेटिव फार्मिंग करें, वह चल जाय तो बड़ी अच्छी बात है। इस तरह का एक्सपेरीमेंट करें, जहां तक गवर्नमेन्ट का ताल्लुक है उसमें कोई डिफरेंस आफ ओपीनियन नहीं है। जहां कोआपरेटिव फार्म्स चल रहे हैं वहां उनको कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट से एनकरेजमेंट भी मिलता है। मेरी जाती राय यह है कि रजामन्दी से लोग तैयार हो जायं तो बहुत अच्छी बात है, किसी को क्या एतराज हो सकता है कि वे कामयाब हो जायं। मैं चाहता हूं कि वे कामयाब हों, बड़ी खुशी की बात होगी और लोगों की कोआपरेटिव फार्म्स से जो उम्मीदें बन्धी हुई हैं वे पूरी हो जायंगी। एम्प्लायमेन्ट बढ़ जाय, प्रोडक्शन बढ़ जाय, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? लेकिन मेरी नाकिस राय यह है कि जो हमारा थोड़ा बहुत तजुर्बा है, किसानों की जो मनोवृत्ति के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने लिखा-पढ़ा है, जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, रूस और चीन की बाबत जो रिपोर्ट्स देखी

हैं उनसे मैं यह समझता हूं कि वह कोई सही चित्रण नहीं है वहां की स्थिति का। मैं नहीं समझता कि वहां की पैदावार कोई ज्यादा बढ़ गई, मैं नहीं समझता कि इससे बेरोजगारी दूर हो गई या इससे डेमोक्रेटिक टेंडेंसी को एनकरेजमेंट मिलेगा। लिहाजा एक नागरिक होने के नाते मैं भी अपनी राय देने का हक रखता हूं और विशेष कर उस सूरत में जबकि नेशनल प्लानिंग कमेटी का मशविरा है कि वालेंटियरी तरीके से हो और प्राइम मिनिस्टर अनेक बार कह चुके हैं कि एक्सपेरीमेंट हो लेकिन दूसरे मुल्कों की नकल नहीं होनी चाहिये। तो यह रास्ता खुला हुआ है कि एक आदमी चाहे जो कुछ अपनी राय रक्खे। इसलिये इसमें चिरागपा होने की क्या जरूरत है, कोई क्राइसिस होने की बात नहीं है। चरणसिंह या प्लानिंग कमीशन की एक राय है। उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अगर विरोधाभास की बात होगी तो वह मेरे गौर करने की बात जरूर हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गई कि लैंडलेस को जमीन देनी चाहिये। लेकिन वह यह बात भूल जाते हैं कि कालोनाइजेशन की पूरी स्कीम गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के हुक्म से स्टार्ट हुई है। उन्होंने ही रुपया इन इंस्टीट्यूसंश को दिया। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा बसाने की जरूरत डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को है। इसमें जो ९१५७ खानदान बसाये गये उनमें ५७२३ खानदान रिफ्यूजीज के हैं जोकि लैंडलेस होकर आये थे। उनको पुरुषार्थी कहिये या लैन्डलेस कहिये। फिर एक्स सर्विस के लोग आते हैं। १९६७ खानदान रिफ्यूजीज के बाद एक्स सर्विस के हैं। इस तरह से दोनों मिलाकर दो तिहाई तो यही हो गये।

गेंदासिंह जी ने कहा कि मैंने यह आक्षेप उन पर लगाया कि लखीमपुर के तराई एरिया में वह देवरिया के लोगों को नहीं भेजना चाहते, जिसने यह कहा वह झूठा है। पता नहीं क्यों झूठ शब्द का इस्तेमाल किया गया। मैंने तो यह बात कही नहीं गेंदासिंह जी से, लेकिन अगर किसी ने कही भी तो उसे झूठा बतला कर उन्होंने यही सिद्ध किया कि उनके खून में गर्मी आई। इससे उन्हीं की तन्दुरुस्ती पर असर पड़ेगा। यह मुनासिब नहीं था किसी के लिये यह कहना कि वह झूठा है।

रुद्रपुर के लिये कहा गया कि वहां खर्चा नहीं हो रहा है। अगर आस-पास किसानों की हालत अच्छी होगी तो टाउन डेवलप करेगा। किसान के पास जिस वक्त सरप्लस प्रोड्यूस होगा तो टाउन खुद डेवलप करने लगता है। हम एक आध दफ्तर बनाने की बात भी सोच रहे थे लेकिन खर्चा नहीं मिला। कहा गया कि लैंड रेवेन्यू न मालूम कितने गरीब किसान दे रहे थे, डेवलपमेन्ट चार्जेज लिये जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उनका जो कहना है कि जमीन इतनी खराब है, जमीन खराब है तो सर्किल रेट भी सबसे लो है, डेढ़ रुपया एकड़, दो रुपया एकड़ और शायद ही कहीं किसी ट्रैक्ट में ढाई रुपया एकड़ हो, इससे ज्यादा कहीं नहीं है। वहां पर ५-६-७, तीन किस्म की जमीन हुआ करती थी और चूंकि २४६ सैक्शन जमींदारी एबालिशन ऐक्ट का सेक्शन बन गया कि उत्तर प्रदेश भर में जितने किसान हैं अगर डबिल दि सर्किल रेट से किसी का लगान ज्यादा है तो वह दरख्वास्त देकर अपना लगान घटवा सकता है "डाउन टु डबिल दि सर्किल रेट"। यह सेक्शन तराई में लागू नहीं है। इसलिये हमने एक्जीक्यूटिव आर्डर से इस सेक्शन का फायदा उन लोगों को पहुंचा दिया। इसीलिये ६,१०० गरीब किसानों को ७,८०० रुपये का नफा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस अनुदान को मंजूर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन—लेखा शीर्षक ४०—कृषि में एक रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२--उपनिवेशन--लेखा शीर्षक ४०--कृषि के अन्तर्गत ७१,९६,६०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर २४ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

अनुदान संख्या २--लेखा शीर्षक ७-मालगुजारी

माल उपमंत्री (श्री परमात्मानन्द सिंह)--अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २--मालगुजारी (भू-राजस्व)--लेखा शीर्षक ७--मालगुजारी के अन्तर्गत ५,५०,१२,८०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

*श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुदान संख्या २--मालगुजारी (भू-राजस्व)--लेखा शीर्षक ७--मालगुजारी के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में सबसे विषम समस्या जो हम लोगों के सामने उपस्थित है। वह किसानों की है। उत्तर प्रदेश में जो जमीन पर काम करने वाले हैं, जो जमीन पर श्रम करने वाले किसान हैं, उनकी हम लोग बराबर उपेक्षा करते चले आये हैं। यदि हम लोग स्वतंत्रता मिलने से पूर्व की ओर देखें तो हमारे बंधु जो सत्तारूढ़ हैं, वह कृषकों से कहा करते थे कि हम जमींदारी समाप्त कर देंगे और तुमको जमीन का राजा बना देंगे, जमीन उसकी होगी जो जोतेगा। श्रीमन्, किसान बहुत उत्सुक था और स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद १९५२ में जब जमींदारी उन्मूलन विधेयक प्रस्तुत हुआ तो किसानों में हर्ष का एक वातावरण फैल गया कि जो बीच का दलाल जमींदार है वह खत्म हो जायगा। यदि असंगत न हो तो कह दूं कि उस समय बड़े-बड़े नेता किसानों से कहते थे कि नहर गंग तुम्हारी है, भराई क्यों देते हो? लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? जब यह काला कानून जमींदारी खत्म होने के बाद आया तो उन किसानों की आशा मिट्टी में मिल गई। आंकड़ों के आधार पर जमींदारी समाप्त होने से पहले कर ७,००,००,०००रु० आता था लेकिन खत्म होने के बाद वह २२,००,००,००० रु० आने लगा। बीच के दलाल के खत्म होने से सरकार को तिगुना टैक्स मिलने लगा। इसके अलावा किसानों से कहा गया कि तुम दस गुना लगान दो तो हम तुम्हें भूमिधर बना देंगे वह पुराने स्वप्न भूल गया और उसकी समझ में आ गया कि यदि दस गुना दोगे तो भूमिधर बन सकोगे, जमीन के राजा बन सकोगे।

श्रीमन्, जो हमें अधिकार मिले हैं उनको देखें तो हमें मालूम होगा कि जब हम दस गुना लगान देंगे तो दस रुपये वालेको १०० रुपया देना पड़ेगा वह ४० साल तक चलेगा और फिर वह पूरा हो जायगा। यदि कोआपरेटिव सोसाईटीज से कर्जा लें तो ९ रुपये प्रति सैकड़ा सालाना ब्याज पर मिलता है और जो पुरानी हैं उनसे ६ रुपये प्रतिशत पर मिलता है। यदि इस आधार पर देखें और वह रुपया कर्ज लेकर भूमिधर बने तो हमारा लगान बढ़ जाता है, घटता नहीं है।

श्रीमन्, इसके बाद हम देखें कि हमारे किसानों को क्या राहत मिली तो हमारे मंत्री जी दुहाई देंगे जैसा कि इस पुस्तिका में दिया है जो हम लोगों के सामने रखी गई है, उसका नाम है "उत्तर प्रदेश की भूमि-व्यवस्था में क्रांति" इसमें दिया है कि हमारे प्रान्त में अन्य प्रान्तों से टैक्स कम है और जो बजट भाषण हुआ था उसमें भी वित्त मंत्री की तरफ से यही दुहाई दी गयी थी कि हमारे प्रान्त में अन्य प्रान्तों से टैक्स कम है। हमारे माल मंत्री जी ने इस पुस्तक में कहा कि अन्य प्रान्तों में सेल्स टैक्स अधिक है इसलिये वहां का लगान कम है। मैं आपके द्वारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्रीजी को बता देना चाहता हूं कि यदि लगान के सम्बन्ध में अन्य प्रान्तों के आंकड़े देखे जायं तो जहां फी एकड़ का एवरेज उत्तर प्रदेश में ४रु० ६ आ०९ पा० है वहां पंजाब में १ रु० १ आ० ६ पा० है, बिहार में १ रु० ६ पा०, राजस्थान में १३ आ० ६ पा०, आसाम में २ रु० ६ आ० ८ पा०, बंगाल में १ रु० ९ पा०, मध्य प्रदेश में १ रु० ५ आ० २ पा०, मध्य भारत में २ रु० ३ आ०९पा०, बम्बई में १ रु० ६ आ० ६ पा०, पेप्सू में १ रु० १५ आ० २ पा० और ट्रावनकोर में २ रु० ४ आ० है । तो इस हिसाब से भी हमारे प्रदेश का एवरेज अन्य प्रदेशों से दूना है । इस आधार पर भी यदि यहां का किसान यह मांग करे कि हमारे लगान में छूट दी जाय तो कोई अनुचित बात नहीं है । जमींदारी उन्मूलन से पहले हमारे राजस्व में केवल ७,००,००,००० रु० आते थे जिसके आज २२,००,००,००० रु० आते हैं । यदि हम उसका आधा करते हैं तब भी १०,००,००,००० रु० यानी पहले से ड्योढ़ा राजस्व रहता है । इसलिये अगर यह सरकार किसानों का लगान आधा करती है तब तो उसके सत्तारूढ़ होने से पहले किये गये वादे पूरे हो सकते हैं अन्यथा नहीं ।

हमारे सामने दुहाई दी जायगी कि आज किसान की परचेजिंग पावर बढ़ गयी है । मैं नहीं कह सकता कि कैसे बढ़ गयी है । यदि हम आज से २० साल पहले के रुपये का मूल्यांकन करें तो दो आने के बराबर आज का रुपया बैठता है । तो किसान की परचेजिंग पावर घटी है यदि इन आंकड़ों से मिलाया जाय ।

इसके अलावा वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश का किसान नहीं चाहता कि लगान आधा हो या टैक्स कम हो, यह तो पोलिटिकल पार्टियां सिर्फ अपनी तरफ से एक राजनीतिक स्टन्ट के लिये कहती हैं । तो मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि १० मई, १९५६ को इसी प्रदेश में १,७६,००० किसानों ने हर जिलाधीश की कोठी पर प्रदर्शन किया था और कहा था कि हमारा लगान आधा किया जाय, हम टैक्स से दबे जा रहे हैं । उसकी तरफ सरकार ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया । यह प्रदर्शन जनसंघ के नेतृत्व में हुआ था ।

इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में माननीय माल मंत्री जी ने यह दिखाया है कि अन्य टैक्सों का एवरेज अगर हम लगायें तो मालगुजारी हर साल कम होती गयी है । मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्री जी सिर्फ आंकड़ों के ही फेर में रहते हैं और यह देखते हैं कि हमारे प्रान्त का यह एवरेज है, इसके आधार पर काम होना चाहिये । क्या मंत्री जी बता सकेंगे कि सेल्स टैक्स का इनडाइरेक्ट टैक्स किसान पर नहीं लगता है, पंचायत टैक्स किसान पर नहीं लगता, तम्बाकू पर जो केन्द्र द्वारा टैक्स लगाया गया है वह किसान पर नहीं लगता है ? मैं पूछता हूं कि कौन सी ऐसी चीज है जिस पर केन्द्र या प्रान्त टैक्स लगाये और वह इनडाइरेक्टली किसान पर न लगता हो ?

इसके बाद जो व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने वसूलयाबी की की है उसमें एक करोड़ कुछ लाख के ऊपर खर्च होता है । यदि हम पुराना इतिहास देखें तो राज्य नवाबों का था परन्तु शासन कम्पनी करती थी । वहां दोहरा शासन था । आज अगर हम गांव की स्थिति देखें तो वहां दोहरे शासन के स्थान पर चौहरा शासन हो रहा है । इस सरकार के द्वारा उसी गांव में लेखपाल काम करता है, उसी गांव में सेक्रेटरी काम करता है, उसी गांव में वी०एल०डब्लू० काम करता है और उसी में अमीन काम करता है । इतने व्यक्ति एक ही गांव में काम करें इसे तो श्रीमन् मैं किसी प्रकार बुद्धिमानी नहीं समझूंगा । एक ही व्यक्ति के द्वारा, गांव पंचायत या सेक्रेटरी के द्वारा यदि लगान वसूल कराया जाय तो कम से कम डेढ़ करोड़ रुपये का लाभ हो सकता है । मैं नहीं समझ पाता की सरकार ने क्यों इस प्रकार की नीति अख्तियार की है ।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहूंगा जिसका कि मुझे अनुभव हुआ है । अल्प बचत योजना का प्रादुर्भाव उन्हीं के द्वारा हुआ है उधर से कहा जाता है कि विरोध पक्ष के लोग केवल विरोध करने के लिये विरोध करते हैं, जो सही नहीं है । हम लोग कहते हैं कि यदि राष्ट्र का उत्थान हो तो हम हर हैसियत में, अपने खून की आखीरी बूंद भी देने के लिये तैयार हैं । मैं पहले भी सदन में इस बात को कह चुका हूं, लेकिन यह जो ड्राइव चलाया गया

[श्री मलिखान सिंह]

अल्प बचत योजना का, उसमें यदि कोई पैसे वाला पैसा देता है अपने राष्ट्र के उत्थान के लिये, तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। वह रुपया राष्ट्र के निर्माण के लिये व उसके उत्थान के लिये लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। अल्प बचत योजना में लोग जाते हैं उन्हीं काश्तकारों के पास जिनके पास पैसा नहीं है और यह बात मैंने इस चौहरे शासन में अनुभव की। उस व्यक्ति के पास लेखपाल जाता है, सेक्रेटरी जाता है, वी०एल०डब्लू० जाता है, अमीन, तहसीलदार और नायब-तहसीलदार जाता है और उसी व्यक्ति के पास कोआपरेटिव का सुपरवाइजर भी जाता है। अब वह मजबूर हो जाता है कि किस का कहा माने। तहसीलदार साहब नाराज हो जायेंगे, मैं किसको रुपया दूं, इधर सेक्रेटरी साहब नाराज हो जायेंगे, हमारा कुआं नहीं बनने देंगे। तो इस चौहरे शासन की वजह से गांव की जनता परेशान है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या तीन तीन गांव बांट कर एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता। यदि गांव समाज का एक व्यक्ति जमीन को देखे, दूसरा लगान वसूल करे और उसकी उन्नति के लिये जो काम करने हैं, कुएं आदि बनवाना है उनको करवाये तो क्या काम नहीं चल सकता है? लेकिन नहीं, उसके लिये तो अदालत पंचायत में चार व्यक्ति छोड़ दिये जायेंगे और इस तरह से पैसे का दुरुपयोग हो रहा है।

तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि आज देहात का किसान टैक्सेज के कारण पिस रहा है जितने भी इंडाइरेक्ट टैक्स हैं वह सब उस के ऊपर पड़ते हैं। पंचायतों ने तो गधों और गाड़ी पर भी टैक्स लगा दिया, हर एक चीज पर टैक्स है तो वहां का गरीब किसान जो यह सोचता था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह राज्य हमारा होगा, नहरें हमारी होंगी, नेताओं के कहने पर उसने पता नहीं क्या क्या सोचा था वह नहीं हुआ वह आज परेशान है और दबते चले जा रहे हैं। आज जितने भी इंडाइरेक्ट टैक्सेज हैं वह उन पर पड़ रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री जी ने बड़ी दुहाई देते हुये कहा था कि अन्य प्रान्तों के मुकाबिले में हमारे यहां टैक्सेज कम हैं। क्या उन्होंने यह भी देखा कि अन्य प्रान्तों के मुकाबिले में हमारे यहां लगान दूना है। इस पर मंत्री जी ने कभी सोचा नहीं, समझा नहीं, क्योंकि उनको आवाज देने वाला यहां कोई नहीं है। सिर्फ वोट मांगने के लिये वह किसानों के पास जाते हैं और दोहाई किसानों और मजदूरों की देते हैं। सदन में आकर उनको भूल जाते हैं, सोचते हैं कि देश के उत्थान के लिये किसान को चूसा जाय तो अच्छा है। मैं चाहता हूं कि लग्जरी की चीजों पर टैक्स लगा दिया जाय जिससे कि किसान बचें।

तो श्रीमन्, मैं आप के द्वारा सदन से और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसान का लगान अविलंब आधा किया जाय, और दिया हुआ दसगुना अविलंब वापस किया जाय। उसके बाद किसान समझेगा कि वह वास्तव में जमीन का मालिक है, वह स्वतंत्र है। यदि आज की गांव की स्थिति देखी जाय तो मालूम होगा कि पहले जमींदार के कहने पर खूंटा नहीं गड़ता था और आज प्रधान के कहने पर खूंटा नहीं गड़ता। प्रधान और सेक्रेटरी वहां के शासक हैं तो मैं कैसे कहूं कि गांव स्वतंत्र है। सिद्धांत में हम पूर्ण समाजवाद का नारा लगाते हैं। और कहते हैं कि हम देश में सोशलिज्म ला रहे हैं, गांवों को स्वावलम्बी बना रहे हैं लेकिन श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि गांव स्वावलम्बी नहीं हो रहे हैं। बल्कि गांवों के गरीब मजदूर और किसान गांवों को छोड़ कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। इस पुस्तक में बतलाया गया है कि हम जमीनों को इस तरह से करना चाहते हैं कि जिससे गांव ऊपर उठ सके। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि गांव ऊपर नहीं उठ रहे हैं। वहां के गरीब लोग शहरों की तरफ रिक्शा चलाने के लिये भाग रहे हैं। शहरों में वह रिक्शा चला कर अपना पेट भरते हैं जिस रिक्शा पर आदमी बैठता है उसको वह खींचते हैं। यह दशा आज उनकी हो रही है।

माल विभाग का जो कार्य है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस पुस्तक में चकबन्दी की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है। अभी मुझे यह पत्र मुरादाबाद के उन किसानों का मिला है जिनकी जमीन ले ली गयी है। वे छोटे-छोटे किसान थे। उनकी

अच्छी जमीन बीच के लोगों ने ले ली है जिन्होंने अधिकारियों को खुश किया। आज वहां पर पुलिस का शासन है। दफा १४४ वहां पर लगी हुई है। उनसे कहा गया है कि यह तुम्हारी खेती है और इस तरह से उनको खराब जमीन दी गयी है और अच्छी जमीन उनकी उन लोगों को दी गयी है जिन्होंने पैसा दिया है। कहा गया है कि चकबन्दी अच्छी हो रही है लेकिन देखने में कुछ और आता है।

कहा जाता है कि दैवी प्रकोप हो गया। यदि अधिक अन्न पैदा हो गया तो कह दिया जाता है कि सरकार ने अच्छा काम किया और पैदा नहीं हुआ तो कह दिया जाता है कि दैवी प्रकोप हो गया। यह क्यों नहीं कहते कि यह नतीजा सरकार की गलत नीति का है। ५ साल से यह कहा जा रहा है कि दैवी आपदा की वजह से पूर्वी जिलों में अन्न की कमी हो रही है और पश्चिमी जिलों की समस्या भी बाढ़ की वजह से बनी हुई है। मंत्री जी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बतलाया कि जब हमने १० गुना की स्कीम को चलाया था तो किसानों के पास पैसा था। उस समय मैं देहात में था जब यह स्कीम चली। उस समय लोगों को लालच दिया जा रहा था कि तुमको बन्दूक देंगे और दूसरी चीजें देंगे। इस आधार पर उन लोगों से सरकार ने ३४,०१,८१,९९३ रुपया वसूल किया। हम नहीं कहते कि जो उचित चीज है उसको गांवों में न कहा जाय। उसको गांवों में अवश्य प्रसारित किया जाय कि यह तुम्हारे लाभ की चीज है। किन्तु मैं इस सफलता को सरकार की सफलता नहीं समझता। वास्तव में उस समय किसानों के पास पैसा नहीं था इसलिये उन्होंने दसगुना नहीं दिया और वे भूमिधर नहीं बन पाये और इसके लिये कहा यह जाता है कि इन पार्टी वालों ने पैसा नहीं देने दिया। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विरोधी पार्टी हमेशा इस पक्ष में रहती है कि जो सच्ची मांग हो उसको माना जाय और जो सच्ची न हो उसको न माना जाय। आज दशा यह है कि देश में सोशलिस्टिक पैटर्न बनाने जा रहे हैं लेकिन देहात से गरीब मजदूर और किसान भाग रहे हैं।

आचार्य जी इस समय यहां पर नहीं हैं। उन्होंने उस दिन कहा था कि तुम अपने समाजवाद को अपने पास ही रखो मेरा तो गांधी जी का समाजवाद है। क्या गांधी जी ने कहा था कि ग़रीब को उजाड़ो और किसान को परेशान करो? उन्होंने गांधी जी के समाजवाद को अपना समाजवाद कह कर रखा था। वास्तव में प्रगतिशील समाजवाद की रचना के लिये सरकार को आगे की ओर देखना होगा। यदि असंगत न हो तो मैंने पहले भी कहा था कि आपके टयूबवेल के कारण गांव का किसान मजदूर बेकार हो रहा है। वहां कोई रोजगार या कुटीर उद्योग नहीं है। क्या आप बिना पढ़े-लिखे लोगों को भूखों मारना चाहते हैं? लखनऊ और दिल्ली को सजा कर गांवों को उजाड़ना ही क्या आपका समाजवाद है? किसान लगान के बोझ से दबता चला जा रहा है। इसलिये सरकार को चाहिये कि हमारे कटौती के प्रस्ताव पर विचार करे।

श्री महाबीरप्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन्, विरोधी दल की ओर से विवाद के समय जिस प्रवृत्ति का अनुसरण किया गया है उसे देखते हुये मुझे प्रकृति में दो प्रकार की मक्षिकाओं का स्मरण हो आता है, मधु-मक्षिका और साधारण मक्षिका। मधु-मक्षिका फूलों का गंध और रस का संचय कर मधु बनाती है और साधारण मक्षिका गन्दगी लेकर हैजे जैसी संक्रामक बीमारियां फैलाती हैं। मैं विरोधी दल के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ऐसे अवसर पर वह मधु-मक्षिका का अनुसरण करें तो वे समाज के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे। हमारी स्वाधीनता के बाद जमींदारी-उन्मूलन शान्तिमय क्रान्ति की एक महान् और अद्वितीय ऐतिहासिक घटना है। उसके बाद भूमि-व्यवस्था के सिलसिले में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितने भी क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं वे सब आनुषंगिक हैं और उनमें हम इस प्रदेश की किसान जनता की दशा में उत्तरोत्तर सुधार कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं विरोधी दल के किन्हीं शब्दों या बातों का उत्तर देना उचित नहीं समझता।

[श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल]

श्रीमन्, जमींदारी-उन्मूलन की सब से बड़ी देन हमारा भूमिधरी का अधिकार है। जब तक हमारे प्रदेश के सभी किसानों को यह अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक वास्तव में इसका सब से बड़ा लाभ नहीं हो सकता है। सन् ५२ के ३० जून के दखीलकार काश्तकारों में से कितने आज तक भूमिधर बन चुके हैं, इसे देखते हुये हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम अपने भूमिधरी के अधिकार देने के तरीकों में सफल नहीं हुये। अभी तक हम थोड़े ही प्रतिशत को भूमिधर बना पाये हैं। सन् ३० में कांग्रेस अग्रेरियन कमेटी ने स्पष्ट कहा था कि जमींदारी-उन्मूलन के बाद सभी किसानों को हम जमींन का मालिक बनावेंगे परन्तु हमारे प्रदेश के किसानों का बहुत बड़ा भाग, अभी तक भूमिधर होकर जमींदारी-उन्मूलन के काम से लाभान्वित नहीं हो सका है। हमारी भूमिधरी के तरीके में कमी है। १० गुने की प्रथा जमींदारों के मुआवजे और पुनर्वास अनुदान के लिये चलाई गई थी और सरकारी तथा गैर-सरकारी सारे प्रयासों के बाद भी कुछ ही प्रतिशत किसान भूमिधर हो सके। सन् ५७ तक जिस प्रगति से हम चलते रहे हैं उससे आने वाले ४०, ५० वर्षों में भी सभी किसान भूमिधरी के अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वे ग़रीब हैं और १० वर्ष का लगान एक मुश्त नहीं दे सकते हैं। वे प्रति वर्ष अपना वही लगान देते जाते हैं जो सन् ५२ के पहिले दे रहे थे। जो भूमिधर बनते हैं वे १० साल का लगान एक मुश्त देने के बाद ४० वर्ष तक आधा लगान देने के अधिकारी रह जाते हैं। मैं माननीय माल मंत्री जी का ध्यान इस ओर कई बार दिला चुका हूं। मैं किसानों की ओर से यह मांग करता हूं कि उन किसानों को जिनकी संख्या ८० फीसदी से ज्यादा है वे अधिकार दें जिससे उन्हें अब तक वंचित रखा है। अन्तर केवल इतना रहे कि वह अपना वर्तमान लगान देता रहे और जब कभी १० गुना दे दे उसका लगान औरों की तरह आधा रह जावे।

दूसरी बात यह है कि हमारे प्रदेश की भूमि-व्यवस्था का कानून बहुत बड़ा है। धीरे-धीरे जितने संशोधन इसमें होते जा रहे हैं और नियम बनते जा रहे हैं उन सबका महाभारत की तरह एक महान् ग्रन्थ बनता जा रहा है। वह साधारण किसानों की तो क्या, वकीलों के लिये भी समझना दुर्गम होता जा रहा है। वकील लोग भी इसका अनुसरण कठिनता से कर पाते हैं। मैंने वर्ष, दो वर्ष पहले मंत्री जी से कहा था कि इसे सरल बनाइये और इसकी धाराओं को कम कीजिये, जमींदारी-उन्मूलन और मुआविजे की बातें अलग कर दीजिये और किसानों से संबंधित बातें अलग। उन्होंने उस समय ऐसा कुछ कहा था कि सन् ५७ में एक ६०, ६५ धाराओं का कानून लावेंगे। मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है। इन सब सरकार के अधिकारी कानूनों को न जानने के कारण किसानों से बेजा फायदा उठाते हैं। भूमिधरी, सीरदार, अधिवासी और आसामी, इन सब श्रेणियों को कम करके केवल भूमिधर और अभूमिधर दो तरह की श्रेणियां रखनी चाहिये।

भूमि पर आखिरी सीमा निर्धारण करना न केवल हमारे प्रदेश की वरन् सारे देश की समय की मांग हो चुकी है। माननीय मंत्री जी को सोचना चाहिये कि हमारे प्रदेश की इस मांग को अब बहुत दिनों तक अविलम्बित नहीं किया जा सकता है। मंत्रीजी ने जो सुधार किये हैं, इसमें संशय नहीं कि एक सजग प्रहरी की तरह वे उन्हें देखते रहते हैं। परन्तु बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि बेजा लाभ उठाने वाला उनसे फिर भी लाभ उठा लेता है। चकबन्दी में माल विभाग के पुराने कर्मचारियों को उन्होंने अनुभव के आधार पर रख लिया है। वे अपने अनुभव को जनता के हित में न लगा कर अपने ही हित में प्रयोग कर रहे हैं और यही महान् कारण है कि हर जगह चकबन्दी में बुराई की शिकायत सुनाई देती है। अगर ऐसे आदमियों को अलग रखा जाय और दूसरे अच्छे आदमियों को रखने की चेष्टा की जाय तो चकबन्दी से हमारे प्रदेश की किसान जनता को, जहां इतनी

छोटी-छोटी जोतें हैं, बहुत लाभ पहुंचेगा और इसको अगर कार्यान्वित करना ही चाहते हैं तो इन दोषों को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिये ।

माननीय मंत्री जी ने सहकारिता के सम्बन्ध में अपने विचार एक पुस्तिका के रूप में प्रकट किये हैं । मैंने उसको ध्यानपूर्वक पढ़ने की चेष्टा की । उनके विचारों से बहुत कुछ सहमत होते हुए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चकबन्दी और सहकारिता दोनों को देखते हुए अलाभकर और छोटी जोतों को लाभकर बनाने में कौन-सी अधिक कारगर हो सकती है । इसको देखते हुए मुनासिब यह होगा कि दोनों तरीकों का साथ-साथ प्रयोग किया जाय तो अच्छा होगा । इन चीजों को लेकर उन्हें आगे बढ़ना चाहिये जिससे वह सहमत हों और उसकी व्यवस्था उन्हें शीघ्र करना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय माल मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने मूल में सुधार करने की चेष्टा की । उसमें लेखपालों ने पटवारियों का स्थान ले लिया । यह उनका एक बड़ा क्रान्तिकारी कदम रहा । जब कभी ऐसे नये रक्त हमारे बीच आते हैं तो मानव की विचारधारा उसकी कार्यप्रणाली बदलती है । उससे लाभ होता है । लेकिन हमने देखा कि उससे हमें निराशा ही हुई । कारण यह हुआ कि नीचे से तो हमने लोगों को बदल दिया लेकिन ऊपर वही लोग रहे । उनको शिक्षा और दीक्षा देने वाले कानूनगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार वही रहे । उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को जो नये ले लिये गये अपने जैसा ही बना लिया और दुर्भाग्य से बहुत से लोग वैसे बन भी गये । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे सुधारों के समय यह आशा होती है कि उससे नयी प्रवृत्ति और भावनाओं का उदय होगा लेकिन जब तक ऊपर के काम लेने वाले नयी प्रवृत्ति के नये आदर्शों के और नयी पद्धति वाले लोग नहीं होते तब तक उन सुधारों में पूरी-पूरी सफलता हम नहीं मिल सकती । अगर ऐसे क्रान्तिकारी सुधारों के करते समय हम ऊपर के वही अधिकारी रखेंगे तो कभी भी निश्चय रूप से हम उन सुधारों में कारगर नहीं हो सकेंगे ।

इसलिये मैं यह सुझाव दूंगा कि ऊंचे स्तर के लोगों में ऐसे प्रशिक्षित लोग हों, ऐसे अधिकारी हों जो एक प्रकार से टेस्टेड हों जिनकी कार्य-पद्धति और ईमानदारी में और जनता की सेवा करने में, मिशनरी भावना में किसी प्रकार की कमी न हो । जो लोग भूमि-व्यवस्था में काम करते हैं वे सीधे जनता के सम्पर्क में आते हैं और उनमें अधिकतर लोग किसान हैं । इस प्रकार से वे किसानों के सीधे संपर्क में आते हैं । इसलिये अगर माल विभाग में काम करने वाले लोग अच्छे नहीं होते तो लोगों में सारे अन्य विभागों के प्रति भी अश्रद्धा पैदा हो जाती है । आज का युग बदल गया है । आज का नागरिक जानता है कि उसका अधिकार क्या है । वह यह भी जानता है कि वह उनको प्राप्त कर सकता है, उसको पाने की शक्ति उसके पास है । वह सारे देश और प्रदेश की इच्छा पर शासन करता है । उसके पास वाणी भी है और कभी-कभी वह उस वाणी का प्रयोग सत्य के बाहर भी करता है । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि जो भी लोग उनके संपर्क में आने वाले हैं वे जनसेवक हों और उसी रूप में वे उनके सामने जायं एक शासक के रूप में न जायं । यदि उनकी तरफ ध्यान दिया जाय तो निस्सन्देह मैं समझता हूं कि यह बुराइयां दूर हो सकती हैं । मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे सुझावों पर विचार करेंगे ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)-- माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हम लोग जब इस सदन में आये हैं तो हम लोगों को एक पुस्तिका मिली है । अगर यह पुस्तिका एक घंटा पहले मिली होती तो हमको अच्छी तरह से अध्ययन करने का मौका मिला होता ।

श्री चरणसिंह--वह पुस्तिका तो कल ही मिल गयी होगी ।

श्री मदन पांडेय—आज जलपान के समय के बाद हमको मिली है। इस पुस्तिका में सब से पहला आइटम जो डील किया गया है वह भ्रष्टाचार और अयोग्यता को दूर करने का प्रयत्न है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी के सामने जब हम कोई शिकायत ले जाते हैं तो वे यही कहते हैं कि जब मैं गोरखपुर गया था तो आप क्यों नहीं लाये और जब वहां शिकायत ले जाते हैं तो आप कहते हैं कि कलेक्टर साहब को दे दीजिये। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में गोरखपुर एंटी करप्शन कमेटी की बैठक में प्रोफेसर शिवनलाल सक्सेना एम० पी० द्वारा की गई एक शिकायत पर बहुत पहले विभागीय रिपोर्ट मांगी गई थी। उसके करीब दो महीने बाद पिछले दिनों जब एंटी करप्शन कमेटी की मीटिंग थी उसमें जब रिपोर्ट मांगी गयी तो कहा गया कि अभी तो रिपोर्ट आयी ही नहीं है। जब भ्रष्टाचार के प्रति आपके अधिकारियों का यह रुख है और वे अधिकारी जो गोरखपुर के जिलाधीश हैं, जो बड़े जिम्मेदार हैं और जिनके बारे में उस दिन १५ जुलाई को जब जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट आपकी सभा में बोलने के लिये खड़े हुए तो आपने कहा कि आपकी आवाज तो शाही जी के साथ मिलनी चाहिये। उसी दिन वसूलयाबी की ज्यादती के सम्बन्ध में मैंने एक शिकायत रखी थी तो उसके लिये कहा गया कि सम्बन्धित अधिकारी को पनिशमेंट कर दिया गया है और वहां से उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। मैंने समझा कि पनिशमेंट के अलावा उसका ट्रांसफर हुआ होगा लेकिन बाद में पता लगाने पर मालूम हुआ कि उसका ट्रांसफर ही पनिशमेंट था। क्या यही भ्रष्टाचार और ज्यादतियों को रोकने का आपका प्रयत्न है?

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वाकई आप भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सचेष्ट और सक्रिय हैं तो जरा स्वयं कष्ट कीजिये, केवल कलेक्टर के ऊपर ही निर्भर रह कर भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयत्न न कीजिये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आयन्दा खुद जाकर जरा कचहरियों का मुआयना कीजिये जहां एक-एक दिन में दो-दो सौ मुकदमें लगा दिए जाते हैं और तहसीलदार साहब केवल एक घंटे के लिये ही वहां आते हैं। इस पर गौर करना है कि इस तरह से इन अदालतों और तहसीलों का भ्रष्टाचार कैसे दूर हो सकता है।

अब इसके बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पुस्तिका में बहुत से विधेयकों का जिक्र किया गया है। तो विधेयकों के सिलसिले में ही अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जमींदारी विनाश और लैंड रिफार्म्स ऐक्ट में जो व्यवस्था की गई है और जो कई वर्ष से इस सूबे में लागू है उसको कई वर्ष के बाद भी शहरी क्षेत्रों में क्यों नहीं लागू किया गया? बाद में मुझे मालूम हुआ कि आपने शहरी क्षेत्रों के लिए भी एक कानून बनाया है परन्तु वह भी सिविलयन पापुलेशन वाले क्षेत्रों पर आप उसको लागू करने नहीं जा रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मुहब्बत उनको शहरी जमींदारों से है जो वे उनके साथ रियायत पर रियायत करते जा रहे हैं? वे अपनी एक एक चप्पा जमीन बेच-बेच कर उससे मालदार होना चाहते हैं। उनको सहूलियतें देने से क्या अभी तक आपका पेट नहीं भरा है जो इस तरह से आप शहर के रहने वालों की जिन्दगी को हराम कर रहे हैं?

श्री चरणसिंह—आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। अधिष्ठाता महोदय, यहां पर जितनी ही शिष्ट भाषा का इस्तेमाल किया जाय वह अच्छा होगा। मेरा पेट भरा है या नहीं भरा है, इस तरह की बात न माननीय सदस्य के लिये शोभा की बात है और न मेरे लिये शोभा की बात है और न सुनने में ही ऐसी बात अच्छी लगती है।

श्री मदन पांडेय—यदि इन शब्दों से उन्हें कुछ कष्ट पहुंचा है तो मैं अपने मतलब की बात आगे कहता हूं और इन शब्दों को वापस लेता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अधिक दिनों तक इस शहरी जमींदारी विनाश कानून को न अटकाये रखें। अगर सेल्स टैक्स ऐक्ट की मंजूरी वह २४ घंटे में दिल्ली से मंगवा सकते हैं तो इस पर भी आपको स्वीकृति फौरन मिल सकती है।

इसके अतिरिक्त जहां तक बाढ़ का सम्बन्ध है उस आइटम के सम्बन्ध में कहा गया है कि ५६–५७ में आपने बहुत सी बल्लियां, बांस और खर की व्यवस्था की थी बाढ़पीड़ितों के लिये। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आपने....

श्री चरणसिंह--प्वाइंट आफ आर्डर। मेरा कहना है कि वह बाढ़ वाला अनुदान पेश नहीं है, वह सूखे, बाढ़ का जो अनुदान था वह तो पास हो गया। मैं समझता हूं कि अब उस पर बहस करना अप्रासंगिक और इर्रेलेवेंट होगा।

श्री अधिष्ठाता--आप इसी अनुदान पर बोलें जो इस समय सदन में पेश है।

श्री मदन पांडेय--माननीय मंत्री महोदय ने अब बाढ़ वाली बात तो समाप्त कर दी लेकिन इसके अलावा मैं कहूंगा कि बहुत सी शिकायतें हमारे और हमारे मित्रों के पास आती हैं। बहुत सी शिकायतें कुर्क अमीनों के विरुद्ध हैं। मैंने स्वयं भी जो शिकायतें दी थीं उनका जो परिणाम हुआ वह भी मैंने आपको बताया। इस एक रुपए की कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मुझे कोई खुशी नहीं होती। मैं तो चाहता था कि इस अनुदान पर वादविवाद वृद्धि का प्रस्ताव लाकर होता तो अच्छा था और मैं उसका समर्थन बड़ी खुशी से करता। मैं उन तहसीलों की तरफ भी ध्यान दिलाऊंगा कि जहां पर बगैर बीस आने दिये कोई कागज नहीं देखा जा सकता, इस चीज की ओर भी मंत्री जी ध्यान दें। आपकी तबादले की जो नीति है उस पर गौर करें। जिन अधिकारियों को आप अपनी प्रशासन सम्बन्धी नीतियों के कारण केवल तब्दील कर देते हैं उनके उस तबादले के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि जिस ५७–५८ के कार्य के लिये आप हमसे इस मद में साढ़े ५ करोड़ रुपया स्वीकार कराना चाहते हैं उसमें मैं जानना चाहता हूं कि महाराजगंज के एस० डी० एम० का ३ बार तबादला किया गया और तीनों बार फिर क्यों रोक दिया गया? केवल इसलिये कि एलेक्शन हो जाय उसके बाद देखा जायगा। इस तरह से एलेक्शन के लिये तबादलों को रोकना और ऐसी नीति बनाना कि जब तक एलेक्शन खत्म न हो जाय उन्हें कार्यान्वित न किया जाय मुनासिब नहीं है।

श्री चरणसिंह--प्वाइंट आफ आर्डर, एस० डी० एम० के ट्रान्सफर का ताल्लुक माल विभाग से नहीं है, अगर तहसीलदार का तबादला रोका हो तो वह फरमा सकते हैं।

श्री मदन पांडेय--मैं दोनों के विषय में कह सकता हूं।

श्री अधिष्ठाता--आप बैठ जाइये, यह अनुदान राजस्व का है। इसमें तहसीलदार तो आता है लेकिन एस० डी० एम० के सम्बन्ध में आप बहस न करें।

श्री मदन पांडेय--कोई ऐसी बात नहीं है एस० डी० एम० नहीं आ सकते हैं तो उदाहरण की मेरे पास कमी नहीं है, आपकी सरकार में उदाहरण एक दो नहीं कितने ही मिलेंगे।

श्री अधिष्ठाता--भवन में जरा शान्ति रखी जाय।

श्री मदन पांडेय--माननीय मंत्री महोदय को मेरी हर एक बात में ऐब दिखाई पड़ते हैं तो मैं केवल यह निवेदन करूंगा कि इस अनुदान पर स्वीकृति मांगते समय जो यह पुस्तिका हमें दी गई है, इसमें जो चीजें दी गई हैं उनका सच्चे हृदय से पालन करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहूंगा कि समय हर एक माननीय सदस्य के लिये निर्धारित कर दिया जाय और मेरा प्रस्ताव है कि हर एक व्यक्ति को दस मिनट दिये जायं और विरोधीदल के नेतागण इस पर १५ मिनट भाषण दें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, मुझे एक सुझाव देना है। कल भी इस प्रकार का सुझाव आया था और मैं समझता हूं जैसा कल माननीय नेता विरोधी दल का सुझाव था, जिसको सदन ने स्वीकार किया था वही सुझाव अगर आज भी माना जाय तो अच्छा होगा।

श्री अधिष्ठाता---बताइये क्या सुझाव था।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---वह यह था कि जो कटमोशन मूव कर रहा है उसको २० मिनट का समय और साधारण सदस्यों को १० मिनट का समय। और नेता लोगों को १० मिनट से ज्यादा बोलने का अधिकार देना चेयर की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया था। मैं समझता हूं यही उचित भी है।

श्री चरणसिंह---श्रीमन्, मैं यह सुझाव देना चाहता था कि बजाय २० मिनट के कटमोशन वाले को १५ मिनट का समय दिया जाय...

श्री अधिष्ठाता---कटमोशन तो पेश हो चुका।

श्री चरणसिंह---यह तो हम कल तक के लिये तय कर रहे हैं। तो आगे कटमोशन वाले को १५ मिनट और दूसरों को १० मिनट का समय दे दिया जाय।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---श्रीमन्, आज का तो कटमोशन पेश हो चुका है। परन्तु मंत्री जी ने जो सुझाव दिया है मैं समझता हूं कल जो सुझाव था वही ज्यादा अच्छा होगा बनिस्बत इसके कि उसका समय कम किया जाय।

श्री गेंदासिंह---मैं समझता हूं शायद यह बात पहले तय हो चुकी है। २० मिनट या १५ मिनट की बात तो अभी न की जाय क्योंकि इस समय न तो नेता विरोधी दल हैं और न वे ही लोग हैं जिनके बीच में यह बात तय हुई है। और मैं ऐसी बात भी नहीं समझता कि माननीय चौधरी साहब को इस तरह का प्रस्ताव करने का हक नहीं है। लेकिन बेहतर यह होगा कि वह लोग भी मौजूद हों तब इसको तय कर लिया जाय।

श्री चरणसिंह---जैसा हाउस और आप श्रीमन्, मुनासिब समझें कर लें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---कटमोशन तो पेश हो चुका है, इसलिये मैं चाहता हूं नेताओं के लिए १५ मिनट का समय रहे और जो अन्य सदस्य भाषण दें उनके लिये १० मिनट का समय रहे।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज माननीय माल मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे सबसे पहले एक बात यह कहनी है जो माननीय मदन पांडेय से सुनी कि जब माल मंत्री जी से कोई शिकायत की जाती है तो वह कहते हैं कि मुझसे क्यों नहीं कही या पहले मुझे क्यों नहीं बतायी। तो यह सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ। आज तक जब कभी भी किसी ने शिकायत की, मैं भी एक सदस्य की हैसियत से आपको बता देना चाहता हूं कि जब कभी भी किसी को अवसर मिला है उनसे बातचीत करने का और कभी भी कोई शिकायत उनके विभाग की की गई तो बड़े ध्यान पूर्वक उन्होंने सुनी है और तत्काल कार्यवाही भी की है। हमें इस बात के लिये गर्व होना चाहिये कि हमारे माल मंत्री जी अपने विभाग के बारे में इतने सचेष्ट रहते हैं। साथ ही साथ यह भी बताना है कि किसानों की कठिनाइयों की जो जो बातें उनके सामने रखी गईं और जिस धैर्य के साथ उन्होंने उस पर कदम बढ़ाया उसके लिये उत्तर प्रदेश के किसान बहुत आभारी हैं।

इसके अलावा यह भी बता देना चाहता हूं कि जमींदारी विनाश कानून जिस ढंग से बनाया, जिससे प्रान्त के किसानों को जो फायदा हुआ, जिसके बारे में माननीय महाबीर प्रसाद जी ने अपने विचार जाहिर किये, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के इस कार्य से जितना फायदा यहां के किसानों को पहुंचा है उतना देश में कहीं नहीं पहुंचा है ।

अब मुझे दो एक बातें आपके सामने रखनी हैं । लेखपालों को अभी भी जो अधिकार किसी भी खेत के ऊपर नाम लिखने का मिला है वैसा शायद हाई कोर्ट के जज को भी नहीं है । उसके लिये सब को शिकायत है, कहीं कहीं झगड़े भी हो जाते हैं । ऐसी दशा में मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो अधिकार लेखपालों को एक आदमी का नाम काटकर दूसरे का नाम लिखने का है उसके लिये तत्काल ऐसा आदेश करें कि वह अधिकार उनको न रहे । हाकिम परगना को भी उतना अधिकार नहीं है जितना कि लेखपाल को है । हाकिम परगना के यहां तो पहले दावा करना पड़ेगा, गवाही देनी पड़ेगी और फिर उसके बाद अगर गवाही ठीक हो गई, सबूत सही हो गया, शहादत ठीक हो गई तब कहीं जाकर वह नाम काटने का हुक्म देगा । उसके बाद भी वह पता नहीं कहां जायगा, अमलदरामद में जायगा, या क्या होगा और अमलदरामद में लेखपाल चाहेगा तो काटकर ठीक करेगा, नहीं चाहेगा तो पता नहीं क्या क्या करेगा । तो मैं निवेदन करूंगा कि नाम काटकर दूसरे का नाम लिखने का अधिकार उसको नहीं होना चाहिये । जब तक कि खेत का मालिक या जो उस पर काबिज है वह राजी न हो जाय कि खेत से उसका नाम काटकर दूसरे का नाम लिखा जाय तब तक लेखपाल को इसका अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार का जितना नाम लिया जाता है उतनी बात तो सचमुच है नहीं । हां, भ्रष्टाचार है । लेकिन उस भ्रष्टाचार के जिम्मेदार केवल सरकारी कर्मचारी ही नहीं हैं और केवल माननीय चौधरी चरणसिंह जी ही उसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि जितने भी इस प्रान्त के लोग हैं सभी अपनी-अपनी जगह पर उसके लिये जिम्मेदार हैं, अगर वह उसे सोचें और समझें । कचहरियों में हम भी जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से लोग रिश्वत दिलाते हैं । जब केस पेश होता है तो वकील मुख्तार लोग मुवक्किल से कहते हैं कि बिना २० आने दिये यहां काम नहीं चलेगा । हाकिम लोग भी इस बात को जानते हैं लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते । इसको रोकने के लिये मैं जो उनके सलाहकार हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इसको रोकें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर दिलाऊंगा ।

एक बात यह भी मुझे निवेदन करनी है कि हाकिम परगना में लोग तारीख अपने हाथ से डाले और जो मुवक्किल हो उसको बता दें कि आपके मुकदमें में यह तारीख पड़ी ।

एक बात मैं खासतौर से कहना चाहता हूं जो कि सबको शायद पसन्द हो कि नये विभाग जो सरकार के खुलते हैं उसमें बड़े जोरों के साथ हमारी सरकार भी और हमारी सरकार के हमदर्द भी चलना चाहते हैं जैसे कि एन०ई०एस० ब्लाक्स हैं या कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स हैं उनके जो अधिकारी हैं उनको देखते हुये सबको दुख होता है कि तहसीलदार क्या वही काम नहीं करता है । उसके ऊपर सारे माल विभाग की जिम्मेदारी है । साथ ही साथ जितने अन्य कार्य अन्य विभागों के हैं वह भी उसी के ऊपर लदे रहते हैं । इसी तरह एस०डी०एम० के ऊपर भी सारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसकी सहूलियतों को देखते हैं और एन०ई०एस० ब्लाक्स वगैरह के जो बी०डी० ओज० हैं उनकी सहूलियतों को देखते हैं तो उनकी सहूलियतें इनसे कहीं कम हैं । इसी तरह से कानूनगो की भी हालत है ।

मैं इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाऊंगा और यह कहूंगा कि जिस तरह से एन०ई०एस० ब्लाक्स के बी०डी०ओज० को मोटरें दी गई हैं उसी तरह से तहसीलदारों को भी मोटरें मिलनी चाहिये, उनके काम के बोझ को देखते हुये । अगर उनको भी यह सहूलियतें द दी जायं तो मैं समझता हूं कि जो हमारे सामने दिक्कतें आती हैं कि बाढ़ आयी और एस०डी०एम० को फौरन पहुंचना है, तो एस०डी०एम० कैसे पहुंचे । अगर उसके पास भी मोटर होती तो वह फौरन

[श्री धनुषधारी पांडे]

पहुंच सकता है, तो यह दिक्कतें दूर हो सकती हैं। इन सब बातों को देखते हुये उसको भी वह सारी सहूलियतें देने का प्रबंध होना चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस मांग का समर्थन करता हूं।

*डाक्टर खमानी सिंह (जिला मुरादाबाद)--श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, जो हमारे मुखालिफ दल की तरफ से कटमोशन पेश हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। लेकिन पेश्तर इसके कि मैं इस मोशन पर कुछ अर्ज करूं एक चीज आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तीन चार साल से मेरे दिल में एक गोली लगी हुई है और वह गोली है एक बहुत बड़े हमारे दोस्त की। मैं अपने ऐलक्टर्स का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं उस गोली का यहां आपरेशन कर सकूं। यह आपरेशन थियेटर जो उस गोली को निकालने के लिये मुझे मिला है उसके लिये मैं अपने एलेक्टर्स का मशकूर हूं और श्रीमान् जी का भी मशकूर हूं। हमारे एक बहुत बड़े नेता ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया और कहा कि एलोपैथिक डाक्टर्स आर दी एजेंट्स आफ दी वेस्ट। ये वर्ड्स हैं जो गोली की तरह मेरे सीने में चुभ रहे हैं। ये हेल्थ से ताल्लुक रखते हैं इसलिये अधिष्ठाता महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे हेल्थ पर इस सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया जायगा और वहां उस वक्त इस गोली के सम्बन्ध में अर्ज करूंगा।

अब, श्रीमान् जी, इस रेवन्यू के सम्बन्ध में मैं अर्ज करता हूं। सबसे पहले मेरे बुजुर्ग दोस्त हाफिज साहब ने उस रोज फरमाया था कि रेवेन्यू जो है वह टैक्स नहीं है, बल्कि यह मुआविजा है उस जमीन का जो हम लोग किसानों को देते हैं उससे फायदा उठाने के लिये। श्रीमान् जी, अगर उनके ही वर्ड्स लिये जायं कि यह मुआविजा है टैक्स नहीं है, तो क्यों नहीं सब जमीनों पर मुआविजा है। क्या वजह है कि बहुत सी जमीनें जो आपने दे रक्खी हैं उन पर कोई टैक्स नहीं है और जो काश्तकारी पर जमीन है उस पर लगान है, मिसाल के लिये बर्लिंग्टन होटल है जिसकी आमदनी रोजाना ३००, ४०० रुपये है, वह भी जमीन पर ही बना हुआ है लेकिन उस पर आप कोई मुआविजा नहीं लेते। इस बर्लिंग्टन होटल को उड़ा दिया जाय और काश्तकार को वह जमीन दे दी जाय तो कल ही हमारे माल मंत्री जी टैक्स उस पर लगा देंगे। क्या यह अन्याय नहीं है?

(इस समय ३ बज कर २४ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

जिस जमीन पर काश्तकार काबिज है, उसमें कुछ पैदा नहीं होता, सुबह से शाम तक वह उस पर मेहनत करता है लेकिन पेट भर खाने को नहीं मिलता उस पर आप लगान लेते हैं।

श्रीमान् जी, दूसरी बात यह अर्ज करूंगा कि लगान वसूल करने का वही पुराना तरीका चला आ रहा है। जब हम आजाद नहीं हुये थे तो हमारे नेता लोग कहा करते थे कि भाई काश्तकार पिसा जा रहा है, लगान वसूल करने का तरीका बड़ा सख्त और दुखदायी है। श्रीमान् जी, अगर गौर से देखा जाय तो कोई फर्क उस तरीके में और आज के तरीके में नहीं मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना हो गया है कि पहले जमींदार लगान वसूल करता था, वही काश्तकार पर नालिश करता था तब जा कर उसे मौका मिलता था लगान वसूल करने का। लेकिन आज कोई जरूरत नहीं है नालिश करने की। अमीन जाता है और कुर्की कर लेता है। अंग्रेजों के जमाने में काश्तकारी के सामान की कतई कुर्की नहीं होती थी लेकिन आज जबकि हम आजाद हैं तो उस समय काश्तकारी का सामान नीलाम कर लिया जाता है।

शरह का जहां तक सम्बन्ध है हमारे दोस्त ने आंकड़े बतलाये। उसके मुताल्लिक ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहां जो लगान है वह दूसरे सूबों के मुकाबिले में बहुत ज्यादा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, सन्, ३६ में कांग्रेस ने रिजोल्यूशन पास किया था, जिसकी आज गवर्नमेन्ट है, कि अनएक्नामिक होल्डिंग्स पर लगान नहीं होगा। उस रिजोल्यूशन को पास करते वक्त क्या आपका दिमाग और ध्यान कुछ और था और आज आपका दिमाग और ध्यान कुछ और है ? अगर वाकई यह रिजोल्यूशन आपने पास किया था तो क्या ऐक्शन सरकार ने उसके मुताल्लिक लिया।

श्रीमान् जी, काश्तकार रात दिन अनेक प्रकार की मुसीबतों से घिरा हुआ है। उसे अच्छे जानवरों व बीज की जरूरत होती है। हमारे यहां जो चरागाह हैं उन पर भी लगान लग गया है। फिर मजे की बात यह है कि वे चरागाह शहर वालों को एलाट कर दिये गये हैं इसलिये कि गल्ला कम है, उन पर गल्ला अधिक पैदा किया जाय शहर वाले थोड़े पैसे में उनको एलाट करा लते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं। वे टिप कर देते हैं, रिश्वतें देते हैं और जमीनों को अपने नाम एलाट करा लेते हैं।

श्री चरणसिंह--प्वाइंट आफ इनफार्मेशन, कौन सी जमीन का जिक्र कर रहे हैं ?

डाक्टर खमानी सिंह--जो चरागाहों की जमीन है।

श्री चरणसिंह--शहर वालों के अलावा ऐसी जमीन है ?

श्री उपाध्यक्ष--आप बतला दें कि कौन-कौन सी हैं, जिससे माननीय मंत्री जी को सुविधा हो जाय।

डाक्टर खमानी सिंह--श्रीमान् जी, जब जमींदारी जब्त नहीं थी तो सिर्फ हमको लगान ही लगान देना पड़ता था और लगान बढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन अब एक टक्स और बढ़ा दिया गया और वह है अबवाब। पहले वह जमींदारों से लिया जाता था और मुनाफे पर लिया जाता था। अब यह अबवाब टैक्स मुनाफे पर नहीं बल्कि लगान हो गया है। यह असल में गवर्नमेन्ट को देना चाहिये था और गवर्नमेन्ट का हक था पे करने का, क्योंकि पहले तो जमींदारों का अबवाब था और अब गवर्नमेन्ट जमींदार हो गयी तो अब वह गवर्नमेन्ट को देना चाहिये।

श्रीमान् जी, एक चीज मैं आप से यह अर्ज करूं कि अभी कल और परसों हमारे सदन में इस बात की बड़ी चर्चा थी कि पूर्वी जिलों में कहत पड़ रहा है। हमारे माल मंत्री जी ने यह फरमाया कि कहत तो नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि कुछ काश्त की कमी है। जब हमारे पास नाज की कमी है, हमारे पास खाने को नहीं है, तो श्रीमन् जी मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हमको फिजूल खर्चा करने से क्या फायदा है। हमारी गवर्नमेन्ट के इस काम को अगर दो तरह से डिवाइड किया जाय कि एक तो मुहम्मद तुगलक का काम और एक औरंगजेब का काम तो ज्यादा मुनासिब होगा। मुहम्मद तुगलक का काम यह कि मामूली सा आपके पास पैसा है, गल्ला नहीं है और हाउस को एयर कंडीशंड बना रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिये। जब आपने वोट मांगा था तो यह नहीं कहा था कि हम इस हाउस को एयर कंडीशंड बनायेंगे। जो वादे किये हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिये। जो रुपया आप इसमें खर्च करेंगे वह बिलकुल फिजूल खर्च होगा। एक और मिसाल बता दूं कि हमारी तहसील में एक फ्लड शेड बना है और वह १५ मार्च और ३१ मार्च के बीच में बना है। १५ दिन में उस पर १५,००० रुपया खर्च हुआ है और वह ऐसी जगह बना है कि उससे १५ पैसे का भी फायदा नहीं होगा। वह "चोर-गृह" के नाम से मशहूर है।

एक बात और अर्ज कर दूं कि जमींदारी जब्त की, ठीक है, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जमींदारी जब्त करने के बाद हम लोगों को, जो गरीब काश्तकार हैं, छोटे-छोटे जमींदार थे देहातों के, उनको तबाह और बरबाद कर दिया। मिसाल के तौर पर बता दूं कि हमारी हजार रुपये की जो जायदाद थी उसका मुआविज १० रुपया दिया। खैर, वह भी ठीक है, १० दिये या ५ दिये, लेकिन आपने क्या दिया ? आपने हमको छोटे-छोटे बांड्स दिये हैं, सौ-सौ दो दो सौ रुपये के। जब भुनाने जाते हैं तो साल में ४ रुपये मिलते हैं, २ खर्च होते हैं। वह बांड हमने ४०-४०

[डाक्टर खमानी सिंह]

रुपये के शहरियों के हाथ बेचे हैं। यह आपका न्याय कहां तक सही है ? मैं अर्ज करूंगा कि इन बांड्स को फौरन जब्त कर लीजिये और जितने हजार रुपये से कम के बांड्स हैं उनके पेमेंट फौरन किये जायं। हजार से ऊपर वालों का रोक लीजिये, जब आपके पास पैसा हो तो उनका पेमेंट कर दीजिये।

मैं ऐग्रीकल्चरल इनकमटैक्स के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। ऐग्रीकल्चरल टैक्स को अगर हटा करके उसका नाम "जजिया" या "चौथ" रख दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स और अदर इन्कम टैक्स, (other income tax) इन सबके रूल्स एक ही होने चाहिये। वह सब मालदार लोगों पर पड़ता है और इसके रूल्स भी अलग हैं। लेकिन ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स हमारे ऊपर पड़ता है और इसके रूल्स अलग हैं। उसके मुकद्दमे दो-दो तीन तीन साल में जाकर कहीं तय हो पाते हैं लेकिन हमारे यहां १५ दिन में सब मामले तय हो जाते हैं। वहां टैक्स देने के लिये, नक्शा बनाने के लिये वक्त मिलता है लेकिन हमारे यहां कोई वक्त नहीं मिलता। यहां कोई हिसाब नहीं है। वैसे हिसाब है, लेकिन हिसाब के मुताल्लिक में अर्ज करूं कि हम लोग हिसाब नहीं रख सकते हैं। श्रीमन्, मैं कहूंगा कि यह ठीक नहीं है। यदि आपको यह टैक्स लेना ही है तो इसके लिये मैं सरकार को एक मशविरा दूंगा कि जो लोग काश्त नहीं करते हैं उन लोगों से यह टैक्स लिया जाय और जो लोग हमारा पैदा किया हुआ गल्ला खाते हैं उनसे टैक्स लिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रामजी लाल सहायक (जिला मेरठ)—मान्यवर, हमारे प्रदेश में भूमि व्यवस्था के लिये माल मंत्री जी और प्रादेशिक सरकार द्वारा जो कदम उठाये गये हैं, वह प्रशंसनीय हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हमारी भूमि व्यवस्था के लिये जो कदम उठाये गये हैं, उनकी चर्चा देश भर में है और अन्य प्रादेशिक सरकारें उनका अनुकरण करने की सोच रही हैं। ऐसे कार्यों के लिये माल मंत्री जी और हमारी प्रादेशिक सरकार प्रशंसा के पात्र हैं और हमें उनको बधाई देनी चाहिये।

श्रीमन्, हमारे प्रान्त में भ्रष्टाचार की बड़ी चर्चा की जा रही है। बहुत शोर है और यहां भी और बाहर भी लोग इसके सम्बन्ध में कहते हैं। मैं नहीं समझ सका कि आखिर यह शोर है क्या ? यह तो उस वक्त हो सकता है कि एक तरफ कहा जाय कि भ्रष्टाचार है और दूसरी तरफ कहा जाय नहीं है। हमें एक पुस्तिका माल विभाग की मिली है उसके प्रथम पृष्ठ पर ही इसका उल्लेख है। जिन्होंने इसे पढ़ा है उन्हें विश्वास होना चाहिये कि माल विभाग और सरकार के अन्य अंग इसके प्रति सजग और जागरूक हैं। जब कभी कोई शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है तो फिर खाली शोर मचाने से कोई लाभ नहीं हो सकता है। अगर हम समझें कि भ्रष्टाचार सरकार के कंधे पर डालकर जिम्मेदारी से दूर हो जायं तो यह नहीं हो सकता है। हमारे समाज में अगर कोई खराबी है, कोई सामाजिक रोग है तो हम सबको मिलकर उसका उपचार करना होगा। जो भ्रष्टाचार की बात कहते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। समाज में जितनी इकाई हैं सबकी जिम्मेदारी है। हम क्यों न लोगों में यह प्रचार करें कि जो लोग भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं वह न हों। आखिर रिश्वत इसी लिये तो दी जाती है कि हमारा काम जल्दी हो और गलत काम हो। अगर हम, लोगों में यह प्रचार कर दें कि चाहे हमारा काम हो या न हो और चाहे हमें कितनी भी दिक्कत उठानी पड़े लेकिन हम कभी इसके पास नहीं जायेंगे तो इसका इलाज जल्दी हो सकता है। मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि इसकी जिम्मेदारी केवल सरकार पर डालना ठीक नहीं होगा।

मान्यवर, चकबंदी के बारे में मैं कहूंगा कि हमारे प्रदेश में कई जिलों में कई वर्षों से हो रही है। चुनाव के दौरान में जब लोगों को कई किस्म की शिकायतें हो जाती हैं और उनकी मांगें भी कई तरह की हो जाती हैं, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि उस वक्त भी जब कहीं हम लोग गये और लोगों से पूछा कि चकबंदी का क्या हाल है तो उन्होंने यही कहा कि बहुत अच्छी

तरह से हो रही है । आज भी मैं यह कह सकता हूं कि हमारे पास जो किसान चकबंदी के सिलसिले में आते हैं उनकी तादाद दो प्रतिशत से कम है और उन्हें चकबंदी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं होती है बल्कि कुछ खेतों के अदलाव बदलाव की बात होती है। जब हम सैद्धांतिक तौर पर यह मानते हैं कि चकबंदी हमारे किसान के लिये फायदेमंद है, उससे उपज बढ़ेगी तो फिर यदि उसमें कुछ छोटी-मोटी बातें आती हैं उनको हमें सहना चाहिये न कि शोर मचाया जाय ।

इस सिलसिले में मैं सरकार से यह जरूर निवेदन करूंगा कि गांवों में गरीब जनता रहती है । उनको घर बनाने की दिक्कत होती है । चकबंदी कानून में यह बात है कि रहने के लिये जमीन छोड़ी जाय और अवाम के फायदे के लिये जो चीजें हों उनके लिये भी जमीन छोड़ी जाय । लेकिन ऐसे मामले मेरे सामने आये जहां चकबंदी हुई और जमीनें नहीं छोड़ी गयीं । इससे गरीब लोग, जिनमें ज्यादातर हरिजन होते हैं, उनके बसने की बड़ी दिक्कत हो जायगी । काफी तादाद में ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि उन्हें मकान बनाने को जमीन नहीं मिल रही है । अभी तक तो एक दूसरे से ले लिया करते थे लेकिन चकबंदी हो जाने पर बड़ी दिक्कत होगी । इसलिये मंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि यदि आगे चकबंदी कानून का कोई संशोधन हो या किसी और तरह से वे यह कम्पलसरी कर दें कि गांवों में बस्ती के लिये जमीन छोड़ी ही जायगी तो ऐसा होने से गरीब लोग उन्हें धन्यवाद देंगे ।

एक बात मुझे और निवेदन करनी है कि भूमि व्यवस्था का जितना काम होता है वह सब माल विभाग के द्वारा होता है । हमने गांव पंचायत कानून के द्वारा गांव समाजों को अधिकार दिया है कि वे गांव की परती जमीनों का लेखा जोखा रखें, उसे उठायें । इस सिलसिले में ऐसी शिकायतें आयी हैं कि गांव समाजों की जमीनों पर किन्हीं लोगों ने कब्जा कर लिया । वे पंचायत अधिकारी के पास गये लेकिन वे उस मसले पर मौन हैं । तो मैं यह समझता हूं कि अगर गांव पंचायत विभाग पूरे का पूरा माल विभाग के साथ जोड़ दिया जाय तो अधिक उत्तम होगा । गांवों में खेती का पेशा करने वाले ही लोग रहते हैं । उद्योग-धंधे भी अगर वहां होते हैं तो उनका भी सम्बन्ध खेती से होता है । इसलिये माल मंत्री जी से मेरा यह नम्र निवेदन है कि वे मेरे इस सुझाव पर कि गांव पंचायत विभाग माल विभाग के साथ जोड़ दिया जाय, विचार करें और इसे कार्यान्वित करने की कृपा करें ।

इसके अलावा, श्रीमन्, ऊसर भूमि सुधारने के लिये और देश में अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार की तरफ से तकावी और सहायता दी जाती है । ऐसी बहुत सी जमीनें पड़ी हैं जहां कुछ भी पैदा नहीं होता । हमारे बहुत से नौजवान जिन्होंने ऐग्रीकल्चर में बी० एस–सी० किया है इस काम की तरफ जा रहे हैं । हमारे तकावी देने के जो नियम हैं वे लगान की शरह के अनुपात से हैं । ऊसर और परती जमीन का लगान बहुत कम आता है जिसकी वजह से तकावी बहुत कम मिलती है और लोग परती जमीनों को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया इस ओर भी ध्यान दें क्योंकि ऐसी परती जमीनों को सुधारने के लिये ज्यादा रुपये की जरूरत होती है । मेरी जानकारी में एक आध जगहें ऐसी आई हैं । मेरी तहसील में एक बी० एस० सी० हैं, नौजवान हैं । उन्होंने काफी जमीन ली है मलियाने के आगे और उन्होंने खेती भी की है । लेकिन वह बेचारे परेशान थे । उनकी मदद नहीं की जा सकी क्योंकि उस जमीन का लगान बहुत कम था । यह दिक्कत उसने हमारे सामने रखी । तो मैं यह चाहूंगा कि अगर हमारे तकावी नियमों में यह गुंजायश हो सके कि ऐसी जमीनों पर अधिक तकावी मिल सके तो वह हमारे देश में अधिक अन्न उत्पादन में सहायक होगी ।

यूं जो और अन्य तकावी देने के नियम हैं वह इस प्रकार के हैं कि जिनसे हमारा गरीब किसान पीछे रह जाता है, उसको तकावी नहीं मिल पाती । ट्रैक्टरों और ट्यूबवेलों की जो तकावी है यह ठीक है कि उसे बड़े काश्तकार ही पायेंगे, लेकिन जमीन सुधारने, बीज के लिये या बैलों के लिये जो थोड़े रुपयों की तकावी है वह छोटे किसानों

[श्री रामजीलाल सहायक]

को मिलनी चाहिये और इसके लिये ऐसे नियम बनाये जायं कि जो छोटी जोत वाले किसान हैं उनको भी यह मिल सके। छोटे किसान नियमों के फेर में पड़े रहते हैं और उनको तकावी नहीं मिल पाती। सरकार का तो यह मंशा है कि गरीब किसानों के पास भी यह पैसा जाय और वह अपनी खेती की इससे वृद्धि कर सकें, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि यदि वह इस तरफ भी कदम उठा सके तो उत्तम होगा।

मान्यवर, मेरा एक नम्र निवेदन यह भी है कि सरकार को अब जल्दी ही यह कदम भी उठाना होगा कि हम प्रदेश में एक किसान की कितनी जोत की इकाई रखें, क्या सीमा हो ३० एकड़, २५ एकड़ या ५० एकड़ की। भूमि व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ, बहुत से कानून बने लेकिन आज भी ऐसे बड़े बड़े फार्म हैं कि जो आज अच्छे नहीं लगते। मुझे यकीन है कि माननीय मंत्री जी का ध्यान इस विषय की ओर है और जब कभी इस विधान में संशोधन होगा, वह इस ओर कदम उठायेंगे।

इन चन्द शब्दों के साथ मान्यवर, जो अनुदान मंत्री जी ने पेश किया है, मेरी सदन से प्रार्थना है कि उसे वह स्वीकार करें।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष की ओर से इस अनुदान पर जो कटमोशन पेश हुआ है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

मालगुजारी का सम्बन्ध जमींदारी खात्मे से पहले जमींदारों से और जमींदारी खात्मे के बाद काश्तकारों से हुआ। जमींदारी खात्मे से पहले काश्तकारों से यह साफ तौर से वायदा किया गया था कि जमींदारी खत्म होने के बाद उनको जमीन का मालिक बना दिया जायगा और उनको वे अधिकार दे दिये जायंगे जो जमींदारों को थे। उनसे उस समय यह बात नहीं कही गई थी और न इस किस्म का कोई कानून था कि उनको उस भूमि का अधिकार पाने के लिये कुछ कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। आज इस बात की हम को खुशी है कि शासक दल की ओर से भी इस बात का समर्थन मिलता है कि काश्तकारों को भी भूमिधरी का अधिकार मिलना चाहिये, लेकिन साथ-साथ यह सौदेबाजी वाली नीति कि उनको इस अधिकार की प्राप्ति के लिये मुआवजा देना चाहिये, उसके लिये उनको दसगुना देना चाहिये, यह बात सुन कर मुझे दुःख होता है।

दूसरी बात जो इसके सिलसिले में मुझे कहना है कि जमींदारी व्यवस्था कानून में काश्तकारों को अधिवासी के अधिकार प्राप्त हो गये हैं। यह हमारे माननीय माल मंत्री जी ने काश्तकारों के हित में अच्छी व्यवस्था की है। लेकिन इस व्यवस्था के साथ-साथ काश्तकारों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। यह मैं इस आदरणीय सदन को बता देना चाहता हूं कि पटवारियों की यह खास आदत रही है कि वह काश्तकारों को ज्यादातर शिकमी नहीं लिखते हैं। जब तक कि सम्बन्धित काश्तकार उनके पास जाता नहीं है और किसी तरह से उसको लिखने पर राजी नहीं कर लेता है और अगर वह उस खेत पर कब्जा छोड़ देता है तो इस बात की पटवारी फिकर नहीं करता कि उसका नाम उस नम्बर से काट दिया जाय जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति उसके पास न जाय। ऐसी सूरत में हजारों गलतियां पटवारी के कागज में रहती हैं। उसके फलस्वरूप जमींदारी के खात्मे के बाद ऐसे काश्तकार, जिनको अधिवासी के अधिकार प्राप्त हो गये, वे लगान से बरी हो गये और जिनका वाकई खेत पर कब्जा नहीं था और न जोतते थे उनसे वसूल किया गया। उसका नतीजा यह हुआ है कि उनसे लगान गलत तरीके से वसूल किया जाता है। वे काश्तकार दरख्वास्त देते हैं लेकिन उसकी दुरुस्ती नहीं होती। मैं एक मिसाल उन्नाव की देता हूं कि वहां पर ऐसे

३ हजार केसेज पड़े हुये हैं और ऐसे काश्तकारों को लगान देना पड़ रहा है। जबरदस्ती उनसे वसूल किया जाता है। वे कहते हैं कि हमारा कब्जा नहीं है और तब भी उनसे लगान लिया जाता है।

सरकार ने जो दुरुस्ती का तरीका रखा है वह भी बड़ा पेचीदा है। इन्क्वायरी कुर्क अमीन करे। वह तहसीलदार को रिपोर्ट दे, फिर वह डिप्टी साहब के पास भेजे और तब एस० डी० ओ० उसकी दुरुस्ती करे। मेरा सुझाव इस सम्बन्ध में यह है कि अगर काश्तकार खुद आकर कहता है कि इससे हमारा वास्ता नहीं है, गलत अधिवासी बना दिया गया हूं तो उससे लगान नहीं लेना चाहिये। इसमें कोई झगड़ा नहीं है और यह अधिकार तहसीलदार को दे देना चाहिये कि इस तरह की वह दुरुस्ती कर दे। किसान इसमें परेशान होता है कि वह एस० डी० ओ० के पास जाय। इससे इसका डिस्पोजल जल्दी हो जायगा।

दूसरी बात यह है कि जमींदारी के खात्मे के बाद जब से यह वसूली होने लगी है––वह अमीनों के जरिये से होती है––तब से जमाबन्दी जिसमें मालगुजारी की वसूलयाबी का रिकार्ड रखा जाता है, उसकी हर साल तैयारी होती है। पटवारियों को तहसीलों में बुलाया जाता है और १५ दिन, महीना भर तक उनसे जमाबन्दी को तैयार कराया जाता है। यह हर साल होता है। मेरा सुझाव इस सम्बन्ध में यह है कि हर साल जमाबन्दी बनाने के तरीके को बदला जाय। एक ऐसा रजिस्टर बनाया जाय जो कम से कम ५ साल तक चले ताकि वह कागज जो खर्च होता है वह बच जाय, पटवारियों को जो तहसील में बुलाया जाता है और भत्ता देना पड़ता है उसमें बचत हो और यह वेस्ट कम हो।

भ्रष्टाचार की बात कही गयी। सरकार की तरफ से कहा गया कि जब वे विरोधीपक्ष से भ्रष्टाचार की बात सुनते हैं तो ताज्जुब होता है, क्योंकि सरकार हमेशा भ्रष्टाचारी को सजा देती है। मेरा कहना यह है कि जब सरकार को डाइरेक्ट सबूत मिलता है तब साबित होने पर ही सरकार सजा देती है। लेकिन जहां कहीं शिकायत पटवारियों के खिलाफ या किसी अधिकारी के खिलाफ रिश्वत लेने की या परेशान करने की सरकार के पास आती है तो उसकी जांच का काम उसके अधिकारी को दे दिया जाता है। उसका परिणाम यह होता है कि वह तवज्जह नहीं देते और अगर तवज्जह दी तो उनकी जांच का तरीका इतना बेतुका है जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में था उससे कोई मामला साबित नहीं हो पाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे मामले हुये हैं जिनमें काश्तकारों को लेखपालों ने मजबूर किया है कि आकर उनको रिश्वत दें। यह हो सकता है कि कहीं किसी काश्तकार ने खुद दी हो, लेकिन ऐसी मिसालें हैं जहां पर किसानों को मजबूर किया जाता है। मेरे पास एक मिसाल मौजूद है कि लेखपाल से कागज दुरुस्ती का एक काश्तकार ने इन्तखाब मांगा जिस पर एक काश्तकार का कब्जा था। लेखपाल ने उस इन्तखाब को १०० रुपये लेकर दिया। तो ऐसे मौके हैं जहां पर मजबूर किया जाता है। उस पटवारी के पास काश्तकार आकर कहता है कि इस खेत पर मेरा कब्जा नहीं है। इसका गलत इन्दराज है। लेकिन उसको सिर्फ तब्दील कर दिया जाता है। रिश्वत लेने पर या इस प्रकार के गलत इन्दराज करने पर जब तक सरकार कोई एग्जेम्प्लरी पनिशमेंट नहीं देगी तब तक इसकी रोक नहीं हो सकती। किसी अधिकारी पर डाउट हो तो उसको एग्जेम्प्लरी पनिशमेंट दी जाय नहीं तो यह रोग बढ़ता ही जायगा। वकीलों का सा तरीका नहीं होना चाहिये कि वह पूछे कि १० रुपये का नोट था या ५ रुपये का और जब तक सब लोग १० रुपये का ही नोट न बता दें तब तक उसको सजा ही न हो। किसी अधिकारी के खिलाफ अगर शुबहा है और पक्का शुबहा है तो चाहे उसके खिलाफ कहने के लिये कोई भी गवाह तैयार न हो फिर भी डिपार्टमेंटल पनिशमेंट उसको देना चाहिये और यह सजा काफी सख्त सजा होनी चाहिये ताकि वह एक नमूना बन जाय। अन्त में मैं माननीय माल मंत्री जी से

[श्री भीखालाल]

अनुरोध करता हूं कि वे इन सुझावों पर गौर करें और इनको अमल में लाने का प्रयत्न करें।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जो सदन के समक्ष प्रस्तुत है, बड़े महत्व का है। यह अनुदान साधारण जनता से सम्बन्ध रखता है। इसमें लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार से लेकर ऊपर तक के जितने अधिकारी हैं उन सबका सीधा सम्बन्ध जनता से भूमि के द्वारा होता है।

अभी काफी वादविवाद इस बात पर किया गया है कि इस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है, लेकिन वह इसी विभाग में नहीं है, सरकारी विभागों में ही नहीं, बल्कि समाज के सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है। अभी लेखपाल को ही ले लीजिये। सारे के सारे पटवारियों को हटा कर लेखपालों को नियुक्त किया गया। लेखपालों को रखने रखवाने में इस सदन के सदस्यों तथा दूसरे लोगों का हाथ रहा। सरकार ने अच्छे खासे भले लेखपालों को रक्खा। चाहे वह लेखपाल हों या दूसरे ऐसे सरकारी अधिकारी हों उन सबका सम्बन्ध समाज से है, कोई बाहर का आदमी नहीं है, कोई हमारे रिश्तेदार होंगे, कोई दोस्त होंगे या किसी के आसपास के होंगे। तो मैं पूछता हूं कि वे लोग हमारे करीब में रहते हैं और ४५-५० रुपया तनख्वाह पाते हैं तो फिर वे अच्छे स्टैंडर्ड से कैसे रहते हैं। तो यह सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार है लेकिन कुछ नहीं कहते। जब वे यहां आते हैं तो भ्रष्टाचार की बात कहते हैं। भ्रष्टाचार सारे समाज में भरा हुआ है इसलिये भ्रष्टाचार को दूर करने के पहले हमें यह सोचना होगा कि यह क्यों है और कैसे दूर हो सकता है। सारे समाज के नैतिक स्तर में भ्रष्टाचार इस प्रकार समा गया है कि वह केवल सरकार के बूते की बात नहीं है जब तक कि सब लोग मिल कर उसको दूर करने का प्रयत्न न करें। जब सब लोग मिल कर प्रयत्न करेंगे तब शायद वह दूर हो।

लेखपालों के बारे में कहा जाता है कि वह गलत इन्दराज करते हैं, मैं कहता हूं कि उनसे गलत इन्दराज कराया जाता है। आज का कानून ऐसा है कि आप शिकमी पर खेत उठा नहीं सकते हैं, लेकिन आपके पास सैकड़ों बीघा खेत है। आप कहीं नौकर हैं, कहीं मास्टर हैं या और कोई काम आप करते हैं, आप मजदूरों की बदौलत खेती करना चाहते हैं हल आप जोतना नहीं चाहते हैं तो बाकी खेत को शिकमी पर उठाना चाहते हैं और जब आप अपने खेत को शिकमी पर उठाना चाहते हैं तो फिर आप लेखपाल से फर्जी अपने नाम से इन्दराज करायेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें लेखपाल का क्या दोष है? जब आप भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिये जरूरी है कि पहले काम का बटवारा हो, एक आदमी को एक ही रोजी का काम दिया जाय। श्रीमन्, जब तक एक आदमी को एक रोजी का काम नहीं दिया जायगा, एक आदमी पचास काम करे, नौकरी भी करे, ठेकेदारी भी करे, खेती भी करे, वकालत भी करे तो और आदमी जो बेकार बनेंगे वे कहां जायं? भ्रष्टाचार का दोष अहलमद पर, पेशकार पर डाला जाता है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा मामला आज ही हो जाय, हमारा काम आज ही बन जाय, नकल जिसके मिलने में दो रोज लगते हैं और पैसा भी लगता है वह आज ही मिल जाय, तो हम खुद बखुद जाकर अहलमद को आठ आने और पेशकार को दो रुपये देते हैं। श्रीमन्, आश्चर्य की बात तो यह है कि दोनों फरीक उनको पैसा देते हैं। जब तक वे पेशकार को दो रुपया नहीं दे देंगे तब तक उनको सन्तोष ही नहीं होगा कि हमारा मुकदमा होगा। यह एक उसूल सा बन गया है कि पेशकार को दो रुपया देने पर ही मुकदमा पेश होगा।

मैं इस बात को मानता हूं कि कुछ ऐसे भी वाकयात हैं जहां रिश्वत लेने की बात बनायी जाती है, ऐसा वातावरण बनाया जाता है लेकिन मैंने देखा है कि ज्यादातर रिश्वत

देने वाले ही अधिक हैं, क्योंकि आप जब फर्जी पड़ताल कराते हैं, फर्जी इन्दराज कराते हैं तो उसके लिये रिश्वत देते हैं। यह बात हर जगह खुली हुई है कि ज्यादातर रिश्वत देने वाले हो गये हैं। बीच के भी कुछ आदमी ऐसे हैं जो रिश्वत दिलाने का काम करते हैं। तो यह बात कहना सही नहीं है कि रिश्वत केवल सरकारी कर्मचारी ही लेते हैं। जो कर्मचारी हैं वे भी हमारे आपके बीच के ही आदमी हैं और यह मानी हुई बात है कि सारे समाज में स्वार्थ फैला हुआ है और उसी की वजह से भ्रष्टाचार भी फैला हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष––मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार और रिश्वत पर आप काफी बोल चुके, कुछ और भी कहिये।

श्री राजकुमार शर्मा––अब मैं माल विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। माल विभाग द्वारा कुछ तकावी की भी व्यवस्था की गयी है। तकावी उन किसानों को नहीं मिलती जिनको मिलनी चाहिये। जिनके पास जमीन अधिक हो, लगान अधिक हो उनको भी तकावी मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये अर्थात् छोटे-छोटे किसानों को भी तकावी मिलनी चाहिये। एक बात तकावी की बड़ी अजीब है कि बैल के लिये तकावी २५ रु०, २० रु० और १० रु० तक दी जाती है। आखिर बैल १० रु० और २० रु० में कहां मिलता है? बैल के लिये १०० रु० से कम की तकावी नहीं होनी चाहिये। तकावी ऐसे लोगों के लिये भी होनी चाहिये जो खेती न करके छोटा-मोटा व्यापार करते हैं।

माल विभाग ने जहां तक मेरा ख्याल है बाढ़ के मौके पर सराहना का भी काम काफी किया है। उसके कुछ कर्मचारियों ने अपनी जान की बाजी लगा कर भी बाढ़ के मौके पर काम किया। लेकिन मैं थोड़ी-सी बात चकबन्दी के बारे में भी कहूंगा। चकबन्दी का कानून हमारे यहां नहीं लागू किया जा रहा है जबकि हमारे यहां के किसानों को उसके लिये बड़ी जोरदार मांग है। यों तो चकबन्दी की काफी शिकायत भी लोगों ने की है लेकिन हमारे यहां के किसान चकबन्दी को बहुत चाहते हैं। चकबन्दी से लाभ है।

इसके अलावा मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ भी दिलाऊंगा कि हमारे यहां बाढ़ का क्षेत्र है और उसके विषय में जिले में कुछ गांव बाढ़ क्षेत्र रिकार्ड में माने जाते हैं और वे गांव ऐसे हैं कि जो हजारों साल से बाढ़ क क्षेत्र में अभिलिखित हैं और उनको सहायता सरकार की ओर से दी जाती है परन्तु इन गांवों के अलावा कुछ गांव और हैं कि जिनको हर साल बाढ़ से हानि उठानी पड़ती है लेकिन चूंकि वह सरकार के रिकार्ड में नहीं हैं इसलिये क्षतिग्रस्त होने पर भी उनको सरकारी सहायता का कोई लाभ नहीं मिलता। हमारे यहां चुनार तहसील के परगना मुल्ली, परगना हवेली और तिरयाक परगना में ऐसे गांव हैं कि जहां हर साल बाढ़ से हानि होती है, उनकी आप जांच करा लें और उनको भी बाढ़ के रिकार्ड में अपने यहां शामिल करा लें ताकि जो सहायता दूसरे बाढ़पीड़ित गांवों में दी जाती है वह वहां के लिये भी दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब मैं माननीय माल मंत्री जी के पिछले जीवन से उनके आज के जीवन का मुकाबला करता हूं तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। पहले माननीय मंत्री जी जब इस कुर्सी पर नहीं थे तो वह कांग्रेस की एग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी में रहे थे और सम्भवतः उनकी सम्मति थी कि जो गैर मुनाफे की खेती है उस पर लगान न लिया जाय। लेकिन पता नहीं जब से वह यहां पर बैठे हैं, तब से वह इस बात को क्यों स्वीकार नहीं करते? वह कहते हैं कि ऐसा सम्भव नहीं है। ताज्जुब की बात तो यह है कि जब प्रदेश भर में इन

[श्री राजकुमार शर्मा]

बिना मुनाफे की जमीनों पर से लगान हटाने की बात चल रही है और इसको लेकर एक बड़ा भारी सत्याग्रह सोशलिस्ट पार्टी की ओर से चलाया जा रहा है और जिसमें ४,००० आदमी जेल जा चुके हैं तो भी मंत्री जी अब इसको नहीं मानते। अब माननीय मंत्री जी ने इसको सरकार की और अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है यद्यपि वह पहले स्वयं भी इस तरह की बातें करते थे, लेकिन जब से वह सरकार में आ गये इन बातों में फर्क आ गया। मुझे थोड़ा सा ताज्जुब यह भी है कि केन्द्रीय सरकार में जो वित्त मंत्री जी श्री टी० टी० कृष्णमाचारी हैं उन्होंने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया और इसको माना कि अलाभकर जोतों पर लगान नहीं होना चाहिये और कृषि आय पर टैक्स लगना चाहिये।

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोस्त से केवल यह कहूंगा कि श्री टी०टी० कृष्णमाचारी का सुझाव यह है कि लैण्ड रेवेन्यू बिलकुल नहीं लेनी चाहिये बल्कि जैसे नान-एग्रीकल्चर आय पर टैक्स लिया जाता है उसी तरह से कृषि आय पर भी टैक्स हो। तो उन्होंने उसमें एकनामिक या अनएकनामिक होलडिंग्ज का कोई भेद नहीं किया है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—माननीय मंत्री जी की बात मैंने बड़े ध्यान से सुनी और मैं समझता हूं कि वह दो कदम और आगे गये। यह जो सत्याग्रह चल रहा है और जिसमें यह मांग थी किसानों की ओर से वह केवल इतनी थी कि अलाभकर जोतों से मालगुजारी हटाई जाय। वह तो उससे भी आगे चले गये। आगे जाने की बात क्या वह केवल इसी को यदि स्वीकार करें तो सत्याग्रह को भी समाप्त किया जा सकता है तथा उनका हृदय बड़ा उदार सिद्ध होगा। मुझे आशा है कि वह कल अपने जवाब के भाषण में इस बात का एलान करेंगे कि अलाभकर जोतों से लगान हटाया जायगा। उनकी कठिनाई कृषि आय कर के बारे में हो सकती है लेकिन मैं समझता हूं कि अलाभकर जोतों के बारे में उनको कोई कठिनाई नहीं है। तो अब किस प्रकार चुप बैठे हैं और अलाभकर जोतों पर लगान लगाते चले जा रहे हैं। एक परेशानी भी होती है और वह यह कि जब मंत्री जी कांग्रेस एग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी में थे तो उसके अनुसार तो उन्होंने अलाभकर जोतों से लगान हटाने की बात कही थी और अब नहीं कह रहे हैं। पता नहीं कौन सी मुश्किल है। कौरवों का प्रश्न तो नहीं है जिसमें द्रोणाचार्य इसलिये चुप थे कि कौरवों का पैसा खाते थे। मंत्री जी पैसा खाते हैं पब्लिक का उनको तो इसलिये परेशानी नहीं होनी चाहिये थी।

दूसरी बात इस सम्बन्ध में और कहनी है वह यह कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने, सत्याग्रह के सम्बन्ध में जब यहां प्रस्ताव आया तो यहां पर कहा था कि इससे १० करोड़ रुपये का नुकसान होगा और वह रेवेन्यू कहां से आये? मानने के लिये तो तैयार हैं। लेकिन चूंकि १० करोड़ का सवाल है इसलिये यह मुश्किल का मामला है। तो जहां तक मुझे मालूम है उपाध्यक्ष महोदय का ही प्रश्न था, कि सेल्स टैक्स से १९५६-५७ में कितना रुपया वसूल हुआ? तो बताया गया कि ९ करोड़ ३५ लाख रु० वसूल हुआ। १० करोड़ का सवाल है, ९ करोड़ ३५ लाख सेल्स टैक्स से आया। तो यह समस्या हल हो सकती है और वह इस तरह कि १ करोड़ ३५ लाख जो उगाही पर खर्च होता है अगर अलाभकर जोतों पर से लगान उठा दिया जायगा तो उगाही में भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा क्योंकि स्टाफ इतना ज्यादा नहीं रखा जायगा जितना कि अब रखा जाता है। तो वह पैसा भी बचेगा। मान लीजिये कि ३५ लाख खर्च होता रहे तो एक करोड़ बचेगा इस प्रकार साढ़े दस करोड़ रुपया हो जाता है। तो इतनी बचत हो सकती है। सिर्फ हृदय में एक भावना लेकर उठें तो मेरा विश्वास है कि कोई अड़चन नहीं होगी।

टैक्स की जो नीति सरकार की है, वह भी आमूलतः दोषपूर्ण है, अबवाब भी बढ़ता जा रहा है, मालगुजारी ज्यों की त्यों किसान को पड़ रही है। १० गुना दो तो लगान आधा हो जाय। मुझे ताज्जुब होता है कि इस प्रकार की नीति सरकार की चल रही है और फिर भी हमारे मंत्री महोदय कहीं भूमिक्रांति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके जनता पर यह प्रभाव डालना

चाहते हैं कि उन्होंने करों का बोझ पब्लिक के ऊपर से बिलकुल खत्म कर दिया है और पब्लिक को यह समझाने की कोशिश की है कि बहुत आसानी से पब्लिक को दे दी है। उनका यह प्रयास उसी प्रकार का है कि तमाम टैक्स तो पब्लिक पर बने रहें और मंत्री जी कहें कि नहीं बोझ तुमसे हट गया। जैसे एक आदमी टट्टू पर बैठे और इस दृष्टि से कि टट्टू पर बोझ ज्यादा न हो जाय अपने सिर पर बोझ को रख ले, ठीक उसी प्रकार मंत्री जी का हाल है। बोझ तो सब किसानों पर ज्यों का त्यों है, लेकिन भूमि क्रांति की बात कहते चले जा रहे हैं।

यही नहीं मंत्री जी के और भी कुछ काम ऐसे हैं, जैसे चकबंदी की योजना.....

श्री चरणसिंह---तीसरा वंडर गिनवा रहे हैं। ४ बाकी रहे।

श्री रामस्वरूप वर्मा---मंत्री जी ने चकबंदी की योजना लागू कर दी और १ करोड़ २० लाख रुपया उसके लिये मांगा है। आखिर यह बोझ भी तो उन्हीं गरीब किसानों के ऊपर है, जिनके पास आधा एकड़, एक एकड़ जमीन है और उन्हें चकबंदी से कोई लाभ नहीं होना है। उन गरीब किसानों के ऊपर यह टैक्स का बोझ है और यह योजना उनके लिये चल रही है इस प्रदेश भर में।

एक बात और कहनी थी कि आज ही के पेपर्स में यह समाचार छपा है कि बम्बई के रेवेन्यू मिनिस्टर ने अपने यहां बिल पेश करते हुये कहा कि बहुत जल्दी लैण्ड डिस्ट्रीब्यूशन का कानून हम लाने वाले हैं। जिसके पास ज्यादा जमीन है उससे लेकर के जिसके पास कम है उसको देंगे। तो यह एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है और यह बम्बई की बात है, जो इंडस्ट्रियली इतना ज्यादा डेवलप्ड है। जहां के लोग काफी खुशहाल हैं वहां का मंत्री तो लैण्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहता है, लेकिन हमारे प्रदेश के मंत्री जी उसको सोच भी नहीं रहे हैं, जहां कि सबसे पहले भूमि की समस्या को हल करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस बात पर अपने हृदय पर हाथ रखकर वे देखेंगे तो उस पक्ष के सदस्य भी दिल से इस बात को मानेंगे कि जमीन का बटवारा इस प्रदेश में होना चाहिये और उसके लिये समुचित कदम उठाया जाना चाहिये, लेकिन बिना किसी प्रकार का कदम भूमि के बटवारे के सम्बन्ध में उठाये चकबंदी की योजना पहले आ गई। उस चकबंदी से क्या लाभ होगा? सोचिए। दो करोड़ रुपया किसान के रक्त से निकाल कर यह चकबंदी आज हो रही है और कल जब दूसरे प्रदेश जमीन का बटवारा करेंगे तो हमारे मंत्री जी भी सोचेंगे कि हम क्यों किसी से पीछे रहें। इस वजह से फिर वह इस दौड़ में हिस्सा लेंगे और फिर सब किया कराया चौपट हो जायगा। वह जमीन बटेगी और एक दफा जो इतना बोझिल टैक्स लगाकर यह चकबंदी हो रही है, उसका सवाल फिर उठेगा। तो इस तरह से जो खिलौने बना बना के बिगाड़ने का लड़कों जैसा काम है मैं समझता हूं कि यह किसी बुद्धिमान् आदमी का काम नहीं हो सकता। इस वजह से चकबंदी योजना को तुरन्त समाप्त करके सबसे पहले भूमि के बटवारे का सवाल लेना चाहिये और मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह अपनी नीति इस भूमि के बटवारे के सम्बन्ध में स्पष्ट करेंगे।

एक बात और है कि सरकार की वसूलयाबी पर बहुत पैसा खर्च होता है। एक करोड़ तैंतीस लाख रुपये की मांग अनुदान में है। हम समझते हैं कि जब खास तौर पर सदन के सभी लोग यह कहते हैं और उस पक्ष के लोग, जो अपने को महात्मा गांधी का खास उत्तराधिकारी कहने का साहस करते हैं, और विकेन्द्रीयकरण के सिद्धांत को मानते हैं और कहते हैं कि यह विकेन्द्रीयकरण का सिद्धांत लागू किया जाय तो उसके अन्दर यह बहुत मोटी सी बात है, जितना रेवेन्यू हो गांव का वह गांव पंचायतें वसूल करें.....

श्री उपाध्यक्ष---आपने कहा कि महात्मा गांधी के खास उत्तराधिकारी तो कुछ आम उत्तराधिकारी भी हैं क्या?

श्री रामस्वरूप वर्मा---आम में तो हम इधर के सभी लोग हैं। हम सभी लोग आम में आते हैं। लेकिन वे तो खास उत्तराधिकारी हैं उनके।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

तो मैं यह कह रहा था कि इन गांव पंचायतों को यह रुपया वसूल करने को दिया जाय। इसके संबंध में माननीय माल मंत्री जी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। मैं जानता हूं कि एक तर्क वे देंगे कि गांव पंचायतें अयोग्य हैं। वह टैक्स वसूल करेंगी तो परेशानी होगी। तो वह परेशानी तो जो कुर्की वगैरह करते हैं, उसमें भी होती है और अगर कुर्की की रिपोर्ट को देखा जाय तो वह लगातार कुछ सालों से बढ़ी है। तो कुर्की की संख्या बढ़े और यह १ करोड़ ३५ लाख रुपया उसके ऊपर खर्च करें, इससे अगर इतना रुपया इन गांव पंचायतों को दें तो उनका भी सुधार हो और वह वसूल भी करें। जहां तक उनके अयोग्य होने का सवाल है, प्रजातंत्र में पहले सब इसी प्रकार सीखते हैं। हमारे माननीय मंत्री जी जब संशोधन बिल बार-बार लाते हैं और उसके लिये कहा जाता है तो वह यही तर्क देते हैं कि हम सीख रहे हैं। यही घिसाघिसाया तर्क वे हमेशा देते हैं, लेकिन जब वही तर्क गांव पंचायत पर लागू करने की बात आती है तो वह मुकर जाते हैं। फिर वह कैसे योग्य बनेंगे? जहां तक वसूल करने का सवाल है वह गांव पंचायतें ज्यादा अच्छी तरह से वसूल कर सकती हैं और वह सबकी स्थिति को जानती भी हैं कि कब किसकी कैसी हालत है और उस की वजह से यह वसूलयाबी बड़ी आसानी से होगी। तो मैं समझता हूं कि इस संबंध में वह बड़ी शुभ घड़ी होगी जब कि यह टैक्स की वसूलयाबी का काम गांव पंचायतों को देंगे और माननीय मंत्री जी उसकी घोषणा करेंगे। फिर जैसा सहयोग आप अमीनों को देते हैं वैसा ही सहयोग गांव पंचायतों को दीजिये और पैसा उनकी वसूलयाबी का पारिश्रमिक उनके ही पास रहे तो क्या नुकसान है? इस संबंध में भी माननीय मंत्री जी अपनी नीति स्पष्ट करें।

एक बात तकावी कानून के संबंध में कहनी है कि यह कानून कुछ इस प्रकार का बना हुआ है कि इससे किसानों को खासतौर से कोई लाभ नहीं होता, सरकार का पैसा बरबाद होता है। लाखों और करोड़ों रुपये मंजूर किये जाते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर बड़ा दुर्गम्य है। जो किसान सचमुच ऐसा है जिसको जरूरत है उसे नहीं मिल पाता, लेकिन जिसको जरूरत नहीं है वह पैसा लेकर अतिरिक्त लाभ उठाता है, व्यापार करता है। इसमें परिवर्तन होना आवश्यक है। गांव सभाओं के हाथ में इसे देना चाहिये। गांव सभाओं के सभापति जिम्मेदार आदमी हैं। माननीय मंत्री जी पटवारी की तसदीक पर ज्यादा विश्वास करते हैं, और चुने हुये आदमी की तसदीक की वकअत माननीय मंत्री जी नहीं करते। सदन में जो लोग बैठे हैं, चुने हुये हैं और उनके लिये कुछ खास सम्मान होता है और उनकी बात का ज्यादा असर होता है। उसी तरह से गांव सभा के सभापति को हमें पटवारी से ज्यादा सम्मान देना चाहिये और उसका ज्यादा विश्वास मानना चाहिये।

दूसरे तकावी कानून में एक बात है कि उसमें इनकाइंड पैसा उनको तो मिलता नहीं, जिनको कि वाकई जरूरत है, उनको नकद मिल जाता है जो दूसरी तरह से उपयोग करते हैं, रोजगार वगैरह में लगाते हैं। अगर गांव सभा के सभापति को यह तकावी बांटने का काम दिया जाय तो वह यह बतला सकता है कि इस आदमी का पैसा इस काम के लिये लगाना है। सामान के रूप में दिया रुपया वापस भी हो जाता है, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। खाद जो देहातों में बांटी जाती है वह भी तकावी कानून के मुताबिक बांटी जाती है, जिसकी वजह से वह उस तकावी पर खाद को ले नहीं पाता, और खाद बंटने से रह जाती है। पिछले साल ५५-५६ में डेढ़ करोड़ मन खाद तकावी के लिये रक्खी गई थी और एक करोड़ एकड़ भूमि प्रदेश की दो बार बोई गई थी तो यह खाद तो इसी जमीन के लिये पर्याप्त नहीं। फिर प्रदेश की जमीन में इतनी सी खाद से क्या होता है? इसी से कोई खास फायदा नहीं होता। गल्ले के बीज का वितरण जैसे ज्वाइण्ट रिस्पांसिबिलिटी पर हुआ करता है उसी प्रकार तकावी को भी दिया जाया करे, हैसियत

क्यों देखी जाती है ? पटवारी की तसदीक की क्या आवश्यकता है ? क्यों नहीं तकावी का कानून ऐसा बनाया जाता है, जिसमें ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी पर खाद, औजार आदि सभापति की तसदीक पर दिये जावेंगे जैसा कि बीज देते वक्त पटवारी की तसदीक पर होता है। लिहाजा इस कानून में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है।

एक बात, श्रीमन्, यह कहनी है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। सन् १९३९ में जब यही दल कुर्सी पर था माल विभाग का खर्चा ९,७८,१५७ रु० था, सन् १९४६ में १,१९,२१,५०० रु० था और अब ५ करोड़ के ऊपर हो गया है। इस प्रकार खर्चा बढ़ता जाता है। इस तरह से ज्यादा टैक्स आदमी दे और सुविधा न हो यह अनुचित है। यह भूमिक्रांतियों की बात को जो आप बहुधा कहा करते हैं वह बिल्कुल थोथी और सारहीन है इसी प्रकार जैसे टी० बी० का कोई मरीज हो और पाउडर पोत कर उसे स्वस्थ कहने का प्रयास किया जाय।

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं बड़े ध्यान से अपने विरोधी पक्ष के भाइयों की बात सुन रहा था, जिन्होंने कहा कि यह अनुदान जो है वह समाजवाद की तरफ नहीं जाता है। वह इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे देश में जो समाजवाद.....

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। हमारे पहले के सज्जन जो बोले हैं, उनको कितने मिनट का समय दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—यह तय हुआ था कि नेता जो विभिन्न दलों के हैं, उन्हें १५ मिनट का समय दिया जाय। आप उतावले न हो जाया करें, चेयर को अपने कर्त्तव्य का ज्ञान है।

श्री नारायणदास पासी—उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की स्थिति ऐसी है, जहां पर विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियां हैं और विभिन्न किस्म के लोग रहते हैं और यहां पर सब किस्म के लोगों को मिलाकर समाजवाद कायम करना है। आप जानते हैं कि हमारे यहां अभी परसों नागपंचमी हुई है। हमारे देश की परिपाटी चली आ रही है कि लोग सांप को दूध पिलाते हैं और आशा करते हैं कि वह काटे नहीं। तो ऐसी दशा में श्रीमन्, इस परिपाटी को हमारे विरोधी पक्ष के भाई समझने की कोशिश करें। हमारे इस देश में कितनी प्रगति हुई है, माल विभाग में, खेती के बारे में तो हमारा प्रदेश भारत के हर सूबे से हर मान में आगे है। अगर विरोधी पक्ष के कोई भी भाई इस बात को बतला दें कि उत्तर प्रदेश हमारे इस देश के अन्दर किसी सूबे से पिछड़ा हुआ है, समाजवाद में, तो हम मान लें। उनको सोचना चाहिये कि जो कल जमींदार था, राजा था, वह समाजवाद का एक ऐसा रोड़ा था, जिसको हटाना जरूरी हो गया था, हमारे इस प्रदेश में उसको हटा दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से हम सांप के बच्चे को भी दूध पिलाते हैं, उसी तरह से जहां पर जमींदारी ली गई वहां उसका करोड़ों रुपया मुआविजा दिया गया, कर्जा छुड़ाया गया, बल्कि जमींदार को पुनर्वास भत्ता दिया गया, उसकी सीर पर भूमिधर का अधिकार बिला कुछ धन जमा किये हुये दिया गया और यह भी नहीं कहा गया कि वह प्रधान और सरपंच किसी जगह पर खड़ा न हो। वह खड़ा हुआ और गांव समाज का सरपंच और प्रधान बना। वह उससे नाजायज फायदा भी उठा रहा है। इसलिये उनकी जमींदारी लेकर जहां किसानों की अवस्था में थोड़े परिवर्तन किये वहां उनको ऐसी सुविधाएं भी दीं जमींदारों को—कि जिससे उनको शिकायत न हो।

आज हमारे सामने भूमि की व्यवस्था की जो कठिन समस्या है वह दो ही तरीकों से हल हो सकती है, एक तो वह जो संत विनोबा जी कर रहे हैं कि भूमिदान हो और उसकी पुनर्व्यवस्था की जाय और दूसरा वह जो कदम हमारी सरकार उठा रही है, जो बिल्कुल ठीक है। कारण उसमें यह है कि देश की स्वतंत्रता के बाद जो भी गरीब लोग थे

[श्री नारायणदास पासी]

काश्तकार थे, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, जिनके पास घर नहीं थे न खाने को अनाज था, उनको कांग्रेस सरकार ने सब प्रकार के अधिकार दिये और साथ ही साथ बालिग-मताधिकार दिया। उनमें थोड़ी जागृति आयी, संगठन हुआ, शिक्षा की तरफ उनकी प्रगति हुई। आखिर में यह हुआ कि जो शिकमी काश्तकार थे, पहले यह होता था कि १५ गुना लगान शिकमी काश्तकर दे वह भी अपने असली काश्तकार की रजामन्दी से भूमिधरी के अधिकार प्राप्त करता था, लेकिन सरकार ने यह कदम उठाया कि उसे कोई भी धन देने की जरूरत नहीं है। जो भी शिकमी काश्तकार हैं, ऐसा कानून बना कि वह सीरदार हो जाते हैं, उनको यह अधिकार मिल गया। तो ऐसे लोग जिनका कोई पूछने वाला नहीं था वे लाखों और करोड़ों की तादाद में हैं। अगर इस चीज को हमारे विरोधी भाई देखें तो यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था कि लाखों किसानों को भूमि पर ऐसा अधिकार दिया गया जिनको कोई अधिकार नहीं था। केवल जमीन पर उनका कब्जा था और उसी के आधार पर ही उनको सीरदार का अधिकार दिया गया। चकबन्दी कानून की धारा ८ के अन्तर्गत उनके रेकार्ड बनाये गये और लाखों की तादाद में वे सीरदार हो गये।

तो यह कदम कोई मामूली कदम नहीं है। अलबत्ता यह बात जरूर है कि जो चीज रूस व चीन की भांति वह चाहते हैं, समाजवाद जल्दी आ जाय, जमींदारों के मौजूदा हकों को छीन लिया जाय, पूंजीपतियों की सम्पत्ति को गवर्नमेंट ले ले। अगर ऐसी बात होती तो हमारे भाई सोचते कि जल्दी समाजवाद आ जायगा। लेकिन मैंने पहले भी सदन में बतलाया था कि जो समाजवाद हम लाना चाहते हैं उसके साधन में हिंसा नहीं है, उसमें हमें इतनी कुर्बानी करनी पड़ेगी कि बापू जी के लफ्जों में जो हमने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी की है, उससे भी कई गुना त्याग करना पड़ेगा, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। चाहे माननीय सदस्य इधर के हों या उधर के हों, स्वतंत्रता के संग्राम में सबने संघर्ष किया है। आज जरूरत इस बात की है कि जिस किसी विभाग में कोई गड़बड़ी हो तो हम सबको मिलकर इसको दूर करने का उपाय करना चाहिये। खाली आलोचना करने से समाजवाद नहीं आता है। अब समय कुछ कम है। मैं अपने माल मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। और उनका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां जो गरीब किसान शिकमी, मौरूसी तथा भूमिधर हैं वहां पर लेखपालों ने भूतपूर्व जमींदारों के हक में खाना कैफियत में लिख दिया है और वे कब्जा करते चले आ रहे हैं। ऐसी हमारे यहां फैजाबाद खासकर बीकापुर में दशा है।

चकबन्दी के अन्दर यह हो रहा है। एक हमारे यहां महोली मुकाम है। चकबन्दी चेयरमैनी के चुनाव के लिये बल्लम लाठी और गोली चलाई जाती है, खून होता है और बहुत से लोग मारे पीटे जाते हैं। वहां पर किसानों के ऊपर बड़ी बुरी बीत रही है। उनके पास पैसा नहीं है दफा १२ के मुकद्दमों के लिये किसान लोग ५ रुपये पेशी वाले वकील को ५० रुपये देकर ले आते हैं। यह दशा है जो किसान दफा ८ में आ चुके थे उनको दफा १२ में जमींदार लोग बरखास्त करा रहे हैं। चकबन्दी की अदालत तक में श्रीमन्, यह हालत है कि लोग बल्लम लेकर जाते हैं और किसानों को डराया और धमकाया जाता है। यह बात सही है कि हमारे विरोधी भाई इधर ध्यान दें तो अच्छा हो। इन स्वार्थी वर्ग के अत्याचारों को रोकने के लिये जरूरी है कि हमारे माल मंत्री महोदय उधर ध्यान देने की कृपा करें। यह आसानी से सवाल हल हो सकता है और इस तरह से हो सकता है कि वह किसी को जांच करने के लिये भेजें: वह वहां जाकर देखें कि चकबन्दी में क्या बात हुई है।

जाने दीजिये इसको, आप केवल चकवाले नक्शों को देख लीजिये। जो नक्शे बने हैं, जिनके पास एक बिस्वा जमीन भी नहीं थी, उनके पास हल बैल हैं और नक्शे में

उनके नाम ६०-६० बीघे जमीन आ गई है और जो गरीब थे, उनको एक-एक आधा बीघा देकर तमाम खातों को बदल दिया गया है। आज जहां हम मंत्री जी को गरीब किसानों के हित में सुविधायें देने के लिये उनको धन्यवाद देते हैं वहां इस बात की जरूरत है कि माननीय मंत्री जी ने जो ३० एकड़ की लिमिट रखी है उसको वह कम करने जा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि जितना कम हो सके उतना ही अच्छा है क्योंकि यह खाते ऐसे लोगों के हैं जो न खुद बोते हैं और न जमीन जोतते हैं। जो उनको खाते मिल गये हैं उनमें वह उन्हीं लोगों से काम करवा रहे हैं, जिनकी जमीन छिनी है।

मैं चाहता हूं कि इसके लिये मंत्री महोदय ध्यान देंगे, इससे हमारे यहां जो गरीब किसान हैं उनका कल्याण होगा। एक बात और है कि मैं देखता हूं कि हमारे मंत्री महोदय बड़ी हिम्मत वाले हैं। अगर उनकी जगह और कोई आदमी इन परिस्थितियों में होता तो सफल न हो पाता। मुझे गर्व है कि जो कुछ वह कर रहे हैं वह किसानों की भलाई के लिये कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि समाजवाद को लाने के लिए जरूरी है कि दृढता के साथ हम कदम उठावें और अपना लक्ष्य प्राप्त करें।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह अनुदान उपस्थित है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। यह ऐसा अनुदान है जिससे प्रदेश के लाखों किसानों का संबंध है। जमींदारी उन्मूलन कानून पास हुआ और उससे गरीब और भूमिहीन खेतिहरों को अधिकार मिले। उसमें हमने एक सिद्धांत तय किया था और जब कांग्रेस सरकार नहीं बनी थी उस समय एक नारा था कि जो जमीन को जोतेगा, जमीन का मालिक वही होगा, किन्तु सरकार के आने के बाद कांग्रेस की नीति तो वही रही, परन्तु सरकार की नीति में फर्क आया। आज मैं देखता हूं कि जो जमीन नहीं जोत रहे हैं, जो हल की मुठिया तक छूते नहीं वे जमीन के मालिक हैं। जो दिन भर पूरे परिवार के साथ मशक्कत करते हैं वे नहीं हैं। तो आज हमें यह तय करना है कि इस परिस्थिति को खत्म करने के लिये हमें कोई सक्रिय कदम उठाना चाहिये। यदि इस मुल्क में समाजवाद की स्थापना करनी है, महात्मा गांधी की आत्मा को संतुष्ट करने के लिये रामराज्य की स्थापना करनी है तो हमारा फर्ज है कि जो जमीन नहीं जोत रहे हैं, जो केवल ठेकेदार हैं, उनसे छीनकर, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको दें।

गांव पंचायत कानून के अन्दर है कि भूमिहीनों को जमीन दी जायगी, किन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि वही पुराने जमींदार प्रधान बने और उन्होंने अपने भाई भतीजों और अपने कुनबे के लोगों को बंजर जमीनें बेतहाशा बांट दी। यही नहीं, हमारे जिले में अजमतगढ़ स्टेट की कुछ जमीन थी और जब उन्होंने देखा कि जमींदारी उन्मूलन होने जा रहा है तो उन्होंने महालक्ष्मी कम्पनी के नाम से एक ट्रस्ट कर दिया। आज वह जमीन पड़ी हुई है, कोई जोतने वाला नहीं है, लेकिन कोई किसान उसको जोत नहीं सकता और अगर जोतने जाता है तो उनके कारिन्दे उसको मारकर भगा देते हैं। लोग भूखे मर रहे हैं और उस जमीन पर ढाक और करवन के जंगल खड़े हुये हैं, किन्तु खेती उसपर नहीं की जा सकती। सरकार को सक्रिय कदम इस संबंध में उठाना चाहिये और उस जमीन को लेकर गरीब भूमिहीनों को दे देना चाहिये।

दूसरी बात, बड़े बड़े फार्मवाले ८,८ और १०,१० हजार बीघे के जमींदार हैं या तो उनसे चौगुना कृषि आयकर लिया जाना चाहिये या फिर उनकी जमीनें लेकर काश्तकारों को बांट देनी चाहिये जिससे समाज का कल्याण हो। इन बड़े बड़े फार्मवालों को इतना बीज नहीं मिलता इतने साधन नहीं हो सकते कि उन बड़े बड़े फार्मों पर काम करें और साथ ही मजदूर उन पर काम करने के लिये नहीं मिलते। वे फार्म वैसे ही पड़े हुये हैं। जब आज मुल्कमें गरीबीहै, भुखमरी है, तबाही

[श्री गंगाप्रसाद]

खत्म करके उन गरीबों को दे देना चाहिये जिससे उनका निस्तार हो सके। मुझे श्रीमन्, आपके द्वारा मंत्री जी से यह भी कहना है कि आज उन्होंने एक हद की जमीन की और वह यह कि १३५६ फसली में जिन काश्तकारों का खेत पर कब्जा है उनको भूमिधरी का अधिकार मिल जाय। उसके बाद १३५९ फसली आई तो शिकमी को अधिकार मिला उसके बाद भी एक पैमाना रखा। लेकिन आज यह हाल है कि खसरा के कैफियत के खाने में जो दर्ज होता है उसके लिये जिसके पास पैसा है वह कानूनगो को एक हरा नोट दिखला देता है, उसको दावत देकर बुलाता है, दरख्वास्त देने पर वह आते हैं और दावत खाकर लिख देते हैं कैफियत के खाने में कि कब्जा जाहिर होता है। मेरे गांव का वाकया है। एक कानूनगो साहब थे, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, गांव में आये और उन्होंने ऐसा दो खातों में लिख दिया और सैकड़ों रुपया खा गये और चले गये। जब उनकी शिकायत हुई तो इस परगने से उस परगने में उनका तबादला कर दिया गया। मैं कहता हूं कि ऐसे मामलों की खुली जांच होनी चाहिये।

२०९ की डिगरी होती है। दखलदिहानी लाते हैं और उसके बाद डुग्गी पीट कर खेत पर कब्जा करने जाते हैं। उस दिन डुग्गी पीट कर कब्जा हो जाता है और उस के बाद जब वह जोतने जाते हैं तो वहां के भूतपूर्व जमींदार लठैतों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि उस दिन सरकार द्वारा डुग्गी तुम्हारी पिटी और आज हम लाठी द्वारा डुग्गी पीट रहे हैं। आओ खेत जोतने के लिये। तो आज यह हालत है।

विरोधी भाई कहते हैं कि अलाभकर जोतों पर लगान माफ कर दिया जाय। जब हम लगान देते हैं तब तो जोत नहीं पाते और जब हम लगान नहीं देंगे तब कैसे जोत पायेंगे? उस समय रोजाना कत्ल होंगे, बंदूकें चलेंगी, लाठियां चलेंगी। तो इस तरह की अनर्गल बातें समाज के अंदर नहीं होनी चाहिये। यह चुनाव नहीं है, यह तो समाज की एक बुनियाद है, जिस पर हमें गम्भीरता से विचार करना है। जब हम पैसा देकर किसी चीज को खरीदेंगे तभी वह हमें इस्तेमाल के लिये मिलेगी, जिस चीज का हम पैसा नहीं देंगे वह हम को कैसे मिल सकती है? तो इन थोथी बातों को छोड़ देना चाहिये।

दूसरी बात हमारे एक भाई ने कही सहकारी खेती के बारे में। अभी इस देश में सहकारी खेती नहीं पनप सकती। एक देहात का मसल है कि साझे की सुई भांडे में चलती है। अगर हम साझे की खेती करेंगे तो हम काम नहीं करेंगे और आप हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे, जैसे आज आप खेतों में कभी नहीं जाते और गरीब मजदूर बेचारा पिसता रहता है और खाने को कुछ नहीं पाता है। सहकारी खेती यहां इस देश में पनप नहीं सकती, भले ही नेता लोग कितने ही तर्क के साथ अपनी बातें रखें। जो मुझे सहकारिता का अनुभव हो रहा है वह मैं इस संबंध में आपके सामने रख रहा हूं।

श्रीमन्, एक जमाबन्दी की बात मुझे कहनी है। इसमें हर साल कुछ न कुछ भले ही वह आना हो या पाई, जुड़ ही जाता है। जब हम लगान देने जाते हैं तो रसीद लेकर जाते हैं और उसमें पता चलता है कि कुछ न कुछ बढ़ोत्तरी जरूर हो जाती है। तो जमाबन्दी के लिये एक निश्चित रकम हो जानी चाहिये, ताकि किसान को ज्यादा न देना पड़े। मंत्री जी इस ओर ध्यान दें, इसलिये मैं इस बात को कह रहा हूं। जो जमाबन्दी एक साल दें वही दूसरे साल दें यह नहीं कि पहले साल ५ रुपया दी गई और दूसरे साल वह सवा पांच रुपया हो गई। उसको पांच रुपया ही रहना चाहिये।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान की कटौती के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। सरकार ने जमींदारी को तोड़ा तो बहुत ही अच्छी बात की, लेकिन हम तो समझते हैं कि जितना आराम जमींदारों के राज्य में किसानों को था वह आज नहीं है। माननीय मन्त्री जी को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि मैं क्यों जमींदारी राज्य को अच्छा बतला रहा हूं।

श्री चरणसिंह--कुछ लोग अंग्रेजों के राज्य को भी अच्छा बतलाते हैं ।

श्री अमरनाथ--आप सुनिये, मैं उसको बतला रहा हूं कि क्यों मैं उसको अच्छा कहता हूं । जमींदारी को तोड़ना अच्छी बात है । उसकी जगह गांव समाज बना दिया गया है । आज गांव समाज में क्या होता है । उनकी बातों पर आप जाइये और देखिये कि वहां पर जमींदारों के वक्त में जब किसानों के यहां शादी विवाह होते थे तो उनको मुफ्त लकड़ी मिलती थी, लेकिन आज उनको लकड़ी गांव समाज की तरफ से नहीं मिल सकती है । जमींदारों के जमाने में उनको मछली खाने को मिलती थी, लेकिन आज आपके राज्य में मछलियों को बेचना पड़ता है और गांव समाज उनको नहीं देता है । जो बात जमींदारों के जमाने में नहीं होती थी वह आज हो रही है । आज किसान कोई घर बनाता है तो गांव समाज उनको रोक देता है और उनसे रुपया वसूल करता है । उनका धूरा ले लिया जाता है । उनकी जमीन काट ली जाती है, उनकी नांद भी हटा दी जाती है । इस तरह से आज गांव समाज की ओर से हो रहा है । आपके गांव समाज में आपने एक लेखपाल रखा है, जिसको कागज दिखलाने के लिये कहा गया है कि अगर पंचायत को जरूरत पड़े तो वह कागज दिखलायेगा । जरूरत पड़ने पर वह कागज की नकल भी देगा, लेकिन किसान को जब नकल की जरूरत पड़ती है और वह लेने जाता है तो वह उसको बिना पैसे नहीं देता है । आपने कभी इस पर गौर किया कि वह आपके आदेश का कितना पालन करता है ? आपके आदेश का पालन हरगिज नहीं होता है । आप देखिये कि आज लेखपाल पंचायत के ऊपर हावी हो गया है, सारे कागज उसके हाथ में आ गये हैं । अगर कोई पंचायत वाला चाहता है तो उसको कागज नहीं मिल पाता है । गांव समाज की सम्पत्ति का पता नहीं है कि वह देखें कि कौन से पेड़ उनके हैं और कौन से दूसरों के । गांव समाज का रजिस्टर लेखपाल बनाता है । उस पर आप जरा गौर करें । उसमें भी गांव समाज की बहुत सी सम्पत्ति का पता नहीं है । लेखपाल के यहां अगर शादी पड़ती है तो वह जबरदस्ती पेड़ काट लेता है और आदमी इस तरह से नहीं कर पाता है, लेकिन वह आपका लेखपाल कर लेता है । लेखपाल सदस्यों के पास नोटिस समय से नहीं भेजता है । अगर प्रधान लोग यह चाहते हैं कि उसको नोटिस करें तो लेखपाल उस नोटिस को लेता नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष--आप बार बार 'आप' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं । सदन में 'आप' शब्द का प्रयोग केवल चेयर के लिये होता है ।

श्री अमरनाथ--मैं 'आप' सरकार के लिये प्रयोग कर रहा था । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज गांव समाज के एकाउन्ट की जांच सरकार कराये तो उसको मालूम होगा कि उसमें क्या होता है । वहां पर मछली का जो नीलाम होता है और जो बिक्री होती है वह गांव समाज के एकाउन्ट में नहीं चढ़ती है । इस तरह की बातें होती हैं । इसलिये मैंने कहा कि जमींदारों के राज्य में अच्छा था न कि गांव समाज के ।

दूसरी बात यह है कि भूमि व्यवस्था में अधिवासी का कानून है....

श्री चरणसिंह--मैं श्रीमन्, माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि गांव पंचायत को अधिकार न दिया जाय भूमि प्रबन्ध का तो फिर किसको दिया जाय ?

श्री अमरनाथ--उनको जरूर दिया जाय, लेकिन मन्त्री जी मैं यह चाहता हूं कि उस पर कड़ी नजर रखी जाय कि आपके कानून का पालन होता है या नहीं । भूमि व्यवस्था का मैं स्वागत करता हूं और दूसरी तरफ उसका विरोध भी करता हूं । वह इसलिये कि उससे असमानता लायी गई है । आपने एक सीरदार बनाया, दूसरी तरफ भूमिधर बनाया । हम तो चाहते थे कि आप एक श्रेणी रखते किसानों की....

श्री उपाध्यक्ष--मैंने 'आप' शब्द के प्रयोग करने से आपको रोका उसके बाद भी आपने इस शब्द को दोहराया । मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अनुचित है ।

श्री अमरनाथ--मेरा कहना यह है कि सरकार ने जो कानून बना कर अदालतों को पावर दे रक्खी है, ठीक है। लेकिन आज उसमें क्या होता है? सरकार यह देखे कि उस अदालत में क्या होता है। एक तरफ तो दफा ६३ में किसानों पर मुकद्दमा चलता है दूसरी तरफ उन्हीं किसानों पर दफा १८० कायम की जाती है। तीसरी तरफ उन्हीं पर दीवानी में मुकद्दमा भी चलता है। सरकार इन चीजों को देखे और उस पर गौर करे और कोई ठोस कदम उठाये ताकि किसानों की परेशानी दूर हो। इस प्रकार से उनको एक एक खेत पर कई मुकदमें लड़ने पड़ते हैं। उनके पास इतना रुपया होता नहीं है कि वे अच्छा वकील कर सकें। इससे उनको बड़ी भारी परेशानी होती है।

नहर के लिये या सड़कों के लिये उनकी जो जमीन ले ली गयी है उसका भी लगान उनसे ले लिया जाता है। इस पर सरकार को गौर करके देखना चाहिये कि इस प्रकार की बातें क्यों हो रही हैं और फिर इसके बारे में उसको कोई समुचित व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, ब्रिटिश काल में जमीन पर राज्य की तरफ से प्रथम बोझ करों का था, परन्तु स्वराज्य हो जाने पर उसका उल्टा हो जाना चाहिये था कि राज्य का प्रथम उत्तरदायित्व यह हो कि जमीन की उन्नति की जाय और कर भी जो लगे वह ऐसा हो कि उससे किसी भी प्रकार उत्पादन को क्षति न पहुंचे। जमीन प्रागैतिहासिक काल से जीवनयापन का साधन रही है और आज भी है, इसलिये जब तक रेस्पोंसिबिल गवर्नमेंट नहीं होती तब तक जमीन की समस्या उसी तरह से पेचीदा बनी रहती है। हम नहीं जानते कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहां तक रेस्पोंसिबिल गवर्नमेंट होती है, लेकिन आज हम यह देखें कि इस राज्य में जो भूमि संबंधी सुधार हुए हैं, उनसे बहुत सी उन्नति हुई है, इसको मैं मानता हूं। जैसे एक लेखपाल ही है। किसी समय में वह भाग्य का निर्णायक होता था लेकिन आज वह केवल रिकार्डकीपर रह गया है।

इसके साथ ही कई एक और भी समस्याएं हैं जैसे भूमि की सीलिंग की समस्या। भूमि के बारे में पत्रों में एक सुझाव ऐसा देखा कि आगे यह प्रतिबंध होगा कि कोई भी भविष्य में साढ़े बारह एकड़ भूमि से अधिक न ले सके और कृषि आयकर रकबे पर होगा। इस तरह से भूमि पर सीलिंग न करके इस प्रकार प्रतिबंध लगाकर उसको लागू कर दिया जाय। हम नहीं जानते कि सरकार सीलिंग के सर्वमान्य सिद्धान्त को स्वीकार क्यों नहीं करती। इसको लगाने से यह होगा कि बची हुई भूमि उन लोगों के पास नहीं जायगी जो भूमिहीन हैं, खेतिहर हैं और उसी गांव के हैं। लेकिन अगर आप उस भूमि को बेचने का प्रयत्न करेंगे तो भूमि उन लोगों के पास जायगी जिनके पास पैसा है। यह सही है कि भूमि कभी व्यापार की वस्तु नहीं रही है। पुरातन काल से भूमि और दूसरे तत्वों की भांति ही प्राप्त होती रही है। मैं समझता हूं कि इस तरह से भूमि एक व्यापारिक वस्तु हो जायगी और तमाम अन्यत्र के लोग उस भूमि को लेते रहेंगे। तो भूमि की समस्या सीलिंग के तय किये बिना हल नहीं हो सकती।

दूसरी चीज हम देखते हैं कि किस तरह से शिकमी काश्तकारों की हालत में सुधार हुआ है, लेकिन अगर आप कोर्ट फीस को, रेवेन्यू फीस को देखेंगे तो हमारा ख्याल है कि उसमें कोई विशेष कमी नहीं हुई है। लोगों में भूमि की भूख ऐसी है कि उनमें लिटिगेशन को दूर करने का प्रयास किया जाता है तो भी हमारे यहां न्याय पंचायतें भी बन गयी हैं जिनमें भी बहुत से वाद प्रस्तुत होते हैं और उनके निर्णय होते हैं लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि अब तक मुकदमों में कोई विशेष कमी नहीं हुई है। बहुत से काश्तकारों को तो विवश होकर अपनी जमीन तक बेचनी पड़ती है। मेरा पहले भी ऐसा एक सुझाव था कि छोटे काश्तकारों को बड़ी असुविधाएं हैं। उन छोटे काश्तकारों को कम से कम आप अपनी शिकमी को बेदखल करने का अधिकार दें तो उनसे उनको राहत होगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इसमें पूरब और पश्चिम की समस्या भी बिलकुल भिन्न है। आपको उसी दृष्टि से देखना चाहिये कि

वहां पर लोगों के लिये एक एक बिस्वा जमीन मिलना भी मुश्किल हो रहा है और इसी दृष्टि से वहां के किसान निश्चित रूप से अपनी जीविका के लिये कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक आदमी वकील भी है, व्यापारी भी है और भूमि भी रखता है। उसको इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई दूसरी जीविका उसे मिलेगी भी या नहीं। वह हर तरह से चाहता है कि जैसे भी हो अपनी जमीन पर कब्जा रखे रहे। जैसा कि कहा जाता है कि सीलिंग होने के बाद अलाभकर जोतों के निकलने के बाद उसका परिणाम होगा कि जितने भी अधिक लोग कृषि पर निर्भर होंगे वे सब दरिद्र होंगे। लेकिन चीज यह है कि कम से कम उनके लिये जीविका का कोई साधन प्रस्तुत करना राज्य का काम है। पहले समय में कृषि के साथ-साथ और उद्योग-धंधे भी गांवों में अपनाये जाते थे, उनके साथ सहायक उद्योग होता था जैसे कपड़े का उद्योग। मनुष्य के लिये खाना और कपड़ा ही मुख्य है। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि जब भूमि को सहायक धंधा मिलेगा तभी दोनों में सामंजस्य स्थापित होगा।

मैंने पिछली दफा वृक्षों के रोक के बारे में भी निवेदन किया था कि इससे गरीबों का शोषण होता है। रेवेन्यू कोर्ट में भी उनको बड़ी असुविधा होती है। उस दृष्टि से भी मैंने निवेदन किया था कि उस वृक्षों के न काटने के आदेश को सरकार को अविलम्ब वापस ले लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि दरख्तों के कटान से राज्य की कोई हानि नहीं है, बल्कि उससे तो राज्य की उन्नति ही होगी। यह कोई पेट्रोलियम या खनिज पदार्थ नहीं है जो क्षय हो जाता है।

श्रीमन्, पंचायतों के अन्दर भी इसके कारण भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसकी काफी शिकायत होती है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ और अधिक नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं ऐसा विचार नहीं रखता था कि मुझे इस पर बोलने का अवसर मिलेगा। इसलिये मैं इन थोड़े से शब्दों के साथ अपने कथन को समाप्त करता हूं।

***श्री रामवचन यादव** (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अनुदान प्रस्तुत है, इस का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। विरोधी दल की ओर से यह कहा जाता है कि माल विभाग की तरफ से जो जमींदारी प्रथा का अन्त हुआ उस से कोई क्रान्ति नहीं हुई, किसानों को कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ। लेकिन मैं एक किसान होने के नाते बतलाना चाहता हूं कि जब जमींदारी थी तो किसान के ऊपर इतना दबाव था कि उनसे हारी बेगारी और तरह-तरह के नजराने मालगुजारी के अलावा लिये जाते थे।

एक सदस्य--आज भी तो बेगार है।

श्री रामवचन यादव--लेकिन आज जो बेगार है वह सारे समाज के लिये है, किसी एक व्यक्ति के लिये नहीं है, वह गांव भर के लोगों के लिये और सबके लिये है।

दूसरे, मैं यह कह रहा था कि जो किसान उस वक्त दबे हुये थे और उनकी जो पहले दशा थी उससे वह आगे बढ़े हैं। आज उनके घर की स्त्रियों की हालत और शादी आदि देखी जाय तो पहले से वे बहुत आगे बढ़े हैं। जिन किसानों के लड़के पहले नहीं पढ़ते थे वे अब पढ़ते हैं। लाखों एकड़ जमीन की जिसका किसान पहले मालिक नहीं था आज वह कानून के द्वारा उस जमीन का मालिक बना है। यह भी भूमि वितरण की ही ओर हमारा कदम है। जो अधिवासी थे और बेदखल हो जाते थे और पहले एक ही व्यक्ति हजारों बीघा जमीन का मालिक होता था और शिकमियों को बेदखल किया करता था, अब वह जमीन उनके पास चली गई, जिनके पास जमीन नहीं थी। इस तरह से हमारा कदम वितरण की ओर उठा है।

पंचायतों के द्वारा वसूली के संबंध में कानून में दिया हुआ है कि जो पंचायतें लगान की वसूली करना चाहें वे वसूली कर सकती हैं और उनको इसके लिये दस प्रतिशत या ५ प्रतिशत मिलेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामवचन यादव]

लेखपालों के बारे में कहा जाता है, लेकिन मैं तो स्वयं दो बार से निर्विरोध प्रधान हो चुका हूं, लेकिन मैंने तो जब जब चाहा बराबर किसानों को निश्चित रेट पर इंतखाब दिये हैं और साल में एक बार तो मैं खुद किसानों को बुलाकर दिलवा देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---आप २ मिनट बोल चुके अब आप कल ८ मिनट और बोलेंगे।

कामन वेल्थ पार्लियामेण्टरी एसोसियेशन की शाखा स्थापित करने के लिये कमेटी रूम में बैठक की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---मुझे अभी माननीय सदस्यों को एक सूचना और देनी है कि पार्लियामेंटरी एसोसियेशन की ब्रान्च यहां स्थापित करने के लिये नये कमेटी रुम में अभी सवा ५ बजे बैठक होगी, वहां माननीय सदस्य उपस्थित हो सकते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ ;
२ अगस्त, १९५७।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९९ पर ।)

संख्या ११८७६/३--१७० (२२)-१९५५

प्रेषक,

श्री आदित्यनाथ झा, आई० सी० एस०,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन ।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष, डिवीजनों के कमिश्नर तथा कलेक्टर-इन्चार्ज झांसी डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर इंचार्ज कुमायूं डिवीजन, जिलाधीश, जिला जज और अन्य प्रमुख कार्यालयों के अधिकारी ।

लखनऊ, दिनांक १ दिसम्बर, १९५५

विषय--राजकीय कार्यों में हिन्दी की प्रगति।

महोदय,

सामान्य प्रशासन विभाग ।

देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को इस राज्य की राजभाषा घोषित हुए आठ वर्ष से अधिक हो गये हैं। यह घोषणा परिपत्र संख्या ४६८६/३-१७०-४७, दिनांक ८ अक्तूबर सन् १९४७ को की गई थी। तदनन्तर समय-समय पर इस घोषणा को कार्यान्वित करने के लिये आदेश भेजे गये। अन्तिम आदेश परिपत्र सं० ८०७०/३--१७० (९)-१९५५, दिनांक ११ जुलाई, १९५५ में मिलेगा।

२--इन आदेशों के अनुसार सरकारी काम में हिन्दी का प्रयोग होने लगा है, और सरकार के पास आये हुए विवरण-पत्रों से ज्ञात होता है कि सभी कर्मचारियों ने हिन्दी में पूरे तौर से काम करने की योग्यता प्राप्त कर ली है। यह संतोष की बात है। अतः अब समय आ गया है कि जो काम अभी अंग्रेजी में हो रहे हैं उन्हें यथासंभव हिन्दी में करने का प्रयत्न किया जाय। इसी सम्बन्ध में मुझे यह परिपत्र भेजने का आदेश हुआ है।

३--हिन्दी के सम्बन्ध में अभी तक जारी हुये परिपत्रों का सारांश सुविधा के लिये नीचे दिया जाता है :

क्रम-सं०	परिपत्र का दिनांक	परिपत्र का आशय
१	८ अक्तूबर, १९४७	१--यह घोषित किया गया कि देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी उत्तर प्रदेश की राजभाषा होगी। भविष्य में सरकारी नौकरियों में भर्ती करते समय अन्य सब बातों के समान होते हुये हिन्दी का ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों का अधिक खयाल किया जायगा और अन्य नौकरियों में भर्ती के लिये भी हिन्दी का काम चलाऊ ज्ञान रखना आवश्यक होगा। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिये राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में हिन्दी को अनिवार्य विषय बनाया जायगा। २--सभी कर्मचारियों को चाहिए कि वे हिन्दी का कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त कर लें, जिससे कि भविष्य में वे अपना सारा कार्य हिन्दी में कर सकें।

क्रम-संख्या	परिपत्र का दिनांक	परिपत्र का आशय
		३—व्यवहार प्रक्रिया संग्रह (Civil Procedure Code) की धारा १३७ और दंड प्रक्रिया संग्रह (Criminal Procedure Code की धारा ५५८ के अधीन इस आशय की घोषणा सम्बन्धी) विज्ञप्तियां जारी की गयीं कि दीवानी और फौजदारी अदालतों की भाषा हिन्दी होगी।
		४—मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स, खंड १ (पुराना संस्करण) पैराग्राफ ३८५ निम्नरूप में परिष्कृत किया गया : (क) जनता के नाम अदालतों या माल के अफसरों की ओर से जारी किये जाने वाले सभी सम्मन, घोषणा तथा इस प्रकार के अन्य कागज देवनागरी लिपि में होंगे, और (ख) फौजदारी, दीवानी तथा लगान और मालगुजारी की अदालतों में सभी लोग अपने आवेदन-पत्र अथवा अपनी शिकायतें देवनागरी लिपि में देंगे और यदि वे हिन्दी न जानते हों तो फारसी लिपि में दे सकेंगे।
		५—सरकारी कार्यालयों के लिये मान्य भाषा हिन्दी होगी और सरकारी कार्य तथा पत्र-व्यवहार में इसका उपयोग किया जायगा। पहली दिसम्बर, १९४७ से सभी प्रपत्र आदि हिन्दी में मुद्रित होंगे और सरकारी कार्यालयों में सभी साइनबोर्ड, नोटिस, आदि हिन्दी में होंगे।
२	४ जून, १९४८	६—सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को यह निदेश किये गये कि वे अपने अधीनस्थ सेवाओं में भर्ती के लिये ली जाने वाली परीक्षाओं में हिन्दी को एक अनिवार्य विषय रखें।
३	१८ जून, १९४८	७—न्यायालय की नोटिसें तथा सम्मन देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में प्रकाशनार्थ जारी किये जाने चाहिये।
४	१८ दिसम्बर, १९४८	८—यह स्पष्ट किया गया कि शब्द "हिन्दी" से तात्पर्य देवनागरी लिपि में लिखित इस राज्य की जनता की भाषा से है। विभागाध्यक्षों आदि से पूछा गया कि राज्य की विभिन्न सेवाओं की परीक्षाओं में हिन्दी को एक अनिवार्य विषय बनाने में अब तक क्या कार्यवाही की गई।
५	६ फरवरी, १९४९	९—समस्त विभागाध्यक्षों को निदेश किया गया कि वे ऐसे कर्मचारियों के नाम, जो हिन्दी से अनभिज्ञ हों, सरकार को भेजें।
६	८ अगस्त, १९५०	१०—यह आदेश दिया गया कि यदि चरित्रपंजियों (character rolls) में प्रविष्टियां हिन्दी में की जायं और उन्हें महालेखापाल को भेजना हो तो उनके साथ अंग्रेजी का अनुवाद भी भेजा जाना चाहिये।
७	१० जुलाई, १९५२	११—सभी विभागाध्यक्षों को यह निदेश किया गया कि वे राजकीय तार भेजने के प्रयोजनार्थ राज्य के कई जिलों में प्रारम्भ की गई हिन्दी तार सेवा का उपयोग करें।

क्रम-संख्या	परिपत्र का दिनांक	परिपत्र का आशय
८	२९ अक्तूबर, १९५२	१२—यह आदेश दिया गया कि यथासंभव सभी कार्य हिन्दी में किया जाय तथा जिन सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी का कामचलाऊ ज्ञान न हो और हिन्दी में काम न कर सकते हों वे कुछ समय तक तो अंग्रेजी में ही काम करते रहें, किन्तु उन्हें शीघ्र ही कामचलाऊ हिन्दी सीख लेना चाहिये।
		१३—भविष्य में केवल हिन्दी टाइपराइटर ही खरीदे जायं और प्रधानतया हिन्दी के ही स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट भर्ती किये जायं।
९	२१ अप्रैल, १९५४	१४—इस पर जोर दिया गया कि राजकीय तार भेजने में हिन्दी तार सेवा का अधिकाधिक उपयोग किया जाय।
१०	५ सितम्बर, १९५४	१५—यह आदेश दिया गया कि सरकारी काम में जहां तक हो सके वही शब्द काम में लाये जायं जो सरल हों और जिनको आमतौर पर लोग समझ सकें।
११	१ नवम्बर, १९५४	१६—इस बात पर पुनः जोर दिया गया कि सभी राजकीय कार्य यथा संभव हिन्दी में ही किये जायं और यह बताया गया कि पुराने अंग्रेजी टाइपराइटरों के स्थान पर नये अंग्रेजी टाइपराइटरों के खरीदने की मांग स्वीकार न की जायगी।
		१७—यह भी आदेश दिया गया कि हिन्दी को राजभाषा के रूप में कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में की गई प्रगति की छमाही रिपोर्ट सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को १ जनवरी और १ जुलाई को भेजी जाय।
१२	३० दिसम्बर, १९५४	१८—आदेश दिया गया कि यदि ऐसे कोई कर्मचारी हों जो अब भी हिन्दी से अनभिज्ञ हों तो सरकार को सूचित किया जाय।
१३	११ जुलाई, १९५५	१९—सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को यह निदेश किया गया कि वे सरकार द्वारा निर्मित समितियों की, जिनमें गैर-सरकारी सदस्य भी हों, कार्यसूची तैयार करने में और कार्यवाही लिखने में हिन्दी का ही प्रयोग करें। यह भी व्यवस्था की गई कि यदि किसी कारण से उक्त किसी समिति की कार्यसूची और कार्यवाही अंग्रेजी में ही रखना अनिवार्य हो तो इस सम्बन्ध में पहिले ही से सरकार की स्वीकृति ले ली जाय।

४—खेद की बात है कि उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। उदाहरणार्थ, इस आदेश के होते हुये भी कि प्रधानतया हिन्दी के ही स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट भर्ती किये जायं, कुछ कार्यालयों में प्रधानतया अंग्रेजी के ही स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट भर्ती किये जा रहे हैं। इसी प्रकार राजकीय तार हिन्दी में न भेजे जाकर अधिकतर अंग्रेजी में ही भेजे जाते हैं। कहीं-कहीं सार्वजनिक नोटिसें भी हिन्दी में प्रकाशित नहीं होतीं यही नहीं, दैनिक प्रयोग की पर्चियां व पताकायें अंग्रेजी में ही प्रयुक्त की जा रही हैं। स्पष्ट आदेशों के विपरीत साइनबोर्ड आदि भी अंग्रेजी में होते हैं। यह अनुचित है और सरकार आशा करती है कि भविष्य में हिन्दी सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जायगा।

५--इसके अतिरिक्त, शासन ने अब निश्चित किया है कि राजकीय कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के निमित्त निम्नलिखित और उपाय काम लाये जायं ।

६--सरकार द्वारा भेजे जाने वाले परिपत्र--सरकार अब से जो भी परिपत्र भेजेगी वे हिन्दी में होंगे । यदि कोई ऐसा परिपत्र भेजना हो जिसका सम्बन्ध वित्तीय मामलों से हो तो भी हिन्दी में ही भेजने का प्रयत्न किया जाय । अलबत्ता साथ में उसकी एक अंग्रेजी प्रति लगा दी जाय ।

इसी प्रकार प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों को जो परिपत्र भेजें वे हिन्दी में हों । वित्त सम्बन्धी परिपत्रों के सम्बन्ध में उनका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ में लगा दिया जाय । इस तरह वित्त सम्बन्धी परिपत्र भी हिन्दी में बनाने का अभ्यास हो जायगा ।

७--द्रुतगामी पत्र--इस प्रकार के आदेश पहले से मौजूद हैं कि राजकीय तार भेजने के प्रयोजनार्थ राज्य के कई जिलों में आरम्भ की गई हिन्दी तार सेवा का अधिकाधिक उपयोग किया जाय । (देखिये परिपत्र दिनांक १० जुलाई, १९५२ और २१ अप्रैल, १९५४ ।) चूंकि द्रुतगामी पत्र का आलेख्य तार जैसा होता है इसलिये इसको भी हिन्दी में भेजने में कोई कठिनाई न होनी चाहिये । फिर सामान्य पत्रों की अपेक्षा इनकी संख्या भी बहुत कम होती है ।

८--अनुस्मारक (रिमाइन्डर) और स्वीकार-प्राप्ति (एकनालेजमेंट) पत्र--इस समय अनुस्मारक में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भेजे जाते हैं । उनको अब हिन्दी में ही भेजने में कोई कठिनाई न होनी चाहिये । इसी प्रकार स्वीकार-प्राप्ति पत्र भी हिन्दी में ही भेजे जायं । यह आदेश निम्न प्रकार के अनुस्मारकों और स्वीकार-प्राप्ति पत्रों पर लागू होंगे--

(१) सचिवालय से उसके विभिन्न विभागों तथा विभागाध्यक्षों इत्यादि को भेजे जाने वाले और विभिन्न विभागों तथा विभागाध्यक्षों इत्यादि से सचिवालय को आने वाले,

(२) अधीनस्थ कार्यालयों से परस्पर आने-जाने वाले,

(३) ऐसे राज्य शासनों को जिनके साथ संविधान के अनुच्छेद ३४६ के अन्तर्गत इस शासन का हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने का करार हुआ है, भेजे जाने वाले (इस सम्बन्ध में आप को अलग से आदेश परिपत्र सं० १२०५२/३--१७० (३)-१९५०, दिनांक १९ नवम्बर, १९५५ में भेजे जा चुके हैं) ।

अनुस्मारक और स्वीकार-प्राप्ति पत्र के कुछ प्रपत्रों के नमूने "हिन्दी निर्देशिका" में, जिसका उल्लेख नीचे के पैराग्राफ ३० में किया गया है, आपकी सुविधा के लिये दे दिये गये हैं । आवश्यकतानुसार इन पत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है ।

९--सामान्य प्रकार के पत्र-व्यवहार, निर्देश तथा टिप्पणी--सामान्य प्रकार के जो भी पत्र-व्यवहार तथा निर्देश किये जायं वे हिन्दी में ही किये जायं । उनसे सम्बन्धित टिप्पण भी हिन्दी में लिखे जायं और दैनिक प्रयोग के अपेक्षण-पत्र (requisitions) भी हिन्दी में भरे जायं, उदाहरणार्थ :

(१) पुस्तकालय तथा अभिलेख (record room) से पुस्तकें व पत्रावलियां मांगने के अपेक्षण-पत्र और लेखन-सामग्री के अपेक्षण-पत्र हिन्दी में भरे जायं ।

(२) पत्रों की प्रतिलिपि मांगने से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाय ।

(३) सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रतिलिपि भेजने के लिये पृष्ठांकन हिन्दी में किये जायं ।

१०—**जनता से प्राप्त आवेदन-पत्रों का उत्तर**—जनता से प्राप्त सभी प्रकार के आवेदन-पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाय। अभी केवल उन आवेदन-पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है, जो हिन्दी में प्राप्त होते हैं, किन्तु अब उन आवेदन-पत्रों का भी, जो देवनागरी लिपि में न हों, उत्तर हिन्दी में दिया जाय। गैर-सरकारी संस्थाओं के पत्रों का उत्तर भी हिन्दी में ही दिया जाय, यदि उनके पत्र हिन्दी में हों। यदि पत्र अंग्रेजी में प्राप्त हो तो उसका उत्तर भी, जहां तक हो सके, हिन्दी में दिया जाय।

११—**असेम्बली के प्रश्नों के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार तथा टिप्पणी (नोटिंग)**—यथासम्भव असेम्बली के प्रश्नों के सम्बन्ध में सारा पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाय और टिप्पण-कार्य भी हिन्दी में हों।

१२—**हिन्दी में प्रपत्र**—यह भी आवश्यक है कि वे समस्त प्रपत्र (forms) जो अभी अंग्रेजी में ही प्रयुक्त होते हैं हिन्दी में अनूदित हों। इनके अनुवाद के लिये सरकार ने प्रबन्ध कर दिया है और इस सम्बन्ध में आप के पास अलग से परिपत्र भेजा जा रहा है। अतएव भविष्य में कोई भी कार्यालय, वित्त सम्बन्धी प्रपत्रों को छोड़ कर, अन्य प्रपत्र अंग्रेजी में मुद्रित न कराये। जब विद्यमान अंग्रेजी प्रपत्र समाप्त होने लगे तो इसकी सूचना सरकार को दी जाय, जिससे कि उन्हें उन प्रपत्रों का हिन्दी रूपान्तर शीघ्र ही उपलब्ध हो सके। जब तक उनको हिन्दी में मुद्रित प्रपत्र नहीं मिलते वे प्रपत्रों का हिन्दी रूपान्तर करा लें और साइक्लोस्टाइल करके उन्हें प्रयुक्त करें। यह सुनिश्चित करने के लिये कि वित्त सम्बन्धी प्रपत्रों को छोड़ कर सामान्यतया दैनिक प्रयोग के अन्य प्रपत्र अंग्रेजी में फिर से मुद्रित न हों, अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश को आदेश दिये जा रहे हैं कि वे भविष्य में किसी भी अवस्था में अंग्रेजी में प्रपत्र न छापें। यदि अंग्रेजी में ही छपा कोई प्रपत्र प्रयुक्त करना हो तो वह भी हिन्दी में भरा जाय। उदाहरणार्थ, उपस्थिति तथा आकस्मिक छुट्टी की पंजी (Attendance and Casual leave registers) हिन्दी में भरी जायं। इसी प्रकार प्राप्ति, प्रेषण तथा पत्रावली पंजियां भी हिन्दी में भरी जायं।

१३—**कर्मचारियों के आवेदन-पत्र**—यथासम्भव, कर्मचारी अपने आवेदन-पत्र हिन्दी में ही दें। इसी प्रकार उनका उत्तर भी हिन्दी में ही देने का प्रयत्न किया जाय।

१४—**रीतिक अवसरों के निमन्त्रण-पत्र तथा कार्यक्रम**—रीतिक अवसरों पर राज्य सरकार द्वारा भेजे जाने वाले निमन्त्रण-पत्र हिन्दी में हों। इसी प्रकार विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों द्वारा जो भी निमन्त्रण पत्र भेजे जायं वे भी हिन्दी में ही छपे हों। उनके कार्यक्रम भी हिन्दी ही में बनाये और छापे जायं। इनके कुछ नमूने "हिन्दी निर्देशिका" के परिशिष्ट ७ में दिये गये हैं।

१५—**दौरे का कार्यक्रम**—दौरे के कार्यक्रम हिन्दी में ही बनाये जायं। सुविधा के लिये ऐसे कार्यक्रम का एक नमूना परिशिष्ट ३ में दिया गया है।

१६—**कैलेण्डर तथा छुट्टियों की सूची**—सरकार द्वारा प्रकाशित समस्त प्रकार के कैलेण्डर तथा पैड हिन्दी में हों। इसी प्रकार छुट्टियों की सूची भी हिन्दी में हो। निगोशियेबुल इन्सट्रूमेंट्स ऐक्ट के अन्तर्गत छुट्टियों की विज्ञप्तियां कुछ समय तक हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित होंगी, किन्तु कार्यालयों और अधिकारियों के प्रयोग के लिये अतिरिक्त प्रतियां केवल हिन्दी में ही छपेंगी। गवर्नमेंट प्रेस द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित १९५५ के कतिपय कैलेण्डर अंग्रेजी में ही थे। अब से जितने भी कैलेंडर अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश द्वारा छापे जायं वे हिन्दी में हों।

१७—**लिफाफों पर पते**—लिफाफों पर पते देवनागरी लिपि में ही होने चाहिये। किन्तु कार्यालयों के अंग्रेजी नामों व अधिकारियों के अंग्रेजी पदनामों का अनुवाद न होना चाहिये। ऐसा करना कुछ समय तक इसलिये आवश्यक है कि अभी डाक व तार विभाग

इन अंग्रेजी नामों के हिन्दी पर्यायों से भलीभांति परिचित नहीं हैं और यह हो सकता है कि पत्र सम्बोधित व्यक्तियों के पास न पहुंच कर अनधिकृत व्यक्ति को मिले। (कुछ दिन पूर्व विहार में ऐसा ही हुआ था, जिसका फल यह हुआ कि जिन अधिकारियों के पास चिट्ठियां पहुंचनी थीं उन्हें न मिल कर कभी-कभी दूसरे अधिकारियों के पास पहुंच जाती थीं।) कुछ समय बाद जब हिन्दी के पर्याय पूर्ण रूप से प्रचलित हो जायं तब पदनामों के हिन्दी के रूपान्तरों का प्रयोग पता लिखने में किया जाय।

१८—टाइपराइटर—परिपत्र संख्या ६४६४/३—१७० (७)—१९५२, दिनांक २९ अक्तूबर, १९५२ तथा परिपत्र संख्या ८७९३/३—१७० (३)—१९५२, दिनांक १ नवम्बर, १९५४ में ये आदेश दिये गये थे कि नये टाइपराइटर अब हिन्दी लिपि के ही खरीदे जायं। उसमें यह भी बताया गया था कि अंग्रेजी के नये टाइपराइटर खरीदने के प्रस्ताव शासन को अब न भेजे जायं। फिर भी समय-समय पर अंग्रेजी टाइपराइटर खरीदने की मांगें आ रही हैं। इन मांगों के समर्थन में अधिकतर ये तर्क दिये जाते हैं :

(क) पारिभाषिक शब्दों में हिन्दी पर्यायों का अभाव,

(ख) हिन्दी टाइपिस्टों और हिन्दी स्टेनोग्राफरों की कमी, और

(ग) दैनिक प्रयोग के प्रपत्रों का अंग्रेजी में होना—

(क) के सम्बन्ध में यह बहुत पहले ही बताया जा चुका है कि हिन्दी के पत्र में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द हिन्दी लिपि में लिखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी पर्याय निश्चित हो रहे हैं और इनकी पुस्तिकायें कुछ ही समय में उपलब्ध हो जायेंगी।

(ख) के विषय में स्थायी अनुदेश यह है कि अब जो भी टाइपिस्ट नियुक्त किये जायेंगे वे प्रधानतया हिन्दी के ही हों। यही नीति स्टेनोग्राफरों के सम्बन्ध में भी है।

(ग) के सम्बन्ध में उपर्युक्त पैराग्राफ १२ में उल्लेख कर दिया गया है कि अंग्रेजी में मुद्रित प्रपत्र अब प्रयुक्त न होंगे। समस्त प्रपत्रों के हिन्दी रूपान्तर तैयार हो रहे हैं और शीघ्र ही उपलब्ध हो जायेंगे।

ऐसी अवस्था में अंग्रेजी टाइपराइटर खरीदना आवश्यक नहीं कहा जा सकता। अतः शासन ने निश्चय किया है कि अब अंग्रेजी टाइपराइटरों की मांग न की जानी चाहिये। शासन के लिये अब इस प्रकार की मांगों को स्वीकार करना संभव न होगा। अलबत्ता इस आदेश के निम्नलिखित अपवाद हैं :

(१) उच्च न्यायालय में न्यायिक प्रयोजनों के लिये तथा किसी विशेष स्थिति में प्रशासकीय प्रयोजनों के लिये,

(२) अन्य न्यायिक अधिकारियों के ऐसे कार्यों के लिये जिन्हें अंग्रेजी में करना अनिवार्य हो,

(३) लोक सेवा आयोग के ऐसे कार्य के लिये जिनका अंग्रेजी में किया जाना अनिवार्य हो, उदाहरणार्थ, परीक्षा सम्बन्धी प्रश्न-पत्र, आदि

(४) महालेखापाल से सम्बन्धित ऐसे कार्यों के लिये जिनका अंग्रेजी में ही करना अभी आवश्यक है,

(५) यदि कोई नया कार्यालय स्थापित हो, जिसमें अंग्रेजी में कुछ हद तक काम करना आवश्यक हो, तथा

(६) इसी प्रकार के किसी अन्य आवश्यक कार्य के लिए,

इन दशाओं में भी अंग्रेजी टाइपराइटर खरीदने की अनुमति उसी समय दी जायगी जब काम की मात्रा पर्याप्त हो।

१९—कार्यालयों की मोहरें तथा रबर मुद्राएं—कार्यालय की मोहरें तथा रबर मुद्रायें हिन्दी में हों। जहां ऐसा न हो, अधिकारी इसकी व्यवस्था कर लें। पदनाम अंग्रेजी में हो सकते हैं किन्तु लिपि देवनागरी हो।

२०—चपरासियों आदि के बिल्ले—सचिवालय के चपरासियों, जमादारों तथा पुलिस, व होमगार्ड के सिपाहियों व अन्य सरकारी कार्यालयों के चपरासियों, आदि के बिल्ले हिन्दी में होने चाहिये। जहां ऐसा न हो रहा हो, इस प्रकार की व्यवस्था कर ली जाय।

२१—हिन्दी के लिये एक पदेन अधिकारी—सचिवालय, विभागाध्यक्षों तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों के कार्यालयों आदि में हिन्दी की प्रगति समुचित रूप से हो रही है या नहीं यह देखने के लिये प्रत्येक कार्यालय में एक अधिकारी मनोनीत किया जाय, जो अपने कार्य के अतिरिक्त यह भी देखे कि उस कार्यालय में सुचारु रूप से हिन्दी का व्यवहार हो रहा है और हिन्दी के विषय में सरकारी आदेश पूर्णतया पालन किये जा रहे हैं। अतः प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीनस्थ एक कर्मचारी को, जो राज्य सेवा (State Service) के ग्रेड से निम्न ग्रेड का न हो, इस कार्य सम्पादन के लिये मनोनीत कर देंगे। इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रक्खा जाय कि इसके लिये वही पदाधिकारी मनोनीत किया जाय जो ज्येष्ठ (senior) हो और हिन्दी में अभिरुचि रखता हो, जिससे कि उसके परामर्श के अनुसार अन्य अधिकारी और कर्मचारी हिन्दी में सुगमता से काम कर सकें।

कार्यालयों के प्रधान निरीक्षक (Chief Inspector of Offices) और उनके अधीनस्थ निरीक्षक भी कार्यालयों का निरीक्षण करते समय यह देखेंगे कि हिन्दी सम्बन्धी आदेशों का समुचित पालन हो रहा है।

२२—प्रत्येक कार्यालय में हिन्दी पुस्तकालय की स्थापना—प्रत्येक कार्यालय में धीरे-धीरे एक हिन्दी-पुस्तकालय स्थापित किया जाय, जहां कर्मचारियों को हिन्दी के प्रमाणीकृत कोष, अंग्रेजी-हिन्दी के कोष, हिन्दी की निर्देश पुस्तकें, हिन्दी की वे पुस्तकें जो राजकीय कार्य करने में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोगी हों, हिन्दी आख्यायें, हिन्दी बजट तथा गजट की प्रतियां, हिन्दी आलेखन की पुस्तकें आदि उपलब्ध हो सकें, ये पुस्तकालय हिन्दी अध्ययन केन्द्र का भी काम करेंगे और वहां सरकारी कर्मचारी सुगमता से हिन्दी ज्ञानोपार्जन कर सकेंगे। इस प्रकार के पुस्तकालय कर्मचारियों में न केवल हिन्दी पढ़ने और समझने की अभिरुचि पैदा करेंगे अपितु उनकी कार्यदक्षता को भी बढ़ाने में सहायक होंगे। विभागाध्यक्षों और अन्य अधिकारियों के पास जो धनराशि प्रासंगिक (contingencies) व्यय के लिये है उसमें से समय-समय पर इन पुस्तकों के लिये पुस्तकें खरीदनी चाहिये। इसके अतिरिक्त, शासन द्वारा प्रकाशित हिन्दी पुस्तकें तथा हिन्दी विषय की अन्य चुनी हुई पुस्तकें एकत्रित करना चाहिये।

२३—हिन्दी स्टेनोग्राफी तथा हिन्दी टाइप सीखने की सुविधा—उन सरकारी कर्मचारियों को, जो हिन्दी स्टेनोग्राफी या हिन्दी टाइपराइटिंग सीखना चाहें तथा उन टाइपिस्टों व स्टेनोग्राफरों को, जो अपनी स्पीड बढ़ाना चाहें, निम्न सुविधाएं दी जायं:

(१) दफ्तर के घंटों में हिन्दी टाइप सीखने की सुविधा,

(२) कार्यालय के टाइपराइटरों पर टाइप सीखने की सुविधा,

(३) स्टेनोग्राफरों को दफ्तर के घंटों में स्टेनोग्राफी का अभ्यास कायम रखने व बढ़ाने की सुविधा,

(४) हिन्दी टाइपराइटिंग तथा हिन्दी स्टेनोग्राफी सीखने वालों को दफ्तर में देर से आने तथा दफ्तर जल्दी छोड़ने की अनुमति देना,

(५) हिन्दी टाइप व हिन्दी स्टेनोग्राफी सीखने के लिये अध्ययन छुट्टी (study leave) दिये जाने की व्यवस्था, फन्डामेंटल रूल्स के नियम

८४ के अन्तर्गत निर्मित नियमावली (Subsidiary Rules) के नियम १४६–ए में यह व्यवस्था है कि सरकारी कर्मचारियों को वैज्ञानिक प्रौद्योगिक (echnical) तथा अन्य प्रकार के विशिष्ट शिक्षण के लिये अतिरिक्त छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। साधारणतया यह छुट्टी कुछ विशेष विभागों, जैसे जन-स्वास्थ्य विभाग, पशु-चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा वन विभाग के कर्मचारियों को दी जाती है, किन्तु सरकार को अधिकार है कि अन्य कर्मचारियों को भी यह सुविधा दिये जाने का आदेश दे, यदि सरकार के विचार में विशिष्ट पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये उसको ऐसी छुट्टी देना सार्वजनिक हित में हो। अतः सरकार ने यह निश्चय किया है कि हिन्दी टाइप व हिन्दी स्टेनोग्राफी सीखने के लिये जो प्रस्ताव सरकार के पास आयेंगे उन पर सहानुभूति से विचार किया जायेगा और लोक सेवा के हित को ध्यान में रखते हुये यथासम्भव उनको स्वीकार करने का प्रयत्न किया जायेगा। सचिवालय के प्रशासकीय विभाग उन प्रस्तावों को यथाशीघ्र वित्त विभाग से परामर्श लेकर तय करेंगे और यदि आवश्यकता होगी तो प्रशासन विभाग से भी परामर्श करेंगे।

२४—हिन्दी की प्रगति में विशेष सहायता देने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन—हिन्दी में अच्छी टिप्पणी लिखने या आलेख्य तैयार करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाय। उदाहरणार्थ, उनकी चरित्रपंजियों (Character Rolls) में इस आशय की प्रविष्टियां की जायं कि वे हिन्दी की प्रगति में विशेष सहायता दे रहे हैं। इसी प्रकार उन कर्मचारियों को भी जो हिन्दी की प्रगति में अथवा सरकारी काम के लिये उसके प्रचार में विशेष योग दें, प्रोत्साहन दिया जाय। हिन्दी सम्बन्धी इन प्रविष्टियों पर पदोन्नति के समय विशेषरूप से ध्यान दिया जाय।

२५—भारत सरकार के राजकीय कार्यों में हिन्दी भाषा का प्रयोग—भारत सरकार ने भी अब अपने राजकीय कार्यों में हिन्दी भाषा का प्रयोग करने की व्यवस्था की है और इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद ३४३ के खंड (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के ५ दिसम्बर, १९५५ को एक आदेश जारी किया है, जिसका नाम संविधान (राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी भाषा) आदेश, १९५५ है। इस आदेश का ब्योरा "हिन्दी निर्देशिका" में दे दिया गया है।

२६—अन्य विशेष आदेश—ऊपर कहे गये विभिन्न आदेशों के अतिरिक्त सचिवालय के लिये कुछ और विशेष आदेश पृष्ठांकन में दिये गये हैं।

*२७—उत्तर प्रदेश, उच्च न्यायालय तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यदि आपत्ति न हो तो वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये उपरोक्त आदेश, जहां तक लागू हों, कृपया जारी कर दें।

†२८—(१) कार्यालयों के प्रधान निरीक्षक (Chief Inspector of Offices) से अनुरोध किया जाता है कि वे उक्त पैराग्राफ २१ के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

‡(२) अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश से यह अनुरोध किया जाता है कि वह इस परिपत्र में उल्लिखित अनुदेशों के विपरीत कोई सामग्री अंग्रेजी में न छापें

---

*केवल उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग के लिये।

†केवल कार्यालयों के प्रधान निरीक्षक के लिये।

‡केवल अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री के लिये।

जब तक कि शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उन्हें ऐसा करने की अनुमति न दे दी गई हो। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस परिपत्र के पैराग्राफ १२ के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

२९—यह परिपत्र केवल उन बातों से ही सम्बन्धित नहीं है जिसका कि ऊपर उल्लेख किया गया है। उल्लिखित राजकीय कार्यों में तो हिन्दी प्रयुक्त करना ही है किन्तु इसके यह अर्थ नहीं कि अन्य कार्य जिनका यहां उल्लेख नहीं किया गया है, हिन्दी में न किये जायं। अच्छा होगा यदि अन्य प्रकार के कार्यों में हिन्दी इस्तेमाल की जाय, क्योंकि अन्ततः हिन्दी ही समस्त राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होनी है और उसको पूर्णरूपेण अपनाना है। अतएव जितनी जल्दी अब सारा कार्य हिन्दी में होने लगे उतना ही अच्छा होगा।

३०—हिन्दी निर्देशिका—सरकार यह अनुभव करती है कि अन्य कठिनाइयों के साथ-साथ उपयुक्त पारिभाषिक शब्दावली के अभाव में हिन्दी में आलेख्य तथा टिप्पणी तैयार करते समय कर्मचारी प्रायः अंग्रेजी में ही सोचने तथा अपने विचार व्यक्त करने के लिये बाध्य होते हैं। तत्पश्चात् उनका हिन्दी रूपान्तर तैयार करने का प्रयत्न किया जाता है जिससे मौलिकता नष्ट हो जाती है। इस कठिनाई को दूर करने तथा अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने की सुविधा देने के लिये शासन ने एक पुस्तिका, "हिन्दी निर्देशिका" तैयार करवाई है, जिसमें हिन्दी के सम्बन्ध में निकाले गये आदेशों का विवरण, हिन्दी में टिप्पणी और आलेख्य लिखने तथा अनुवाद करने के कुछ सुझाव, हिन्दी में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली, हिन्दी की निर्देश पुस्तकों की सूची इत्यादि संगृहीत है। इस पुस्तिका में हिन्दी की प्रगति बढ़ाने के शासकीय आदेशों का सारांश भी दिया गया है। इस परिपत्र के साथ निकाले गये आदेश भी इसमें समाविष्ट कर दिये गये हैं। इस पुस्तिका की एक प्रति अतिरिक्त प्रतियों के साथ संलग्न है। आशा है कि यह पुस्तिका हिन्दी में सरकारी काम करने में उपयोगी सिद्ध होगी।

३१—हिन्दी माध्यम द्वारा विचारों की सुगमता से अभिव्यक्ति—हिन्दी भाषा एक सरल भाषा है, भारत की अपार जनता की भाषा है। इसीलिये इसे इस प्रदेश की राजभाषा का स्थान ही नहीं अपितु संघ की राजभाषा का भी स्थान दिया गया है। यह भाषा पूर्ण विकसित है। अतएव शासकीय योजनों के लिये उसको काम में लाना कठिन नहीं है। इसके माध्यम द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति सुगमता से हो सकती है।

३२—उपसंहार—विदेशी शासन अन्त होने के बाद विदेशी भाषा का प्रयोग अधिक समय तक होते रहना सभी को अप्रीतिकर लगेगा। कुछ समय तक तो अंग्रेजी का कुछ न कुछ प्रभाव बना रहना एक प्रकार से अनिवार्य ही था। इसके लिये जब सरकार ने अक्तूबर, १९४७ में हिन्दी को राजभाषा घोषित किया तो यह स्पष्ट कर दिया था कि अंग्रेजी की जगह हिन्दी का प्रयोग शनैः शनैः किया जायगा, जिससे कि राजकीय कार्य में आवश्यकता से अधिक अड़चन न पड़े। तब से अब ८ वर्ष से अधिक हो गये हैं और अंग्रेजी का प्रयोग, उन अनिवार्य कार्यों को छोड़ कर, जिनका उल्लेख भारत के संविधान में है सरकारी कार्य में अब यथासम्भव न होना चाहिए।

३३—सरकार को आशा है कि हिन्दी को राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त करने के लिए नीति को भली प्रकार फलीभूत करने में सभी कर्मचारी अपना पूर्ण सहयोग देंगे।

भवदीय,
आदित्यनाथ झा,
मुख्य सचिव।

संख्या ११८७६ (१)/३--१७०(२२)-१९५५

"हिन्दी निर्देशिका" की एक प्रति के साथ प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त विभागों को, आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है।

२--कुछ समय हुआ जब कि सचिवालय के विभिन्न विभागों के सचिवों ने सामान्य प्रशासन विभाग को सूचित किया था कि कुछ मदों को छोड़ कर प्रायः सभी काम हिन्दी में किया जा सकता है। जिन मदों में हिन्दी में काम होना इस समय सम्भव नहीं है, उनकी सूचियां भी साथ में आई थीं। अतएव सचिवालय के विभिन्न विभागों से यह अनुरोध किया जाता है कि उक्त सूचियों में उल्लिखित मदों को छोड़ कर और सभी काम यथासम्भव हिन्दी में करना प्रारम्भ कर दें। यदि उन सब के अन्तर्गत पूरा काम हिन्दी में करने में असुविधा हो, जैसी कि कदाचित होगी, तो शनैः-शनैः हिन्दी में काम करने वाले मदों को छांट लिया जाय और उनको हिन्दी में करना शुरू कर दिया जाय।

३--यह विशेष आदेश इस परिपत्र में बताये हुए आदेशों के अतिरिक्त है।

संख्या ११८७६ (२)/३ --१७० (२२)-१९५५

१--पृष्ठांकन ४६८६ (५३)/१७० -४७, दिनांक ८ अक्तूबर, १९४७ के क्रम में--

(१) उत्तर प्रदेश के सभी म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी और नोटीफाइड एरिया कमेटी के चैयरमैन और प्रेसीडेंटों;

(२) लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के प्रशासकों;

(३) कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड के प्रशासक;

को भी एक प्रतिलिपि "हिन्दी निर्देशिका" की एक प्रति के साथ सूचनार्थ भेजी जाती है।

नोट--बनारस और आगरा के इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को ८ अक्तूबर, १९४७ का परिपत्र सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नहीं भेजा गया था: उसकी प्रपिलिपि निर्देशिका की परिशिष्ट १ में है।

आज्ञा से,
आदित्यनाथ झा,
मुख्य सचिव।

संख्या ११८७६ (३)/३--१७० (२२)-१९५५

वित्त विभाग

"हिन्दी निर्देशिका" की एक प्रति के साथ, प्रतिलिपि, उत्तर प्रदेश के महालेखापाल को भी सूचनार्थ भेजी जाती है।

आज्ञा से,
विपिन विहारी लाल,
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या ५७२०/तीन--१९५७

लखनऊ, दिनांक २७ जुलाई, १९५७

कार्यालय ज्ञाप

विषय--अधिकारीय पदनामों, इत्यादि के हिन्दी पर्यायों का प्रयोग।

अधिकारीय पदनामों के अधिकतर हिन्दी पर्याय, खासतौर पर सचिवालय में, अब प्रायः पूर्ण रूप से स्थिर हो चुके हैं। अतः समय आ गया है कि हिन्दी की प्रगति के लिए उन पदनामों को ही सरकारी कागजों तथा पत्र-व्यवहार में प्रयुक्त किया जाय। मिसाल के तौर पर "चीफ़ मिनिस्टर" के स्थान पर "मुख्य मन्त्री"; "फाइनेन्स मिनिस्टर" के स्थान पर "वित्त मंत्री" का प्रयोग आसानी से हो सकता है। इसी प्रकार "चीफ़ सेक्रेटरी" के स्थान पर "मुख्य सचिव", "होम सेक्रेटरी" के स्थान पर "गृह सचिव", का प्रयोग किया जा सकता है। इन पदनामों के हिन्दी संक्षिप्त रूप भी टिप्पणियों में आवश्यकतानुसार प्रयोग मे लाये जा सकते हैं, जैसे "मुख्य मंत्री", के लिये "मु० मंत्री" या "मु० मं०", "वित्त मन्त्री" के लिये "वि० मन्त्री" या "वि० मं०"।

२--इस सम्बन्ध में सविस्तर निर्णय इस प्रकार है--

(१) (क) प्रमुख अधिकारीय पदनामों के निर्धारित हिन्दी पर्याय संलग्न तालिकाओं (१-३) में दिये गये हैं। तालिका संख्या १ में मन्त्रियों के पूरे पदनाम (मय कार्य विभागों के), उनके संक्षिप्त पदनाम और उन पदनामों के संक्षिप्त रूप दिये गये हैं। तालिका संख्या २ और ३ में उप-मन्त्रियों, सभासचिवों और सचिवालय के पदाधिकारियों के हिन्दी पदनाम और उनके संक्षिप्त रूप दिये गये हैं।

(ख) सचिवालय के विभागों के हिन्दी नाम तथा विभागाध्यक्षों के हिन्दी पदनाम सचिवालय के शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित "उत्तर प्रदेश प्रशासन शब्दावली (संख्या १)" में दिये हैं जो बहु-संख्या में वितरित की गई है।

(ग) इन्हीं निर्धारित पर्यायों का प्रयोग आगे की मदों में निर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार किया जायगा।

(२) सचिवालय के सभी विभागों की फ़ाइलों की टिप्पणियों, आदेशों इत्यादि में और अन्य कागजों, उदाहरणार्थ, पत्रावली आवरण, पर्ची (file covers slips) में अधिकारीय पदनामों के हिन्दी पर्याय तथा विभागों के हिन्दी नाम ही प्रयोग में लाये जायेंगे। आवश्यकता और प्रसंगानुसार इनके संक्षिप्त रूप भी (और मंत्रियों के सम्बन्ध में उनके संक्षिप्त पदनाम--देखिए तालिका संख्या १ का दूसरा स्तम्भ) प्रयोग में लाये जा सकते हैं। यदि टिप्पणी अथवा आदेश अंग्रेजी में ही लिखना हो, तो भी उनमें पदनामों इत्यादि के हिन्दी पर्याय ही लिखे जायंगे। उदाहरणार्थ यदि अंग्रेजी के नोट में "मिनिस्टर फ़ार जस्टिस" (Minister for Justice या M. J.)

का पदनाम प्रयोग में लाना हो तो "न्याय मन्त्री" (Nyaya Mantri या N. Mantri या N.M.) का प्रयोग किया जायगा। सचिवालय के अन्तर्विभागीय निर्देशों (inter-departmental reference) में भी यही आदेश लागू होंगे।

(३) (क) राज्यपाल के सचिव, विधान परिषद्, विधान सभा, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग अथवा अधीनस्थ अधिकारियों से पत्र-व्यवहार (सरकारी और अर्ध सरकारी) में भी (चाहे वह अंग्रेजी में ही क्यों न हो) उक्त आदेश केवल इस परिवर्तन के साथ लागू होगा कि उसमें पदनाम के संक्षिप्त रूप का प्रयोग न किया जायगा, वरन् पदनाम (अथवा मन्त्रियों के सम्बन्ध में उनका संक्षिप्त पदनाम) लिखा जायगा। यदि किसी अवस्था में वैधिक (legal) आवश्यकता की पूर्ति के लिए पदनाम का अंग्रेजी पर्याय ही प्रयोग करना आवश्यक हो तो वैसा किया जा सकता है। विधि द्वारा सरकारी भाषा हिन्दी हो जाने पर (देखिये उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, १९५१) ऐसी परिस्थिति उठने की सम्भावना नहीं जान पड़ती, किन्तु यदि इस विषय में संशय उठे तो विधान विभाग से परामर्श कर के उसे तय किया जा सकता है।

(ख) ये आदेश उन राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार के सम्बन्ध में भी लागू होंगे, जिनके बीच संचार के लिए हिन्दी इस्तेमाल करने का करार हुआ है।

नोट—इस प्रकार का करार अब तक मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों से हुआ है।

(४) मद (३) (क) में निर्दिष्ट आदेश निम्नलिखित प्राधिकारियों से पत्र-व्यवहार पर फिलहाल लागू न होंगे, यदि उसकी भाषा अंग्रेजी हो, (किन्तु यदि पत्र-व्यवहार हिन्दी में हो तो ये आदेश लागू होंगे):

(क) भारत सरकार और उनके अधीनस्थ अधिकारी;

(ख) विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास तथा विदेशी और समधिराज्य (commonwealth) सरकारें, जब भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय के स्थायी आदेशों के अधीन उनसे सीधे पत्र-व्यवहार किया जा सकता हो;

(ग) मध्य प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों को छोड़ कर अन्य राज्य सरकारें;

(घ) विदेशों में स्थित गैर-सरकारी संस्थाएं तथा विशेष व्यक्ति, और

(ङ) महालेखापाल, उत्तर प्रदेश।

(५) विभागाध्यक्षों, प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों और अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यालयों की टिप्पणियों तथा पत्र-व्यवहार इत्यादि के सम्बन्ध में भी उपरिनिर्दिष्ट अनुदेश लागू होंगे।

३—इस राज्य की राजभाषा हिन्दी घोषित हो जाने के पश्चात्, हिन्दी को सरकारी कामों में प्रयुक्त करने के लिये समय-समय पर आदेश जारी किये गये हैं और शासन को विश्वास है कि अधिकारीगण उनके पालन करने में सचेष्ट हैं। अधोहस्ताक्षरी को यह आशा प्रकट करने का निदेश हुआ है कि इस कार्यालय ज्ञाप में दिये हुये अनुदेशों का यथोचित पालन किया जायगा।

आदित्यनाथ झा,
मुख्य सचिव।

सचिवालय के समस्त अधिकारियों और विभागों को।

संख्या ५७२० (१)/तीन–१९५७

प्रति लिपि मुख्य मंत्री के निजी सचिव, अन्य मन्त्रियों के वैयक्तिक सहायकों, तथा उप-मन्त्रियों और सभा सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

संख्या ५७२० (२)/तीन–१९५७

प्रतिलिपि—

(१) राज्यपाल के सचिव;
(२) सचिव, विधान मन्डल;
(३) निबन्धक, उच्च न्यायालय;
(४) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, और
(५) महालेखापाल, उत्तर प्रदेश;

को सूचनार्थ तथा ऐसी कार्यवाही के लिये, जो उचित समझी जाय, प्रेषित।

संख्या ५७२०(३)/तीन–१९५७

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित:

(१) अन्य विभागाध्यक्ष;
(२) मण्डलों के आयुक्त (डिवीजनों के कमिश्नर);
(३) जिलाधीश, जिला न्यायाधीश, और
(४) अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

संख्या ५७२० (४)/तीन–१९५७

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित;

(१) समस्त अध्यक्ष, जिला बोर्ड, उत्तर प्रदेश,
(२) नगरपालिकाओं के समस्त अध्यक्ष/प्रशासक, उत्तर प्रदेश।
(३) अध्यक्ष, विकास बोर्ड, कानपुर।
(४) सुधार प्रन्यासों (Improvement Trusts) के अध्यक्ष, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा और वाराणसी।
(५) अधिसूचित क्षेत्र समितियों (Notified Area Committees) के समस्त अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, और
(६) नगर के क्षेत्र समितियों (Town Area Committees) के समस्त अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संख्या ५७२० (५)/तीन–१९५७

प्रतिलिपि पोस्टमास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
आदित्यनाथ झा,
मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका—१
(मन्त्रियों के लिये)
[देखिये अनुच्छेद २ (१) (क)]

क्रम-संख्या	मंत्रियों के पूरे पदनाम और उनके हिन्दी पर्याय तथा कार्य-विभाग (Portfolio)	संक्षिप्त पदनाम	संक्षिप्त रूप
१	२	३	४
१ Chief Minister, General Administration and Planning.	.. मुख्य मंत्री, सामान्य प्रशासन तथा नियोजन	मुख्य मंत्री	मु० मंत्री; मु० मं०
२ Minister for Finance, Industries an Power.	.. वित्त, उद्योग तथा विद्युत् (शक्ति) मंत्री	वित्त मंत्री	वि० मंत्री; वि० मं०
३ Minister for Health, Agriculture and Relief and Rehabilitation.	.. स्वास्थ्य, कृषि और सहायता तथा पुनर्वासन मंत्री।	कृषि मंत्री	कृ० मंत्री; कृ० मं०
४ Minister for Public Works	.. सार्वजनिक निर्माण मंत्री	सार्वजनिक निर्माण मंत्री	सा० नि० मंत्री, सा० नि० मं०
५ Minister for Revenue	.. माल मंत्री	माल मंत्री	मा० मंत्री; मा० मं०।
६ Minister for Justice, Food and Civil Supplies and Forests.	.. न्याय, खाद्य तथा रसद तथा वन मंत्री	न्याय मंत्री	न्या० मंत्री, न्या० मं०
७ Minister for Home, Education and Information.	.. गृह, शिक्षा तथा सूचना मंत्री	शिक्षा मंत्री	शि० मंत्री; शि० मं०
८ Minister for Local-Self Government	.. स्वायत्त शासन मंत्री	स्वायत्त शासन मंत्री	स्वा० शा० मंत्री; स्वा०शा० मं०
९ Minisfor for Labour and Social Welfare	श्रम और समाज कल्याण मंत्री	श्रम मंत्री	श्र० मंत्री; श्र० मं०
१० Minister for Co-operation	.. सहकारिता मंत्री	सहकारिता मंत्री	स० मं०; स० मं०
११ Minister for Harijan Welfare	.. हरिजन कल्याण मंत्री	हरिजन कल्याण मंत्री	ह० क० मंत्री; ह० क० मं०
१२ Minister for Social Security	.. सामाजिक सुरक्षा मंत्री	सामाजिक सुरक्षा मंत्री	सा० सु० मंत्री; सा० सु० मं०
१३ Minister for Irrigation	.. सिंचाई मंत्री	सिंचाई मंत्री	सि० मंत्री; सि० मं०
१४ Minister for Excise and Transport	.. आबकारी तथा परिवहन मंत्री	परिवहन मंत्री	प० मंत्री, प० मं०

नोट:—कार्य-विभाग परिवर्तन की दशा में पदनाम भी तदनुकूल बदल जायंगे।

तालिका—२

(उप-मंत्रियों और सभासचिवों के लिये)

[देखिये अनुच्छेद २ (१) (क)]

क्र० सं०	पदनाम	हिन्दी पर्याय	संक्षिप्त रूप
१	२	३	४
१ Deputy Minister for Planning	.. नियोजन उपमंत्री	नि० उपमंत्री	नि० उ० मं०
२ Deputy Minister for Justice	.. न्याय उपमंत्री	न्या० उपमंत्री	न्या० उ० मं०
३ Deputy Minister for Education	.. शिक्षा उपमंत्री	शि० उपमंत्री	शि० उ० मं०
४ Deputy Minister for Industries	.. उद्योग उपमंत्री	उ० उपमंत्री	उ० उ० मं०
५ Deputy Minister for Revenue	.. माल उपमंत्री	मा० उपमंत्री	मा० उ० मं०
६ Deputy Minister for Health	.. स्वास्थ्य उपमंत्री	स्वा० उपमंत्री	स्वा० उ० मं०
७ Deputy Minister for Social Welfare	.. सामाजिक कल्याण उपमंत्री	सा० क० उपमंत्री	स० क० उ० मं०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पूरे पदनाम और उनके हिन्दी पर्याय		संक्षिप्त पदनाम	संक्षिप्त रूप	
१	२	३	४	५
१ Parliamentary Secretary attached to Chief Minister.	सभा सचिव, मुख्य मंत्री से सम्बद्ध	सभासचिव, (मुख्य मंत्री)	सभा० स० (मु० मंत्री)	स० स० (मु० मं०)
२ Parliamentary Secretary attached to Minister for Health, Agriculture and Relief and Rehabilitation.	सभासचिव, स्वास्थ्य, कृषि और सहायता तथा पुनर्वासन मंत्री से सम्बद्ध	सभासचिव, (कृषि मंत्री)	सभा० स० (कृ० मंत्री)	स० स० (कृ० मं०)
३ Parliamentary Secretary attached to Minister for Finance, Industries and Power.	सभासचिव, वित्त, उद्योग तथा विद्युत् मंत्री से सम्बद्ध	सभा सचिव (वित्त मंत्री)	सभा० स० (वि० मंत्री)	स० स० (वि० मं०)
४ Parliamentary Secretary attached to Minister for Local Self-Government.	सभासचिव, स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बद्ध	सभासचिव, (स्वायत्त शासन मंत्री)	सभा० स० (स्वा० शा० मंत्री)	स० स० (स्वा० शा० मं०)
५ Parliamentary Secretary attached to Mnister for Home, Education and Information.	सभासचिव, गृह, शिक्षा तथा सूचना मंत्री से सम्बद्ध	सभासचिव, (शिक्षा मंत्री)	सभा० स० (शि० मंत्री)	स० स० (शि० मं०)
६ Parliamentary Secretary attached to Minister for Labour and Social Welfare.	सभासचिव, श्रम और समाज कल्याण मंत्री से सम्बद्ध	सभासचिव, (श्रम मंत्री)	सभा० स० (श्र० मंत्री)	स० स० (श्र० मं०)
७ Parliamentary Secretary attached to Minister for Harijan Welfare and Legislative Affairs.	सभासचिव, हरिजन कल्याण तथा विधानकार्य मंत्री से संबद्ध	सभासचिव (हरिजन कल्याण मंत्री)	सभा० स० (ह० क० मंत्री)	स० स० (ह० क० मं०)
८ Parliamentary Secretaay attached ro Minister for Public Works.	सभासचिव, सार्वजनिक निर्माण मंत्री से संबद्ध	सभासचिव, (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)	सभा० स० (सा० नि० मंत्री)	स० स० (सा० नि० मं०)

नोट—कार्य-विभाग परिवर्तन की दशा में पदनाम भी तदनुकूल बदल जायंगे।

तालिका—३

(सचिवालय के पदाधिकारियो के लिये)
[देखिये अनुच्छेद २ (१) (क)]

क्र० सं०	पदनाम		हिन्दी पर्याय	संक्षिप्त रूप
१	२		३	४
१	Chief Secretary ..	.. मुख्य सचिव	मु० सचिव;	मु० स०
२	Secretary ..	.. सचिव		
३	Additional Secretary	.. अतिरिक्त सचिव	अ० सचिव;	अ० स०
४	Joint Secretary ..	.. संयुक्त सचिव	सं० सचिव;	सं० स०
५	Deputy Secretary	.. उप-सचिव	उ० सचिव;	उ० स०
६	Under Secretary ..	.. अनु-सचिव	अनु० सचिव;	अनु० स०
७	Assistant Secretary	.. सहायक सचिव	सहा० सचिव;	सहा० स०
८	Officer on Special Duty	.. विशेष कार्याधिकारी	वि० अधिकारी;	वि० अ०
९	Personal Assistant	.. वैयक्तिक सहायक	वै० सहायक;	वै० स०

नोट:—सचिवालय के अन्य पदाधिकारियों के हिन्दी पर्याय 'हिन्दी निर्देशिका'' में देखिये।

अवैध प्रकाशन विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३ पर।)

राजकीय गोसदन

१९५६–५७ में दो अन्य राजकीय गोसदन खोलने के लिये जिला बांदा व बहराइच चुने गये हैं, जहां पर मकानातों के निर्माण का कार्य जारी है और आशा है कि अक्तूबर १९५७ तक वह पूर्णतया कार्य करने लगेंगे। इन पर पिछले वर्ष कुल व्यय २,०१,३०७ रुपये हुआ। इस खर्च का ब्योरा संलग्न है।

निजी गोसदन

इनके अतिरिक्त प्रदेश में क्रमशः मिर्जापुर, देहरादून तथा आगरा जिला में से प्रत्येक में एक-एक निजी गोसदन खोले जा चुके हैं, जिनको सन् १९५६–५७ में सरकार द्वारा कुल मिलाकर २,३२३ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

जिला गोसदन

एटा, हरदोई, रामपुर, गोंडा, मुजफ्फरनगर, फर्रुखाबाद, बदायूं, सहारनपुर, मेरठ बाराबंकी और वाराणसी जिलों में से प्रत्येक में एक जिला गोसदन खोलने का अनुमोदन शासन द्वारा किया जा चुका है और आशा है कि उन जिलों में गोसदन शीघ्र ही पूर्णतया कार्य करने लगेंगे। पिछले वर्ष इन जिला गोसदनों को चलाने के लिये कुल २,२४,००० रुपये की धनराशि विभिन्न जिलाधीशों के अधीन रखी गई है।

बाकी जिलों में भी भूमि प्राप्त करने का कार्य जारी है और आशा है कि जल्दी ही उनमें से १० या १५ जिलों में इस वर्ष गोसदन खुल जावेंगे।

हकुम सिंह विसेन,
कृषि मंत्री।

राजकीय गोसदन १—गरजियासोत, जिला नैनीताल तथा २—
इटावा पर वार्षिक धनराशि का व्यय निम्नलिखित हुआ

	रु०	आ०	पा०
१९५२–५३	७२,८१७	२	६
१९५३–५४	५४,१७३	१३	३
१९५४–५५	३८,८१४	११	३
१९५५–५६	४९,५२८	१३	६
१९५६–५७	५३,११८	१२	३

बांदा तथा बहराइच में खोले जाने वाले राजकीय गोसदन पर १९५६-५७ में हुए व्यय का ब्योरा निम्नांकित है:—

	रु०
कर्मचारियों का वेतन आदि	४००
ट्रकें	१,२६,२००
सामान	१७,७०७
भवन निर्माण	५७,०००
कुल योग ..	२,०१,३०७

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०९ पर।)

मंझरा

वर्ष का नाम	आय	व्यय			
		सरकार का खर्चा	भवनों तथा मशीनों आदि पर	पूरी लागत पर ४ १/२ प्रतिशत की दर से सूद	कुल व्यय
१९५२–५३ ..	१,७९,६८७	१,७६,३५७	१२,७९५	६,५२२	१,९५,६७४
१९५३–५४ ..	१,१५,२४१	१,७१,६००	९,६१५	९,५८१	१,९०,७९६
१९५४–५५ ..	१,५२,१५२	१,८९,४८७	१०,३८०	११,२४७	२,११,११४
१९५५–५६ ..	२,५५,८१९	२,५०,१९१	१४,३२७	१२,४३९	२,७६,९५७
योग ..	७,०२,८९९	७,८७,६३५	४७,११७	३९,७८९	८,७४,५४१

अन्देशनगर

१९५२–५३ ..	१,६२,२६९	१,२९,२६८	९,८९८	७,४६८	१,४६,६३४
१९५३–५४ ..	१,६६,६२३	१,४४,८१६	३१,८३२	१३,०३१	१,८९,६७९
१९५४–५५ ..	१,८९,२४२	१,५५,११६	१४,०१७	१४,८०९	१,८३,९४२
१९५५–५६ ..	२,५८,०६५	१,९६,४७४	२९,२९५	२१,१९६	२,४६,९६५
योग ..	७,७६,१९९	६,२५,६७४	८५,०४२	५६,५०४	७,६७,२२०

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११३ पर)

सूची 'क'

छात्रवृत्ति आदि सुविधाएं देने के लिये पिछड़ी जातियों की वर्तमान सूची।

हिन्दू		मुसलमान
१—नाई	२३—भुर्जी या भरभूंजा	१—रंगरेज
२—लोहार	२४—बैरागी	२—मिरासी
३—सोनार	२५—तमोली	३—धफाली
४—तेली	२६—कोइरी	४—भठियारा
५—कुम्हार	२७—अराख	५—फकीर
६—भर	२८—कुर्मी	६—नद्दाक (धुनिया)
७—नायक	२९—अहीर	७—दर्जी
८—गड़रिया	३०—लोध	८—मोमिन (अंसार)
९—दर्जी	३१—हलवाई	९—हज्जाम (नाई)
१०—कोरी आगरा मेरठ एवं रुहेलखंड डिवीजन।	३२—मुराऊ या मुराई	१०—स्वीपर (भंगी)
११—काछी	३३—केवट या मल्लाह	११—कसगर
१२—बंजारा	३४—लोनिया	१२—नक्काल
१३—छिप्पी	३५—बारी	१३—मुसलिम (कायस्थ)
१४—जोगी	३६—दुसाध	१४—मनिहार
१५—गूजर	३७—बिन्द	१५—नट
१६—माली	३८—भोटिया	१६—कारपेंटर (बढ़ई)
१७—कहार		१७—कुंजड़ा
१८—मनिहार		१८—गद्दी
१९—बढ़ई		१९—किसान
२०—धीवर		२०—चिकवा (कस्साब)
२१—गुसाई		२१—झोझा
२२—किसान		

टिप्पणी—कुमायूं डिवीजन में मरछा, नायक गिरी और पिछड़े मुसलमान पिछड़ी जाति में समझें जायेंगे।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११३ पर)

सूची 'क'

सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिये पिछड़ी जातियों की वर्तमान सूची

१—अराख
२—बनजारा
३—भर
४—विन्द
५—भोटिया
६—छिप्पी
७—झोझा
८—जुलाहा (अंसार)
९—कोरी
१०—कुंजड़ा
११—लूनिया या नूनिया
१२—मनिहार
१३—मराऊ
१४—नायक
१५—धुनिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११४ पर)

सन् १९५६–५७ के बजट में स्वास्थ्य मंत्री कोष के लिये रखी गई धनराशि में से इस राज्य के निर्धन रोगियों को सहायता देते समय निम्न बातों का ध्यान विशेष रूप से रखा गया :—

१—जिस निर्धन रोगी का उपचार बाहर के किसी अस्पताल, क्षय-रोगाश्रम अथवा क्लिनिक में हो रहा था।

२—जिस निर्धन रोगी का नाम किसी अस्पताल अथवा क्षयरोगाश्रम में नियत रूप से निःशुल्क शय्या पर भर्ती के लिये सूची में दर्ज था।

३—जिस निर्धन रोगी को अस्पताल में भर्ती रखकर उपचार पूरा हो चुका था और उसे स्वास्थ्य सुधार के लिये विशेष आहार अथवा औषधियों की आवश्यकता बतलाई गई थी।

४—जिस निर्धन रोगी की अस्पताल, क्षयरोगाश्रम अथवा क्लिनिक में उपचार करते हुये मृत्यु हो गई थी और उसके आश्रित निराश्रित तथा निर्धन परिस्थितियों में छूट गये थे और

५—किसी अन्य आधार पर यदि स्वास्थ्य मंत्री जी की राय में किसी रोगी को सहायता देना उचित समझा गया था।

जहां तक संस्थाओं को अनुदान देने का प्रश्न है कोई विशेष नियम तो नहीं है, किन्तु वित्तीय स्थिति के आधार पर टरनस अमरी अस्पताल, मुरादाबाद को २,००० रु० की धनराशि अनुदानस्वरूप दी गई है और उसके अतिरिक्त अन्य किसी संस्था को कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

प्रो० एस० यू० पी०—यू० पी०—९४ एल० ए०—१९५७—७९६